



भारतीय रिज़र्व बैंक/Reserve Bank of India  
आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय/Andhra Pradesh Regional Office  
हैदराबाद/Hyderabad

विजयवाड़ा में बैंक के कार्यालय भवन के लिए एक्स-रे बैगैज स्कैनर सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग

ई-निविदा संख्या: आरबीआई/आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय/अन्य/2/25-26/ईटी/36

भाग-I

निविदाकर्ता का नाम : \_\_\_\_\_

पता : \_\_\_\_\_

निविदा आमंत्रण की सूचना की तिथि : 16 अप्रैल 2025 को सुबह 10:00 बजे से  
निविदा प्रस्तुत करने की आरंभिक तिथि : 16 अप्रैल 2025 को सुबह 10:00 बजे से  
बोली-पूर्व बैठक की तिथि : 23 अप्रैल 2025 को सुबह 11:00 बजे  
निविदा प्रस्तुत करने की नियत तिथि और समय: 30 अप्रैल 2025 को दोपहर 14:00 बजे  
निविदा के भाग I को खोलने की तिथि और समय: 30 अप्रैल 2025 को दोपहर 16:00 बजे  
निविदा के भाग II को खोलने की तिथि और समय: भाग-I की जांच के आधार पर तय किया जाएगा



**भारतीय रिज़र्व बैंक/ Reserve Bank of India**  
**आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय/ Andhra Pradesh Regional Office**  
**हैदराबाद / Hyderabad**

**विजयवाड़ा में बैंक के कार्यालय भवन के लिए एक्स-रे बैगेज स्कैनर सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए निविदा सूचना**

**“विजयवाड़ा में बैंक के कार्यालय भवन के लिए एक्स-रे बैगेज स्कैनर सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग” के लिए दो भागों (भाग-I और भाग-II) में ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।**

1. ई-टेंडर **16 अप्रैल 2025** से देखे जा सकेंगे तथा बोलियाँ **16 अप्रैल 2025 से 30 अप्रैल 2025** तक एमएसटीसी वेबसाइट पर जमा की जा सकेंगी। विधिवत भरे गए टेंडर दस्तावेज़ **30 अप्रैल 2025 को 14:00 बजे** से पहले एमएसटीसी वेबसाइट पर अपलोड किए जाने चाहिए।
2. ई-टेंडरिंग फॉर्म वेबसाइट <http://www.mstcecommerce.com/eproc> से डाउनलोड किए जा सकते हैं और निविदा की वाणिज्यिक शर्तों और नियमों में उल्लिखित सभी जानकारी / दस्तावेजों के साथ अपलोड किया जाना चाहिए।
3. केवल वे **मूल उपकरण निर्माता (ओईएम)** निविदा में भाग लेने के लिए पात्र होंगे जिनके पास निम्नलिखित हों:
  - (i) फर्म एक्स-रे बैगेज स्कैनर सिस्टम का मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) होना चाहिए।
  - (ii) बड़े कार्यालय भवनों / वाणिज्यिक एस्टेट / औद्योगिक घरानों के लिए एक्स-रे बैगेज स्कैनर सिस्टम की एसआईटीसी जैसे समान कार्य करने के क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव (31 अक्टूबर 2024 तक)।
  - (iii) 31 अक्टूबर 2019 को या उसके बाद समान कार्य (एक्स-रे बैगेज स्कैनर सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग) सफलतापूर्वक निष्पादित किया हो, जिसकी अलग-अलग लागत निम्नानुसार हो:
    - (a) तीन कार्य जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 40% के बराबर से कम न हो। **या**
    - (b) दो कार्य जिनकी लागत अनुमानित लागत के 50% के बराबर से कम न हो। **या**
    - (c) एक कार्य जिसकी लागत अनुमानित लागत के 80% के बराबर से कम न हो। **और**
  - (iv) निविदाकर्ताओं को स्पेयर पार्ट्स की बिक्री और समर्थन तथा बिक्री के बाद सेवा के लिए दस वर्षों के लिए ओईएम होना चाहिए (इसके प्रमाण के रूप में आईआरबी प्रमाण पत्र की प्रति के साथ समर्थित) और उनके पास 24X7 शिकायत दर्ज करने की सुविधा होनी चाहिए। **और**
  - (v) निविदाकर्ताओं को कार्य के दायरे और मूल्य को दर्शाने वाले विस्तृत कार्य आदेश की प्रतियां और अर्हक कार्यों के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। निविदाकर्ताओं को (अनुलग्नक-IX) के अनुसार सभी विवरणों के साथ पूर्ण किए गए कार्यों की सूची भी प्रदान करनी चाहिए। **और**
  - (vi) पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान न्यूनतम वार्षिक कारोबार ₹36.00 लाख होना चाहिए, जिसका समर्थन लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों से हो।

**और**

(vii) आवेदक के बैंकर द्वारा विशेष रूप से कार्य के प्रयोजन के लिए जारी किया गया बैंकर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसकी राशि **₹36.00 लाख होगी (अनुलग्नक-X)**

**और**

(viii) विक्रय के बाद सेवा प्रदान करने के लिए विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में एक सेवा स्थापित की हो।

**और**

(ix) परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (ईआरबी) द्वारा जारी विकिरण प्रमाणपत्र होना चाहिए।

4. निम्नलिखित दस्तावेजों को अलग-अलग फ़ाइलों (पीडीएफ या जेपीईजी प्रारूप में) में तैयार और स्कैन किया जाना चाहिए और बोली के ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण के दौरान अपलोड किया जाना चाहिए। ये दस्तावेज बोलियाँ प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि और समय से पहले आरबीआई को भी प्रस्तुत किए जाने चाहिए। निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उनकी पात्रता के बारे में बैंक को संतुष्ट करने के लिए निम्नलिखित प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

ए)	फर्म की संरचना	ठेकेदारों की फर्म की संरचना का पूर्ण विवरण (चाहे ठेकेदार एक व्यक्ति हो, या साझेदारी फर्म है, या कंपनी आदि है) विस्तृत रूप से नाम और पता, साझेदार के एसोसिएशन के लेख/पावर ऑफ अटॉर्नी/अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रति के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
बी)	कार्य अनुभव एवं निर्दिष्ट अवधि के दौरान निर्दिष्ट मूल्य के समान कार्यों को पूरा करना	विस्तृत कार्य आदेश की प्रतियां कार्य अनुभव के प्रमाण में, पुरस्कार की तिथि, पुरस्कार प्राप्त कार्य का मूल्य, कार्य पूरा करने के लिए दिया गया समय आदि दर्शाते हुए योग्यता प्राप्त कार्य तथा वास्तविक कार्य समाप्ति तिथि तथा निष्पादित समान कार्य का वास्तविक मूल्य दर्शाते हुए संगत पूर्णता प्रमाण-पत्र संलग्न किए जाने चाहिए। किसी भी केंद्र पर भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए कार्य करने के पिछले अनुभव, यदि कोई हो, के दस्तावेजी साक्ष्य के साथ विवरण भी दिया जाना चाहिए।
सी)	निर्दिष्ट अवधि के दौरान कारोबार	चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
डी)	बैंकर्स और उनके वर्तमान संपर्क अधिकारियों के नाम और पते	अपने बैंकर्स के नाम और पते के बारे में लिखित जानकारी तथा संपर्क अधिकारी (अर्थात् वे व्यक्ति जिनसे बैंक द्वारा उनके बैंकर्स के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है, यदि ऐसा आवश्यक हो) का पूरा विवरण जैसे नाम, डाक पता, ई-मेल आईडी, टेलीफोन (लैंडलाइन और मोबाइल) नंबर, फैक्स नंबर आदि प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
ई)	बैंक खाते का विवरण	बैंक खातों का पूरा विवरण दिया जाना चाहिए, जैसे खाता संख्या, प्रकार, कब खोला गया आदि।

एफ)	पूर्ण किये गये कार्यों का विवरण	ग्राहक-वार कार्य का नाम, कार्य के निष्पादन का वर्ष, निष्पादित कार्य की स्वीकृत और वास्तविक लागत, संविदा(ओं) में निर्धारित कार्य पूरा होने का समय और कार्य पूरा करने में लगा वास्तविक समय, अधिकारियों/प्राधिकारियों/विभागों के नाम और पूर्ण संपर्क विवरण जिनके अधीन कार्य निष्पादित किया गया, प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
-----	---------------------------------	--

5. यदि इच्छुक निविदाकर्ता बैंक को संतुष्ट करने में असफल रहता है, तो बैंक उन्हें निविदा प्रपत्र/दस्तावेज जारी करने से इंकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

6. निविदा (भाग I और भाग II) एमएसटीसी के ई-टेंडर पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी। निविदा के भाग-I में प्रस्तावित कार्य के लिए बैंक की मानक तकनीकी और वाणिज्यिक शर्तें, निविदाकर्ताओं का कवरींग लेटर, निविदाकर्ता की अतिरिक्त शर्तें, यदि कोई हों और भारतीय रिज़र्व बैंक, आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय के पक्ष में हैदराबाद में देय डिमांड ड्राफ्ट / एनईएफटी के रूप में **₹72,000/- का ईएमडी** या बैंक के मानक प्रोफ़ॉर्म में अनुसूचित बैंक द्वारा जारी अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी शामिल होगी जो छह महीने के लिए वैध हो जो निविदा फॉर्म के भाग I में उपलब्ध है जिसे **30 अप्रैल 2025 को 14:00 बजे तक या उससे पहले** पहली मंजिल, आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, हैदराबाद को प्रस्तुत किया जा सकता है।

**₹72,000/-** की राशि के लिए **बयाना राशि** भारतीय रिज़र्व बैंक, आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय के बैंक खाते में जमा की जाएगी। एनईएफटी/आरटीजीएस लेनदेन के लिए खाता विवरण इस प्रकार है। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की परेशानी से बचने के लिए पहले ही बयाना राशि जमा कर दें।

**लाभार्थी का नाम: आरबीआई आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय**

**IFSC: RBIS0APPA01 (0 शून्य है)**

**खाता संख्या: 186003001**

**टिप्पणी: व्यक्तिगत/साझेदारी फर्म/कंपनी का नाम और एक्स-रे बैगोज स्कैनर सिस्टम**

7. आवेदकों/निविदाकर्ताओं को स्कैन प्रति 30 अप्रैल 2025 को 14:00 बजे तक या उससे पहले एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।

a. ग्राहक का प्रमाण पत्र प्रारूप के अनुसार **अनुलग्नक-IX** योग्य कार्यों के लिए उन्होंने इस नोटिस में बताए गए पात्रता (योग्यता-पूर्व) मानदंडों के अनुसार "पात्र कार्य" किए हैं।

b. **प्रारूप के अनुसार अपने बैंकर/बैंकरो से बैंकर प्रमाण पत्र अनुलग्नक - X**

प्रमाण-पत्र क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय, प्रथम तल, मुख्य कार्यालय भवन, सैफाबाद, हैदराबाद को संबोधित होने चाहिए तथा उन्हें आवेदन/निविदा के साथ जमा/अपलोड किया जाना चाहिए।

ग्राहक का प्रमाण पत्र तभी स्वीकार किया जाएगा जब उस पर किसी सरकारी/अर्धसरकारी संगठन या पीएसयू के मामले में कार्यकारी अभियंता या समकक्ष रैंक के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों और तभी जब वे ठेकेदार द्वारा किए गए काम के लिए प्राप्त भुगतान के पर्याप्त सबूत द्वारा समर्थित हों। निजी संगठनों द्वारा जारी ग्राहक प्रमाण पत्र के साथ स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। उपरोक्त प्रमाण पत्रों के बिना प्राप्त आवेदन/निविदाएं अस्वीकार की जा सकती हैं। बैंक को इन प्रमाण पत्रों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने का अधिकार होगा।

बैंक निविदाओं की मूल्य बोली के मूल्यांकन से पहले उक्त रिपोर्टों का मूल्यांकन करेगा। यदि किसी भी समय किसी भी निविदाकर्ता के पास निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवश्यक योग्यता नहीं पाई जाती है और/या उसके ग्राहकों और/या

उसके बैंकरों से प्राप्त उसकी कार्य निष्पादन रिपोर्ट असंतोषजनक पाई जाती है, तो बैंक निविदा के भाग-I के खुलने के बाद भी उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ऐसा करने के लिए बैंक कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।

8. आवेदन करने के इच्छुक आवेदकों को अपनी अपेक्षित पात्रता के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करके बैंक को संतुष्ट करना होगा, तथा ऐसा करने में असफल रहने की स्थिति में बैंक उनकी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

9. बैंक सबसे कम कीमत वाली निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

10. भविष्य में निविदा में यदि कोई संशोधन/शुद्धिपत्र जारी किया जाएगा तो उसे केवल आरबीआई वेबसाइट और एमएसटीसी वेबसाइट पर ही अधिसूचित किया जाएगा।

**क्षेत्रीय निदेशक**

**भारतीय रिज़र्व बैंक**

**आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय**

**प्रथम तल, मुख्य कार्यालय भवन**

**सैफाबाद, हैदराबाद -500004**

**निविदा अनुसूची (एसओटी)**  
**एक्स-रे की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग**  
**विजयवाड़ा में बैंक कार्यालय भवन के लिए बैगेज स्कैनर प्रणाली**

क्रमांक	विवरण	दिनांक / समय
ए	ई-निविदा सं.	आरबीआई/आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय/अन्य/2/25-26/ईटी/36
बी	निविदा का तरीका	ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम (ऑनलाइन भाग I - तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग II - मूल्य बोली के माध्यम से) <a href="http://www.mstcecommerce.com/eprocn">http://www.mstcecommerce.com/eprocn</a>
सी	अनुमानित लागत	₹36.00 लाख
डी	एमएसटीसी वेब पोर्टल पर निविदा देखने के लिए दिनांक, समय	16 अप्रैल 2025 को सुबह 10:00 बजे से
ई	बोली-पूर्व बैठक	23 अप्रैल 2025 को 11:00 बजे (स्थान: भारतीय रिज़र्व बैंक, आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय, तीसरी मंजिल, सचिवालय रोड, सैफाबाद, हैदराबाद - 500004)
एफ	बयाना राशि	<b>₹72,000/-</b> भारतीय रिज़र्व बैंक के पक्ष में अनुसूचित बैंक द्वारा आहरित डिमांड ड्राफ्ट के रूप में ईएमडी अथवा संलग्न प्रपत्र के अनुसार बैंक गारंटी मूल रूप में <b>30 अप्रैल 2025 को 14:00 बजे</b> तक या उससे पहले निविदा आमंत्रण प्राधिकारी के कार्यालय में जमा करानी होगी। ईएमडी को <b>30 अप्रैल 2025 को 14:00 बजे</b> या उससे पहले भारतीय रिज़र्व बैंक खाते में भी जमा किया जा सकता है। एनईएफटी लेनदेन के लिए खाता विवरण निम्नानुसार है:  <b>लाभार्थी का नाम: आरबीआई आंध्र प्रदेश कार्यालय</b> <b>IFSC: RBIS0APPA01 (0 शून्य है)</b> <b>खाता संख्या: 186003001</b> <b>टिप्पणी: व्यक्तिगत/साझेदारी फर्म/कंपनी का नाम और एक्स-रे बैगेज स्कैनर सिस्टम</b>  लेन-देन संख्या और अन्य विवरण दर्शाते हुए धन प्रेषण का प्रमाण अन्य निविदा दस्तावेजों के साथ बैंक के अनुमोदित ई-निविदा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
जी	<b>बोली प्रारंभ तिथि</b> – ऑनलाइन <a href="https://www.mstcecommerce.com/eprocn">https://www.mstcecommerce.com/eprocn</a> पर तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए ई-निविदा शुरू होने की तिथि	16 अप्रैल 2025 को सुबह 10:00 बजे से
एच	<b>बोली बंद होने की तिथि</b> - तकनीकी-वाणिज्यिक बोली एवं मूल्य बोली	30 अप्रैल 2025 को 14:00 बजे

	प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा बंद होने की तिथि	
आई	7ए. निविदा खुलने की तिथि:- भाग-I के खुलने की तिथि एवं समय (अर्थात तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) ख. भाग-II मूल्य बोली:- भाग-II खोलने की तिथि (अर्थात मूल्य बोली की सूचना अलग से दी जाएगी।)	30 अप्रैल 2025 को 16:00 बजे  <i>निविदा के भाग II के लिए पात्र बोलीदाताओं को अलग से सूचित किया जाएगा</i>

नोट: फर्मों को एमएसटीसी लिमिटेड के पक्ष में एमएसटीसी भुगतान गेटवे को अनिवार्य लेनदेन शुल्क का भुगतान करना होगा।

## ई-प्रोक्योरमेंट के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

यह आरबीआई का ई-प्रोक्योरमेंट इवेंट है। ई-प्रोक्योरमेंट सेवा प्रदाता/ठेकेदार एमएसटीसी लिमिटेड है। आपसे अनुरोध है कि ऑनलाइन निविदा प्रस्तुत करने से पहले निविदा आमंत्रण सूचना तथा उसके बाद जारी किए गए शुद्धिपत्र (यदि कोई हो) को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और समझ लें।

## ई-निविदा की प्रक्रिया:

**ए) पंजीकरण:** इस प्रक्रिया में एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर वेंडर का पंजीकरण शामिल है जो निःशुल्क है। पंजीकरण के बाद ही वेंडर अपनी बोलियाँ इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली के साथ-साथ मूल्य बोली को इंटरनेट पर प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली लगाई जाएगी। वेंडर के पास क्लास III हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार का डिजिटल प्रमाणपत्र होना चाहिए। वेंडरों को इंटरनेट से जुड़े पीसी से बोली लगाने की अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी। ऐसी व्यवस्था करने के लिए आरबीआई जिम्मेदार नहीं है। (डिजिटल हस्ताक्षर के बिना बोलियाँ दर्ज नहीं की जाएँगी)।

**विशेष नोट: मूल्य बोली और वाणिज्यिक बोली एक दूसरे से भिन्न होनी चाहिए।**

**केवल [www.mstcecommerce.com/eproc/](http://www.mstcecommerce.com/eproc/) पर ऑनलाइन प्रस्तुत (संस्करण 3)**

1) वेंडरों को स्वयं को [www.mstcecommerce.com/eproc/](http://www.mstcecommerce.com/eproc/) पर ऑनलाइन पंजीकृत करना आवश्यक है। वेंडर के रूप में पंजीकरण करें - विवरण भरें और अपना उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए, डाउनलोड गाइड / वीडियो / पंजीकरण पर जाएं। वेंडरों को पंजीकरण फॉर्म भरते समय दिए गए ईमेल में उनके पंजीकरण की पुष्टि करने वाला सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा। किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, कृपया एमएसटीसी/आरबीआई से संपर्क करें, (ई-टेंडर के निर्धारित समय से पहले)।

## संपर्क विवरण:

**क) वेंडरों के लिए संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी):**

एचओ सेंट्रल हेल्प डेस्क: (वेंडरों के लिए)

फ़ोन नंबर: 07969066600

[helpdeskho@mstcindia.in](mailto:helpdeskho@mstcindia.in) (ईमेल भेजते समय कृपया विषय के रूप में "एचओ हेल्पडेस्क" लिखें)

## उपलब्धता

सभी तकनीकी मुद्दों जैसे ई-टेंडर, सिस्टम सेटिंग आदि के लिए सभी कार्य दिवसों में सुबह 9:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक।

**ख) संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी)**

(तेलंगाना क्षेत्रीय कार्यालय)

फ़ोन नंबर: (040) 23301039

ई-मेल आईडी: [mstchyd@mstcindia.in](mailto:mstchyd@mstcindia.in)

**ग) संपर्क व्यक्ति (आरबीआई):**

(i) जी नागा राजू (मोबाइल: 9001033749) [nrgosipata@rbi.org.in](mailto:nrgosipata@rbi.org.in)

(ii) राजा शेखर रेड्डी एस (मोबाइल: 8179891087) [rajasreddy@rbi.org.in](mailto:rajasreddy@rbi.org.in)



(iii) के संतोष (मोबाइल: 9137553969) [skethineedi@rbi.org.in](mailto:skethineedi@rbi.org.in)

### बी) सिस्टम आवश्यकताएँ:

विस्तृत जानकारी के लिए, वेंडर <https://www.mstcecommerce.com/eprocn/> पर उपलब्ध डाउनलोड सिस्टम सेटिंग गाइड का संदर्भ ले सकते हैं।

### लेनदेन शुल्क के संबंध में विशेष नोट:

वेंडर अपने लॉगिन के माध्यम से "बिड फ्लोर" में विशिष्ट निविदा के लिए "लेनदेन शुल्क भुगतान" लिंक का उपयोग करके/"ईवेंट कैटलॉग" में "लेनदेन शुल्क का भुगतान करें" के माध्यम से लेनदेन शुल्क का भुगतान करेंगे। सेवा प्रदाता/ठेकेदार/वेंडर के पास एनईएफटी या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होगी। एनईएफटी का चयन करने पर, सेवा प्रदाता/ठेकेदार/वेंडर एक फॉर्म भरकर चालान जनरेट करेगा। सेवा प्रदाता/ठेकेदार/वेंडर चालान में बिना कोई बदलाव किए उस पर छपे विवरण के अनुसार लेनदेन शुल्क राशि का भुगतान करेगा। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, सेवा प्रदाता/ठेकेदार/वेंडर के पास अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करने का प्रावधान होगा।

**लेनदेन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।** लेनदेन शुल्क का भुगतान किए बिना वेंडर को ऑनलाइन ई-निविदा तक पहुंच नहीं मिलेगी।

**नोट:** बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे गतिविधि के समापन समय से काफी पहले लेनदेन शुल्क का भुगतान कर दें, ताकि उन्हें बोली प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

निविदाओं/शुद्धिपत्रों के बारे में जानकारी निविदा के अंतिम रूप दिए जाने तक की प्रक्रिया के दौरान केवल ईमेल द्वारा भेजी जाएगी। इसलिए वेंडरों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि एमएसटीसी लिमिटेड के साथ वेंडर के पंजीकरण के समय प्रदान की गई उनकी कॉर्पोरेट ईमेल आईडी वैध और अद्यतन है। वेंडरों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने क्लास III हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार के डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र) की वैधता सुनिश्चित करें। वेंडरों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र) की वैधता सुनिश्चित करें।

**एनआईटी में उल्लिखित नियत तिथि और समय के बाद ई-टेंडर तक पहुंच नहीं हो सकेगी।**

### ई-निविदा में बोली:

**नोट:** वेंडरों को दस्तावेज़ लाइब्रेरी में दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए मेरे मेनू में **दस्तावेज़ अपलोड करें** लिंक का उपयोग करने का निर्देश दिया जाता है। कई दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं। अपलोड के लिए एकल दस्तावेज़ का अधिकतम आकार 5 एमबी है।

लाइब्रेरी में दस्तावेज़ अपलोड होने के बाद, वेंडर विशेष ई-टेंडर के विरुद्ध दस्तावेज़ संलग्न करें लिंक के माध्यम से दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि यदि दस्तावेज़ किसी ई-टेंडर से संलग्न नहीं हैं, तो उसे RBI द्वारा डाउनलोड नहीं किया जा सकता है और यह माना जाएगा कि वेंडर ने दस्तावेज़ जमा नहीं किए हैं। अधिक सहायता के लिए कृपया वेंडर गाइड के निर्देशों का पालन करें।

a) बोलीदाताओं को आवश्यक ईएमडी, ई-टेंडर शुल्क (यदि कोई हो) जमा करना होगा। ई-टेंडर के लिए अलग से ट्रांजेक्शन फीस और ट्रांजेक्शन फीस देनी होगी। यदि कोई ट्रांजेक्शन फीस है तो वह वापस नहीं की जाएगी। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल बोलीदाताओं की ईएमडी आरबीआई द्वारा वापस की जाएगी।

b) इस प्रक्रिया में टेक्नो कमर्शियल बोली के साथ-साथ मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली शामिल है। **जिन** बोलीदाताओं ने उपरोक्त शुल्क जमा कर दिया है, वे अपनी तकनीकी वाणिज्यिक बोलियां और मूल्य बोलियां केवल एमएसटीसी की वेबसाइट [www.mstcecommerce.com](http://www.mstcecommerce.com) पर इंटरनेट के माध्यम से ही जमा कर सकते हैं। → ई-खरीद → नया सामान्य पोर्टल → बोली फ्लोर मैनेजर → लाइव इवेंट → लाइव इवेंट का चयन → लेनदेन शुल्क-> सामान्य शर्तें-> दस्तावेज संलग्न करें-> मूल्य बोली।

**कृपया ध्यान दें:** लेनदेन शुल्क और ईएमडी विवरण के सफल प्रेषण के बाद, वेंडर को अपने लॉगिन में संलग्न दस्तावेज और सामान्य शर्तें टैब सक्षम हो जाएगा। इस चरण के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद, वेंडरों को लॉट विशिष्ट शर्तों को सहेजने और पोर्टल के माध्यम से लॉट के लिए अपनी मूल्य बोली जमा करने या मूल्य बोलियां जमा करने के लिए एक्सेल फ़ाइल डाउनलोड करने और अपलोड करने की अनुमति दी जाएगी, जैसा भी मामला हो। यदि दस्तावेज़ संलग्न करना और/या सामान्य शर्तें सहेजना चरण



असफल होता है, तो लॉट विशिष्ट शर्तों को सहेजने और मूल्य बोली जमा करने के लिए टैब अक्षम हो जाएंगे। यह सफल/लंबित है या नहीं, इसकी स्थिति बोली स्थिति बटन में प्रदर्शित की जाएगी।

c) सबसे पहले वेंडर को वाणिज्यिक विनिर्देश (अगर कोई हो) को भरना होगा और उसे सहेजना होगा। फिर वेंडर को टेक्नो - कमर्शियल बोली भरनी चाहिए। टेक्नो - कमर्शियल बोली भरने के बाद, बोलीदाता को अपनी टेक्नो - कमर्शियल बोली दर्ज करने के लिए 'सेव' पर क्लिक करना चाहिए। ऐसा करने के बाद, मूल्य बोली लिंक सक्रिय हो जाता है और उसे भरना होता है और फिर बोलीदाता को अपनी मूल्य बोली दर्ज करने के लिए "सेव" पर क्लिक करना चाहिए। फिर एक बार जब टेक्नो - कमर्शियल बोली और मूल्य बोली दोनों सहेज ली जाती हैं, तो बोलीदाता अपनी बोली दर्ज करने के लिए "फाइनल सबमिशन" बटन पर क्लिक कर सकता है।

**नोट :** - अंतिम सबमिशन पर क्लिक करने के बाद "बोली हटाएं" विकल्प दिखाया जाएगा। यदि वेंडर अंतिम सबमिशन के बाद बोली को हटाना चाहता है और बोली को फिर से सबमिट करना चाहता है, तो उसे बोली हटाएं पर क्लिक करना चाहिए और उसे फिर से सबमिट करना चाहिए और फिर से अंतिम सबमिशन पर क्लिक करना चाहिए।

d) सभी मामलों में, बोलीदाता को अपनी बोली प्रस्तुत करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ-साथ अपना स्वयं का आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए।

e) संपूर्ण ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान बोलीदाता एक-दूसरे के लिए तथा अन्य सभी के लिए पूर्णतः गुमनाम रहेंगे।

f) ई-निविदा फ्लोर पूर्व घोषित तिथि एवं समय से लेकर ऊपर उल्लिखित अवधि तक खुला रहेगा।

g) ई-टेंडर प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियाँ बोलीदाता पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस बोलीदाता द्वारा पेश की गई वैध बोली माना जाएगा और खरीदार द्वारा उसे स्वीकार करने से आपूर्ति / कार्य के निष्पादन के लिए खरीदार और बोलीदाता के बीच एक बाध्यकारी **संविदा** बन जाएगा। ऐसे सफल निविदाकर्ता को आगे से **आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार** कहा जाएगा।

h) यह अनिवार्य है कि सभी बोलियाँ क्लास III हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएं, अन्यथा उन्हें सिस्टम द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

i) क्रेता बिना कोई कारण बताए निविदा को पूर्णतः या आंशिक रूप से रद्द करने, अस्वीकार करने, स्वीकार करने, वापस लेने या विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

j) ई-निविदा दस्तावेज़ के नियमों और शर्तों में कोई भी बदलाव स्वीकार्य नहीं है। किसी भी बोलीदाता द्वारा ई-निविदा फ्लोर में बोली प्रस्तुत करना ई-निविदा के लिए नियमों और शर्तों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि करता है।

k) माप की इकाई (यूओएम) को ई-निविदा पोर्टल में दर्शाया गया है। उद्धृत की जाने वाली दर ई-निविदा पोर्टल / निविदा दस्तावेज़ में दर्शाए गए यूओएम के अनुसार भारतीय रुपये में होनी चाहिए।

**वेंडरों से अनुरोध है कि वे जीएसटी सहित दरें उद्धृत करें।**

**खंड - I**  
**निविदा फॉर्म**

स्थान :  
तारीख :

प्रति,  
क्षेत्रीय निदेशक  
भारतीय रिज़र्व बैंक  
आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय  
प्रथम तल, मुख्य कार्यालय भवन  
सैफाबाद, हैदराबाद

महोदया / प्रिय महोदय,

हमने ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों से संबंधित विनिर्देशों, डिजाइनों और मात्राओं की अनुसूची की सावधानीपूर्वक जांच की है और उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों की स्थापना स्थल का दौरा किया है और जांच की है तथा निविदा को प्रभावित करने वाली उससे संबंधित अपेक्षित जानकारी प्राप्त की है। हम एतद्वारा उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों को उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट समय के भीतर संलग्न मात्राओं की अनुसूची में उल्लिखित दरों पर और सभी मामलों में संविदा के लेखों में संदर्भित विनिर्देशों, डिजाइनों और लिखित निर्देशों, निविदाकर्ताओं को सामान्य निर्देशों और विशेष शर्तों, यहां पहले संदर्भित शर्तों, विनिर्देशों, डेटा शीट और मात्राओं की अनुसूची और ऐसी सामग्रियों के साथ निष्पादित करने का प्रस्ताव करते हैं, जो प्रदान की गई हैं, और अन्य सभी मामलों में, ऐसी शर्तों के अनुसार जहां तक वे लागू हो सकती हैं।

**ज्ञापन**

(ए)	कार्यों का विवरण	विजयवाड़ा में बैंक के कार्यालय भवन के लिए एक्स-रे बैगेज स्कैनर सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग
(बी)	अनुमानित लागत	₹36.00 लाख (छत्तीस लाख रुपये मात्र)
(सी)	भुगतान का तरीका	ठेकेदारों के लिए सामान्य निर्देश एवं विशेष शर्तें खंड 3.18 के अनुसार।
(डी)	बयाना राशि	₹72,000/-
(इ)	निविदा स्वीकृति पत्र की तिथि के दसवें दिन से कार्य पूरा करने के लिए अनुमत समय	30 दिन

2. निविदा के भाग I के खुलने की तिथि से 90 दिनों तक बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए वैध रहेगी और वैधता की इस अवधि को बैंक और हमारे बीच लिखित रूप में आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकती है। हम संलग्न प्रोफार्मा (अनुलग्नक V) के अनुसार निविदा की वैधता की पूरी अवधि के दौरान बयाना राशि के लिए बैंक गारंटी को वैध रखने के लिए भी सहमत हैं।

3. यदि यह निविदा स्वीकार कर ली जाती है, तो मैं/हम निविदा की सभी शर्तों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत हैं और इसके उल्लंघन की स्थिति में, निविदा में निहित शर्तों में निर्धारित धनराशि को जब्त कर आपको या आपके उत्तराधिकारियों या समनुदेशिनी या नामांकित व्यक्ति को संविदा की लिखित स्वीकृति के साथ भुगतान करने के लिए सहमत हैं।

4. मैं/हम समझते हैं कि आप बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को पूर्णतः या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

5. निविदा दो भागों में अलग-अलग सीलबंद लिफाफों में प्रस्तुत की जाती है। भाग I में सभी वाणिज्यिक नियम व शर्तें तथा तकनीकी विवरण शामिल हैं तथा भाग II में बैंक के प्रोफार्मा में केवल मूल्य बोली शामिल है।

दिनांक \_\_\_\_\_ 2025.

मेसर्स -----के लिए एवं उनकी ओर से

\_\_\_\_\_

(हस्ताक्षर सहित मुहर)

नाम \_\_\_\_\_

पदनाम

स्थान \_\_\_\_\_

तारीख \_\_\_\_\_

(उपर्युक्त हस्ताक्षरकर्ता के पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रमाणित सत्य प्रति संलग्न की जानी चाहिए)

साक्षी

(1) नाम, पता और तारीख के साथ हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(2) नाम, पता और तारीख के साथ हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## Section -II

### करार की शर्तें / Articles of Agreement

यह करार एक ओर **भारतीय रिज़र्व बैंक, आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय** जिसका केंद्रीय कार्यालय मुंबई 400001 में है (जिसे इसके बाद "नियोक्ता" कहा गया है) और दूसरी ओर से \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (जिसे इसके बाद "संविदाकार" कहा गया है) के बीच \_\_\_\_\_ के \_\_\_\_\_ दिन को किया गया।

ARTICLES OF AGREEMENT made the \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ 2025 between the **Reserve Bank of India, Andhra Pradesh Regional Office** having its Central Office at Mumbai 400001 (hereafter called "Employer") of the one part and \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (hereinafter called "the Contractor") of the other part.

जबकि नियोक्ता " विजयवाड़ा में स्थित बैंक के कार्यालय भवन के लिए एक्स-रे बैगेज स्कैनर सिस्टमों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी) और उसके व्यापक वार्षिक रखरखाव संविदा (सीएएमसी)" का कार्य करना चाहता है और उसने बैंक के इंजीनियर के निर्देशन में किए जाने वाले कार्य को दर्शाने और उसका वर्णन करने वाली मात्राओं की ड्राइंग और/या अनुसूची तैयार की है।

WHEREAS the Employer is desirous of carrying out the work of "**Supply, Installation, Testing and Commissioning (SITC) of X-Ray Baggage Scanner Systems and its Comprehensive Annual Maintenance Contract (CAMC) for Bank's Office Building at Vijayawada**" and has prepared drawing and/or Schedule of Quantities showing and describing the work to be done under the direction of Bank's Engineer.

और जबकि उक्त विनिर्देशनों और मात्राओं की अनुसूची पर इसके पक्षकारों द्वारा अथवा उनकी ओर से हस्ताक्षर किए गए हैं।

AND WHEREAS the said specifications, the Schedule of Quantities and drawings have been signed by or on behalf of the parties hereto.

और जबकि संविदाकार शर्तों के अधीन आगे यहाँ नियत शर्तों और विशेष शर्तों में निर्धारित शर्तों और काम की मात्रा की अनुसूची और संविदा की शर्तों (जिन्हें इसके बाद सामूहिक रूप से "तथाकथित शर्तें" कहा जाएगा) के अनुसार काम, जो उक्त विनिर्देशन में वर्णित है और काम की मात्रा की अनुसूची में शामिल है, पर उसमें निर्धारित संबंधित दर पर गणना की गई कुल राशि ₹ \_\_\_\_\_/- (रुपये \_\_\_\_\_ केवल) (₹ \_\_\_\_\_/- की रिबेट राशि को छोड़ कर) पर या ऐसी अन्य देय राशि पर( इसके बाद इसे " तथाकथित संविदा राशि" कहा जाएगा) कार्य करने के लिए सहमत है।

AND WHEREAS the Contractor has agreed to execute upon the subject to the Conditions set forth herein and to the Conditions set forth in the Special Conditions and in the Schedule of Quantities and Conditions of Contract (all of which are collectively hereinafter referred to as "the said Conditions") the works shown upon the said drawings and/or described in the said specification and included in the Schedule of Quantities at the respective rates therein set forth amounting to the sum of ₹ \_\_\_\_\_/- (**Rupees** \_\_\_\_\_ **only**) (without considering the rebate amount of ₹ \_\_\_\_\_/-) as therein arrived at or such other sum as shall become payable thereunder (hereinafter referred to as 'the said Contract Amount').

एतद्वारा अब निम्नानुसार सहमति हुई है:-

**NOW IT IS HEREBY AGREED AS FOLLOWS:-**

1. संविदाकार उक्त शर्तों में उल्लिखित समय और नियत तरीके से उक्त ठेका राशि के भुगतान करने के मद्देनज़र, उक्त शर्तों के अधीन विनिर्देशनों के अनुसार नियत ड्राइंग और काम की मात्रा की अनुसूची में दर्शाया गया काम पूरा करेगा।  
In consideration of said Contract Amount to be paid at the times and in the manner set forth in the said conditions, the Contractor shall upon and subject to the said Conditions execute and complete the work shown upon the said Drawings and described in the said Drawings and Specifications and the Schedule of Quantities.
2. नियोक्ता संविदाकार को कथित संविदा राशि अथवा समय-समय पर देय होनेवाली अन्य राशि तथाकथित शर्तों में विनिर्दिष्ट तरीके से अदा करेगा।  
The Employer shall pay the Contractor the said Contract Amount, or such other sum as shall become payable, at the times and in the manner specified in the said conditions.
3. उक्त शर्त और साथ में दिए गए परिशिष्ट इसके साथ पढ़े जाएँगे और इस करार का हिस्सा माने जाएँगे और संबंधित पक्ष इस करार की उक्त शर्तों के अधीन रहेंगे और अपनी ओर से क्रमशः उक्त शर्तों के तहत अपने-अपने कर्तव्य का पालन करेंगे।  
The said Conditions and Appendix thereto shall be read and construed as forming part of this agreement and the parties hereto shall respectively abide by, submit themselves to the said Conditions and perform the agreements on their part respectively in the said Conditions contained.
4. इसमें उल्लिखित प्लान, करार एवं दस्तावेज इस संविदा के आधारभूत घटक होंगे।  
The plans, agreement and documents mentioned herein shall form the basis of this Contract.
5. यह संविदा न तो एक निश्चित एकमुश्त संविदा है और न ही एक टुकड़ा कार्य संविदा है बल्कि दरों और संभावित मात्राओं की अनुसूची में निहित दरों पर वास्तविक मापी गई मात्रा के अनुसार भुगतान किए जाने वाले पूर्ण कार्य के लिए संविदा है या जैसा कि उक्त शर्तों के तहत प्रावधान किया गया है।  
This Contract is neither a fixed Lumpsum Contract nor a Piece-work Contract but is a Contract for the complete work according to actual measured quantities at the rates contained in the Schedule of Rates and Probable quantities or as provided in the said Conditions.
6. संविदाकार सिविल कार्यों और अन्य सहायक कार्यों से संबंधित सभी कार्यों को उक्त शर्तों में निर्धारित तरीके से करने के लिए हर उचित सुविधा के संबंध में राशि वहन करेगा, और ऐसे कार्यों के पूरा होने के बाद दीवारों, फर्श आदि को हुए किसी भी नुकसान की भरपाई करेगा।  
The Contractor shall afford every reasonable facility for carrying out of all the works relating to civil works and other ancillary works in the manner laid down in the said Conditions, and shall make good any damages done to walls, floors etc. after the completion of such works.
7. नियोक्ता के पास इस संविदा पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना काम की किसी भी वस्तु को जोड़कर या हटाकर या उसके कुछ हिस्सों को जोड़कर ड्राइंग और काम की प्रकृति को बदलने का अधिकार सुरक्षित है।  
The Employer reserves to itself the right of altering the Drawings and nature of the work by adding to or omitting any items of work or having portions of the same carried out without prejudice to this contract.
8. समय को इस संविदा का सार माना जाएगा, और संविदाकार नियोक्ता द्वारा साइट को सौंपे जाने के तुरंत बाद से काम शुरू करने के लिए सहमत है, जैसा कि उक्त में शर्त में प्रावधान किया गया है, और औपचारिक कार्य आदेश जारी होने के 10 वें दिन से 30 दिन के भीतर, पूरे कार्य को पूरा करने के लिए सहमत है, तथापि, यह समय के विस्तार के प्रावधानों के अधीन होगा।  
Time shall be considered as the essence of this Contract, and the Contractor hereby agrees to commence the work soon after the site is handed over to him as provided for in the said

Conditions, and to complete the entire work within **30 days** which shall be reckoned from the 10<sup>th</sup> day of issuance of work order, subject nevertheless to the provisions for extension of time.

**9. व्यापक वार्षिक रखरखाव संविदा / Comprehensive Annual Maintenance Contract (CAMC):-**

संविदाकार निविदा में निर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों के अनुसार एक वर्ष की दोष दायित्व अवधि के पश्चात सात (7) वर्षों की अवधि के लिए स्थापित सिस्टम के लिए व्यापक वार्षिक रखरखाव सेवा प्रदान करने के लिए सहमत है।

That the contractor hereby agrees to provide the Comprehensive Annual Maintenance Service for the installed system for a period of Seven (7) years after one year of Defect Liability Period as per the terms and conditions specified in the tender document.

कार्य के आभासी समापन की तारीख से दोष दायित्व अवधि के सफल समापन पर, प्रथम वर्ष की सीएएमसी दर ₹ \_\_\_\_\_/- (रुपये \_\_\_\_\_ केवल) (जीएसटी सहित) प्रति वर्ष होगी, जैसा की संविदाकार ने अपनी संविदा में कोट किया है।

On successful completion of one year defect liability period from the date of virtual completion of the work, the rate for the first year CAMC shall be ₹ \_\_\_\_\_/- (Rupees \_\_\_\_\_ only) (including GST) per annum as quoted by the contractor in their tender.

एक वर्ष की दोष दायित्व अवधि एवं प्रारंभिक वार्षिक रखरखाव संविदा की एक वर्ष की अवधि के पश्चात वार्षिक रखरखाव सेवा संविदा को कम से कम 6 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाएगा। संविदा को नवीनीकृत करते समय नई संविदा राशि निम्नलिखित सूत्र के आधार पर निकाली जाएगी:

Annual Maintenance Service contract shall be renewed for a further additional period of at least 6 years after the initial annual maintenance service contact period of one year after one-year DLP. While renewing the contract the new contract amount will be arrived at based on following formula:

$A_c = A_p [(10+65x(EPI_c/EPI_p) + 25x(CPI_c/CPI_p))] \times 1/100$	
$A_c$	The contract amount for the current year.
$A_p$	The contract amount for the previous year.
$EPI_c$	Wholesale Price Index for Electrical Apparatus, Appliances and Parts 6 months prior to the commencement date of contract for the current year.
$EPI_p$	Wholesale Price Index for Electrical Apparatus, Appliances and Parts 6 months prior to the commencement date of contract for the previous year.
$CPI_c$	Consumer Price Index for Industrial Workers (All India Average) 6 months prior to the commencement date of contract for the current year.
$CPI_p$	Consumer Price Index for Industrial Workers (All India Average) 6 months prior to the commencement date of contract for the previous year.

**10. इस संविदा के तहत नियोक्ता द्वारा सभी भुगतान हैदराबाद या विजयवाड़ा में किए जाएंगे।**

All payments by the Employer under this Contract will be made at Hyderabad or Vijayawada.

**11. इस करार के तहत या इससे जुड़े किसी भी कारण से उत्पन्न विवाद विजयवाड़ा में उत्पन्न विवाद समझा जाएगा और उसके निपटान का क्षेत्राधिकार विजयवाड़ा में ही स्थित न्यायालयों और/या अमरावती उच्च न्यायालय के निर्धारित क्षेत्राधिकार में होगा।**

All disputes arising out of or in any way connected with this agreement shall be deemed to have arisen at Vijayawada and only Courts in Vijayawada and/or High Court of Amaravati shall have jurisdiction to determine the same.

**12. क्षेत्राधिकार और शासी कानून :**

यह करार विजयवाड़ा के न्यायालयों/और/या अमरावती उच्च न्यायालय अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा। यह करार विजयवाड़ा के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।

**Jurisdiction and Governing Law:**

The agreement shall be subject to the jurisdiction of courts of Vijayawada / and or High Court of Amaravati. The agreement shall be subject to the jurisdiction of courts at Vijayawada.

**13. यौन उत्पीड़न / Sexual Harassment:-**

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए संविदाकार/एजेंसी पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। बैंक परिसर के भीतर अपने कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, संविदाकार / एजेंसी द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष शिकायत दर्ज की जाएगी और संविदाकार / एजेंसी शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

The contractor / agency shall be solely responsible for full compliance with the provisions of “the Sexual Harassment of women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013”. In case of any complaint of sexual harassment against its employee within the premises of the Bank, the complaint will be filed before the Internal Complaints Committee constituted by the Contractor/ Agency and the Contractor/Agency shall ensure appropriate action under the said Act in respect of the complaint.

b) नियोक्ता के किसी कर्मचारी के खिलाफ संविदाकार के किसी भी कर्मचारी से यौन उत्पीड़न की शिकायत का संज्ञान नियोक्ता द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा लिया जाएगा।

Any complaint of sexual harassment from any aggrieved employee of the contractor against any employee of the Bank shall be taken cognizance of by the Regional Complaints Committee constituted by the Bank.

c) संविदाकार किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा, जिसका भुगतान संविदाकार के कर्मचारियों के मामले में किया जा सकता है, उदाहरण के लिए नियोक्ता के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत, यदि संविदाकार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित हुई है।

The contractor shall be responsible for any monetary compensation that may need to be paid in case the incident involves the employees of the contractor, for instance any monetary relief to the Bank's employee, if sexual violence by the employee of the contractor is proved.

d) संविदाकार कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में अपने कर्मचारियों को शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

The contractor shall be responsible for educating its employees about prevention of sexual harassment at workplace and related issues.

e) संविदाकार बैंक परिसर में तैनात अपने कर्मचारियों की एक पूरी और अद्यतन सूची प्रदान करेगा।

The contractor shall provide a complete and updated list of its employees who are deployed within the Bank's premises.



#### 14. गैर-प्रकटीकरण खण्ड/Non-disclosure Clause:-

संविदाकार बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरण आदि के बारे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी जानकारी, सामग्री और विवरण का खुलासा नहीं करेगा, जो इस समझौते के संबंध में अपने संविदा दायित्वों का निर्वहन करने के दौरान संविदाकार के कब्जे या ज्ञान में आ सकता है। संविदाकार संविदा के विवरणों को निजी और गोपनीय रखेगा, सिवाय उस सीमा तक जो उसके अधीन दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक हो। संविदाकार नियोजक की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी व्यापार या तकनीकी पेपर या अन्य स्थानों पर कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित, प्रकाशित करने की अनुमति नहीं देगा, या प्रकट नहीं करेगा। संविदाकार किसी गोपनीय सूचना के खुलासे के परिणामस्वरूप नियोक्ता को किसी भी नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति करेगा। उपरोक्त का पालन करने में विफलता को संविदाकार की ओर से संविदा के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा और नियोक्ता नुकसान का दावा करने और कानूनी उपचार करने का हकदार होगा। संविदाकार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस समझौते के तहत गोपनीय जानकारी का खुलासा न करने के दायित्व पूरी तरह से संतुष्ट हों। अनापत्ति और गोपनीयता के संबंध में संविदाकार के दायित्व समाप्ति से बचेंगे।

The Contractor shall not disclose directly or indirectly any information, materials and details of the Bank's infrastructure/systems/equipment's etc., which may come to the possession or knowledge of the Contractor during the course of discharging its contractual obligations in connection with this agreement, to any third party and shall at all times hold the same in strictest confidence. The Contractor shall treat the details of the contract as private and confidential, except to the extent necessary to carry out the obligations under it or to comply with applicable laws. The Contractor shall not publish, permit to be published, or disclose any particulars of the works in any trade or technical paper or elsewhere without the previous written consent of the Employer. The Contractor shall indemnify the Employer for any loss suffered by the Employer as a result of disclosure of any confidential information. Failure to observe the above shall be treated as breach of contract on the part of the Contractor and the Employer shall be entitled to claim damages and pursue legal remedies. The Contractor shall take all appropriate actions with respect to its employees to ensure that the obligations of non-disclosure of confidential information under this agreement are fully satisfied. The Contractor's obligations with respect to non-disclosure and confidentiality will survive the expiry.

15. सफल बोलीदाता किसी भी पार्टी/तीसरे पक्ष द्वारा आरबीआई के खिलाफ किए गए किसी नुकसान/क्षति या दावे के लिए रिज़र्व बैंक को हर समय क्षतिपूर्ति करेगा। नियोक्ता की संपत्ति को हुए किसी भी नुकसान की भरपाई फर्म द्वारा उनकी लागत पर की जाएगी। सफल बोलीदाता कार्य की अवधि के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक के खिलाफ किसी दुर्घटना या क्षति या दावे के लिए भारतीय कानूनों और विनियमों के अनुसार उत्तरदायी होगा। सफल बोलीदाता आवश्यक कार नीति, डब्ल्यूसी नीति और तीसरे पक्ष की देयता बीमा भी प्रदान करेगा जो जोखिम को कवर करने के लिए आवश्यक हो सकता है और कार्य के निष्पादन के दौरान सभी सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करना चाहिए। सफल बोलीदाता को इस खाते पर कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।

The successful bidder shall at all times indemnify RBI towards any loss/damage caused or any claim raised against RBI by any party/third party consequent to the execution of the work. Any damage caused to the Bank's property while carrying –out the work shall be made good as original by the firm at their cost. The successful bidder shall be liable, in accordance with the Indian Laws and Regulations for any accident or damage incurred or claims raised against RBI during the period of the work. The successful bidder shall also provide necessary CAR policy, WC policy and third-party liability insurance as may be necessary to cover the risk and should ensure all safety measures during the execution of work. No extra payment would be made to the successful bidder on this account.

16. इस संविदा के अलग-अलग भागों को संविदाकार ने पढ़ लिया है और पूरी तरह से समझ लिया है।

That the several parts of this Contract have been read by the Contractor and fully understood by the Contractor.

17. दिनांक \_\_\_\_\_ का कार्य आदेश संख्या \_\_\_\_\_

तथा ई-टेंडर संख्या **RBI/Andhra Pradesh Regional Office/Others/2/25-26/ET/36** करार के हिस्से के रूप में होंगे।

The work order no. \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_ and e-Tender **RBI/Andhra Pradesh Regional Office/ Others/2/25-26/ET/36** will form part of the agreement.

नियोक्ता और संविदाकार इस बारे में साक्ष्य स्वरूप अपने-अपने हस्ताक्षर किए और इसकी दो प्रतियाँ उक्त दिन और वर्ष को तैयार की गईं।

IN WITNESS WHEREOF the Employer and the Contractor have set their respective hands to these presents and two duplicates hereof the day and year first hereinabove written.

यदि संविदाकार एक साझेदारी फ़र्म या एक व्यक्ति हो

If the contractor is a partnership firm or an individual.

नियोक्ता और संविदाकार इस बारे में साक्ष्य स्वरूप अपने-अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के माध्यम से निष्पादित किए और संविदाकार ने इसकी दोनों प्रतियों पर अपनी सामान्य मुहर लगाई इसकी दो प्रतियों पर उसकी ओर से इन्हें उक्त दिन और वर्ष को निष्पादित किया गया।

IN WITNESS WHEREOF the Employer has set its hands to these presents through its duly authorized official and the Contractor has caused its common seal to be affixed hereunto and the said duplicate/ has caused these presents and the said two duplicate hereof to be executed on its behalf, the day and year first hereinabove written.

यदि संविदाकार एक कंपनी है तो

If the contractor is a company.

**हस्ताक्षर खंड/ Signature Clause**

भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से हस्ताक्षरित एवं सुपुर्द  
SIGNED AND DELIVERED by the Reserve Bank of India  
by the hand of

(नाम एवं पदनाम) / (Name and designation)

इनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किये गए / In the presence of

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

साक्षी / Witness

संविदाकार की ओर से हस्ताक्षरित एवं के हस्ते सुपुर्द SIGNED AND  
DELIVERED by the Contractor by the hand of

यदि पार्टी भागीदारी  
फर्म या वैयक्तिक हो  
तो सभी अथवा सभी  
भागीदारों की ओर से  
हस्ताक्षर किये जाने  
चाहिए।

इनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किये गए / In the presence of

(1)

पता / Address

If the party is  
partnership firm or  
an individual  
should be signed  
by all or on behalf  
of all the partners.

(2)

पता / Address

साक्षी / Witness

THE COMMON SEAL OF

निम्नलिखित की उपस्थिति में दिनांक ----- को संपन्न  
निदेशक बोर्ड की बैठक में पारित संकल्प के अनुसरण में इस पर--  
-----की कॉमन मुहर लगाई गई है।

Was hereunto affixed pursuant to the resolutions passed  
by its Board of Directors at the meeting held on  
\_\_\_\_\_ in the presence of

(1)

(2)

निदेशक, जिन्होंने निम्नलिखित की मौजूदगी में इसके प्रमाणस्वरूप इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं।

Directors who have signed these presents in token thereof in the presence of

(1)

(2)

यदि निविदाकार उसके कॉमन मुहर के अंतर्गत हस्ताक्षर करता है तो हस्ताक्षर खंड संस्था के अन्तर्नियमों में दिए गए मुहर खंड से मेल खाने चाहिए।

If the Contractor signs under its common seal, the signature clause should tally with the sealing clause in the Articles of Association.

विधिवत गठित अटर्नी एवं श्री

द्वारा हस्ताक्षरित एवं सुपुद

SIGNED AND DELIVERED BY the Contractor by the hand of Shri \_\_\_\_\_ and duly constituted attorney.

यदि संविदाकार चाहे कंपनी के रूप में या वैयक्तिक रूप में मुख्तारनामा के अंतर्गत हस्ताक्षर करता हो तो

If the Contractor is signing by hand of power of Attorney, whether a company or individual.

## खंड III निविदाकर्ताओं के लिए सामान्य निर्देश और विशेष शर्तें

### 3.0 निविदा प्रस्तुत करना

विजयवाड़ा में बैंक के कार्यालय भवन के लिए एक्स-रे बैगोज स्कैनर सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के कार्य के लिए ऑनलाइन ई-निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। निविदाएँ एमएसटीसी ई-कॉमर्स साइट पर ऑनलाइन तरीके से प्रस्तुत की जाएँगी।

निविदा के वाणिज्यिक नियमों एवं शर्तों में उल्लिखित दस्तावेज।

**3.1 केवल वे मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) निविदा में भाग लेने के लिए पात्र होंगे जिनके पास निम्नलिखित होंगे:**

- (i) फर्म एक्स-रे बैगोज स्कैनर सिस्टम का मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) होना चाहिए।
- (ii) बड़े कार्यालय भवनों / वाणिज्यिक एस्टेट / औद्योगिक घरानों के लिए एक्स-रे बैगोज स्कैनर सिस्टम की एसआईटीसी जैसे समान कार्य करने के क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव (31 अक्टूबर 2024 तक)।
- (iii) 31 अक्टूबर 2019 को या उसके बाद समान कार्य (एक्स-रे बैगोज स्कैनर सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग) सफलतापूर्वक निष्पादित किया हो, जिसकी अलग-अलग लागत निम्नानुसार हो:
  - (a) तीन कार्य जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 40% के बराबर से कम न हो। **या**
  - (b) दो कार्य जिनकी लागत अनुमानित लागत के 50% के बराबर से कम न हो। **या**
  - (c) एक कार्य जिसकी लागत अनुमानित लागत के 80% के बराबर से कम न हो। **और**
- (iv) निविदाकर्ताओं को स्पेयर पार्ट्स की बिक्री और समर्थन तथा बिक्री के बाद सेवा के लिए दस वर्षों के लिए ओईएम होना चाहिए (इसके प्रमाण के रूप में ईआईआरबी प्रमाण पत्र की प्रति के साथ समर्थित) और उनके पास 24X7 शिकायत दर्ज करने की सुविधा होनी चाहिए। **और**
- (v) निविदाकर्ताओं को कार्य के दायरे और मूल्य को दर्शाने वाले विस्तृत कार्य आदेश की प्रतियां और अर्हक कार्यों के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। निविदाकर्ताओं को (अनुलग्नक- IX) के अनुसार सभी विवरणों के साथ पूर्ण किए गए कार्यों की सूची भी प्रदान करनी चाहिए। **और**
- (vi) पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान न्यूनतम वार्षिक कारोबार ₹36.00 लाख होना चाहिए, जिसका समर्थन लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों से हो। **और**
- (vii) आवेदक के बैंकर द्वारा विशेष रूप से कार्य के प्रयोजन के लिए जारी किया गया बैंकर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसकी राशि ₹36.00 लाख होगी (अनुलग्नक-X) **और**
- (viii) विक्रय के बाद सेवा प्रदान करने के लिए विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में एक सेवा स्थापित की हो। **और**
- (ix) परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (ईआईआरबी) द्वारा जारी विकिरण प्रमाणपत्र होना चाहिए।

किसी फर्म द्वारा प्रस्तुत निविदा, जो उपरोक्त मानदंडों को पूरा नहीं करती पाई जाएगी, अस्वीकार कर दी जाएगी।

ऑनलाइन निविदा में भाग लेने की इच्छुक सभी फर्मों को निविदा खुलने की अंतिम तिथि से पहले ईएमडी जमा करानी होगी तथा उसकी स्कैन की हुई प्रति वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी।

**3.2** निविदा के बारे में किसी भी बात पर चर्चा/स्पष्टीकरण के लिए **23 अप्रैल 2025 को 11.00 बजे** मुख्य कार्यालय भवन, भारतीय रिज़र्व बैंक, आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद में तीसरी मंजिल पर एक बोली-पूर्व बैठक आयोजित की जाएगी। सभी इच्छुक निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे निविदा दस्तावेजों का अध्ययन करें और [skethineedi@rbi.org.in](mailto:skethineedi@rbi.org.in) पर ईमेल द्वारा बोली-पूर्व बैठक में भाग लेने की अपनी इच्छा बताएं।

उपरोक्त ईमेल पर पूर्व सूचना और बैंक से पुष्टि के साथ, इच्छुक निविदाकर्ताओं को कार्य और साइट का प्रथम अनुभव प्रदान करने के लिए साइट विजिट की सुविधा प्रदान की जाएगी।

**3.3** निविदाएं दो भागों में ऑनलाइन प्रस्तुत की जाएंगी। भाग I में प्रस्ताव के तकनीकी और वाणिज्यिक विवरण होंगे और भाग II में केवल कीमतें होंगी। जबकि भाग I उसी दिन 16:00 बजे खोला जाएगा और उसका तकनीकी मूल्यांकन किया जाएगा। सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाली और तकनीकी रूप से योग्य फर्मों को भाग II (मूल्य बोली) खोलने के लिए विचार किया जाएगा। भाग II को बाद की तारीख पर ऑनलाइन खोला जाएगा, जिसकी सूचना निविदाकर्ताओं को पहले से दी जाएगी।

**3.4** भारतीय रिज़र्व बैंक किसी भी या सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताए, पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक किसी भी फर्म की निविदा को स्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। निविदाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे केवल इकाई दर उद्धृत करें और राशि की गणना वेबसाइट द्वारा स्वचालित रूप से की जाएगी।

**3.5** निविदाकर्ता को एनईएफटी या डिमांड ड्राफ्ट या बैंक गारंटी के माध्यम से ₹72,000/- (बहत्तर हजार रुपये मात्र) की राशि बयाना राशि के रूप में देनी होगी, जो किसी अनुसूचित बैंक से भारतीय रिज़र्व बैंक, आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद के पक्ष में तैयार की गई हो। सफल निविदाकर्ता की बयाना राशि वर्चुअल पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने पर बिना किसी ब्याज के जारी कर दी जाएगी। असफल निविदाकर्ता की बयाना राशि कार्य दिए जाने के बाद बिना किसी ब्याज के उन्हें जारी कर दी जाएगी। सफल निविदाकर्ता के मामले में, यदि वह कार्य नहीं करता/अस्वीकार कर देता है और निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने में विफल रहता है, तो उसकी ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।

**3.6** निविदाएं, निविदा के भाग-I के खुलने की तारीख से 90 दिनों की अवधि के लिए वैध होंगी।

**3.7** उद्धृत दरों में सभी कर, शुल्क, परिवहन, पैकिंग, अग्रेषण, बीमा आदि शामिल होंगे और यह साइट पर विधिवत स्थापित और चालू किए गए पूरे कार्य के लिए होंगे। उद्धृत मूल्य निविदा की पूरी अवधि के लिए स्थिर रहेंगे और विदेशी मुद्रा में किसी भी बदलाव या किसी अन्य कर, शुल्क, शुल्क आदि के बदलाव के अधीन नहीं होंगे। बैंक द्वारा कोई आयात लाइसेंस प्रदान नहीं किया जाएगा। निविदाकर्ता कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक किसी भी भाग या घटकों के आयात के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करेंगे। निविदाकर्ता के पास जीएसटी पंजीकरण संख्या होनी चाहिए। निविदाकर्ताओं को केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा लगाए गए जीएसटी सहित अपनी दरें उद्धृत करनी चाहिए। बैंक ठेकेदार द्वारा प्रदान की गई सेवा के लिए जीएसटी के भुगतान के लिए जिम्मेदार नहीं है। कर प्राधिकरण को जीएसटी का भुगतान करना ठेकेदार की जिम्मेदारी है।

### **3.8 भाग I – तकनीकी और वाणिज्यिक**

**3.8.1** भाग I में बिना मूल्य वाली निविदा होगी जिसमें चित्र और दस्तावेज सहित पूर्ण तकनीकी विनिर्देश और वाणिज्यिक नियम व शर्तें शामिल होंगी, निविदा के तकनीकी पहलू जैसे उपकरण डेटा शीट, परीक्षण और निरीक्षण, सामग्री का तकनीकी विवरण, चित्र निम्नलिखित के साथ अपलोड किए जाएंगे:

**3.8.2** भारत में किसी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी एनईएफटी/डीडी/बैंक गारंटी (बीजी) के रूप में बयाना राशि।

**3.8.3** निविदा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के नाम पर कंपनी/फर्म की मुहर के साथ पावर ऑफ अटॉर्नी/प्राधिकरण।

**3.8.4** वाणिज्यिक नियमों और शर्तों में विचलन की सूची, यदि कोई हो

3.8.5 तकनीकी विनिर्देश में विचलन की सूची, यदि कोई हो।

3.8.6 कोई अन्य तकनीकी जानकारी जो निविदाकर्ता प्रस्तुत करना चाहता हो।

3.8.7 निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे निविदा देने से पहले स्थापना स्थल का दौरा करें और साइट की स्थिति से परिचित हो जाएं।

3.8.8 निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे निविदा दस्तावेजों में निहित संविदा की सामान्य शर्तों और तकनीकी विनिर्देशों के आधार पर ही निविदा प्रस्तुत करें, तथा किसी भी विचलन को निर्धारित न करें। यदि निविदा दस्तावेजों में दिए गए नियमों और शर्तों को स्वीकार करने से कोई मूल्य निहितार्थ होता है, तो उस पर विचार किया जाना चाहिए और उद्धृत मूल्य में शामिल किया जाना चाहिए। नियमों और शर्तों से विचलन वाली निविदा को अस्वीकार किया जा सकता है।

3.8.9 निविदाकर्ता को डिजाइन या प्रणाली के किसी भाग के संबंध में उनके द्वारा धारित या किसी तीसरे पक्ष द्वारा उपयोग किए गए पेटेंट, ट्रेडमार्क, पंजीकृत डिजाइन, बौद्धिक संपदा अधिकार, कॉपी राइट, औद्योगिक संपदा अधिकार का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करना होगा।

### 3.9 कार्य का दायरा

3.9.1 प्रस्तावित कार्य का दायरा इस निविदा दस्तावेज में दी गई मात्रा और विनिर्देशों की अनुसूची के अनुसार होगा। शामिल किए गए कार्यों की कुछ प्रमुख मदें नीचे सूचीबद्ध हैं (संक्षेप में):

- i. संपूर्ण कार्य के लिए सभी प्रकार से योजना बनाना, साइट सर्वेक्षण के अनुसार मात्राओं की डिजाइनिंग और अंतिम रूप देना, खरीद से पहले मात्राओं के लिए अनुमोदन प्राप्त करना।
- ii. निर्धारित मात्रा के अनुरूप सभी आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति (सामग्री के अनुमोदित ब्रांडों की सूची के अनुसार)।
- iii. संपूर्ण प्रणाली की स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग
- iv. कार्यस्थल पर वास्तविक कार्य के अनुसार चित्र तैयार करना  
मैनुअल आदि सहित दस्तावेजीकरण पूरा करना।  
बैंक के संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना
- vii. सिस्टम को बैंक को सौंपना

• एक्स-रे बैगेज निरीक्षण प्रणाली (एक्सबीआईएस) की स्थापना का निरीक्षण और प्रमाणन बैंक को सौंपने से पहले मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) द्वारा किया जाएगा।

3.9.2 निविदाकर्ता को अपनी निविदा में तकनीकी विनिर्देशों में मांगी गई जानकारी के अलावा सभी प्रासंगिक ब्रोशर/साहित्य आदि के साथ प्रणाली/उप प्रणालियों की कार्यप्रणाली का पूरा विवरण और उनकी बिजली आवश्यकताओं का उल्लेख करना चाहिए।

3.9.3 निविदाकर्ता विनिर्देशों की सावधानीपूर्वक जांच करेगा तथा स्वयं संतुष्ट होगा कि प्रस्तावित उपकरण बैंक के तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार उपयुक्त है।

3.9.4 निविदाकर्ता एक्सबीआईएस प्रणाली की स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए आवश्यक सभी उपकरण, संयंत्र, मचान, श्रम और उपभोग्य सामग्रियों आदि की आपूर्ति करेगा।

**3.10** निविदाकर्ता को अपनी निविदा में मानक औजारों, स्पेयर पार्ट्स का स्पष्ट उल्लेख करना होगा, जिन्हें वह उपकरण स्थापित करते समय निःशुल्क उपलब्ध कराएगा तथा कार्य पूरा होने के बाद उन्हें बैंक को सौंप देगा।



### 3.11 निविदा की वैधता

निविदा, मूल्य सहित, निविदा के भाग-I के खुलने की तिथि से 90 दिनों की अवधि के लिए वैध रहेगी, जिसे निविदाकर्ता द्वारा लिखित रूप में आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकता है तथा निविदाकर्ता इस अवधि के दौरान निविदा को रद्द या वापस नहीं लेगा।

### 3.12 न्यूनतम निविदा आवश्यक रूप से स्वीकार नहीं की जाएगी

3.12.1 बैंक न्यूनतम दर या किसी भी निविदा को स्वीकार करने या अस्वीकृति के लिए कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।

3.12.2 जिस निविदाकर्ता की निविदा स्वीकार नहीं की जाती है, वह निविदा प्रस्तुत करने के संबंध में उसके द्वारा किए गए किसी भी लागत, प्रभार, क्षति और व्यय का दावा करने का हकदार नहीं होगा, भले ही बैंक निविदा को संशोधित/वापस लेने का विकल्प चुन सकता है।

### 3.13 बयाना राशि, सुरक्षा जमा

3.13.1 इच्छुक निविदाकर्ता 72,000/- रुपये की राशि बयाना राशि के रूप में एनईएफटी/डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक, आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद को देय अनुसूचित बैंक से भुगतान करेंगे। वैकल्पिक रूप से, निविदाकर्ता संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार ईएमडी के लिए एक समान राशि के लिए अनुसूचित बैंक द्वारा जारी एक अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी भी प्रस्तुत कर सकता है। बैंक गारंटी अनुलग्नक-V में दिए गए प्रारूप में होगी और निविदा को खुला रखने के लिए निर्दिष्ट अवधि के लिए बिना भुगतान के रहेगी। यदि निविदाकर्ता, निविदा प्रस्तुत करने के बाद, अपने प्रस्ताव से विचलित होता है या उसके नियमों और शर्तों को संशोधित करता है, तो बैंक गारंटी/ईएमडी राशि लागू होने के लिए उत्तरदायी होगी।

3.13.2 डीडी/बैंक गारंटी या एनईएफटी विवरण के बिना निविदा अस्वीकार की जा सकती है। किसी भी परिस्थिति में बैंक की सावधि जमा या बीमा गारंटी या चेक के रूप में ईएमडी स्वीकार नहीं की जाएगी।

3.13.3 उपरोक्त बैंक गारंटी निविदा की स्वीकृति पर तथा संलग्न प्रारूप (संविदा-VI) में **सुरक्षा जमा के रूप में नई बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर** या निविदा की अस्वीकृति पर समाप्त हो जाएगी, लेकिन निविदा को वैध रखने की अवधि की समाप्ति तिथि से पहले नहीं।

3.13.4 यदि निविदा आमंत्रण बैंक द्वारा वापस ले लिया जाता है या रद्द कर दिया जाता है, जिसे किसी भी समय ऐसा करने का अधिकार होगा, तो बैंक गारंटी समाप्त हो जाएगी।

3.13.5 यदि सफल निविदाकर्ता सुरक्षा जमा राशि जमा करने में विफल रहता है, तो बैंक द्वारा उसके परिणामस्वरूप होने वाले किसी भी अन्य नुकसान या क्षति के लिए उत्तरदायी होने के पूर्वाग्रह के बिना ईएमडी के लिए बैंक गारंटी लागू की जाएगी। यदि आवश्यक हो, तो सफल निविदाकर्ता द्वारा सुरक्षा जमा राशि के लिए बैंक गारंटी जमा करने के लिए बैंक द्वारा निर्धारित तिथि तक ईएमडी के लिए बैंक गारंटी को उपयुक्त रूप से बढ़ाया जाएगा।

3.13.6 इस संविदा की शर्तों के तहत ठेकेदार द्वारा नियोक्ता को देय सभी मुआवजे या अन्य धनराशियां, यदि राशि ऐसा करने की अनुमति देती है, तो सुरक्षा जमा से काट ली जाएंगी, जब तक कि ठेकेदार बैंक द्वारा मांग नोटिस जारी करने के दस दिनों के भीतर ऐसी राशि नकद में जमा नहीं कर देता।

### 3.14 भारत में निर्माण को प्राथमिकता

(a) सार्वजनिक खरीद प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 23 जुलाई, 2020 के कार्यालय ज्ञापन (ओएम) एफ. संख्या 6/18/2019-पीपीडी के माध्यम से सम्मिलित जीएफआर 2017 के नियम 144(xi) का अनुपालन और इसके बाद के संशोधन इस कार्य के लिए निविदा आवश्यकता का एक हिस्सा होंगे। अनुलग्नक-III में दिए गए प्रारूप में अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत मुहरबंद और हस्ताक्षरित प्रस्तुत करनी होगी।

यदि बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत यह वचनबद्धता/घोषणा/प्रमाणपत्र झूठा पाया जाता है, तो उसकी निविदा/कार्य आदेश तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा, तथा बयाना राशि/निष्पादन बैंक गारंटी/सुरक्षा जमा को जब्त करने सहित कानून के अनुसार कोई भी कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है और बैंक बोलीदाता को भविष्य में बैंक द्वारा आमंत्रित निविदाओं में भाग लेने से भी रोक सकता है।

(b) भाग लेने वाले बोलीदाताओं को सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) पीपीपी-एमआईआई आदेश 2017 संशोधित - भारत सरकार के तहत खरीद वरीयता के लिए विचार किया जाएगा, बशर्ते कि वे स्वयं प्रमाणन प्रस्तुत करें और अन्य सभी दस्तावेज, भारत सरकार के उपरोक्त "पीपीपी-एमआईआई आदेश-2017 संशोधित" की शर्तों को पूरा करें।

### 3.15 वारंटी/दोष दायित्व अवधि और वार्षिक व्यापक रखरखाव सेवा संविदा:

आपूर्ति किए गए उपकरण को बैंक को उपकरण सौंपने की तिथि से कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए सभी प्रकार के दोषों के विरुद्ध गारंटी दी जाएगी। गारंटी अवधि के दौरान सिस्टम/उप-असेंबली में पाए गए किसी भी दोष को निविदाकर्ता द्वारा निःशुल्क सुधारा/बदला जाएगा। इस अवधि के दौरान, कम से कम **चार बार सर्विसिंग** और निर्माता द्वारा निर्धारित और आपसी सहमति के अनुसार किसी भी संख्या में ब्रेकडाउन कॉल पर ध्यान देना निःशुल्क किया जाएगा। निविदाकर्ता को यह भी बताना होगा कि वे स्थापना के स्थान पर कौन सी सेवा सुविधा प्रदान कर सकते हैं और उनके सेवा केंद्र का टेलीफोन नंबर और पता भी बताना होगा। निविदाकर्ता गारंटी अवधि की समाप्ति के बाद दायरे के अनुसार वार्षिक व्यापक रखरखाव सेवा संविदा के लिए अपने शुल्क भी अलग से उद्धृत करेंगे। संतोषजनक सेवा प्रदान करने पर छमाही आधार पर भुगतान किया जाएगा। सेवा संविदा दर में निकटतम सेवा स्टेशन से यात्रा लागत सहित सभी लागतों पर भी विचार किया जाएगा। यह एक आपातकालीन प्रणाली है, सिस्टम में किसी भी दोष को नीचे दिए गए सुधार समय के अनुसार सुधारा जाएगा, ऐसा न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

	प्रत्येक प्रणाली के लिए प्रतिक्रिया समय और जुर्माना	सुधार के लिए समय	जुर्माना
(ए)	कोई भी दोष जिसके परिणामस्वरूप सिस्टम पूरी तरह विफल हो जाए	24 घंटे	रु.1000/- प्रतिदिन
(बी)	स्वतंत्र उपकरणों, घटकों में कोई दोष	24 घंटे	रु.500/- प्रतिदिन

निविदाकर्ता सेवा केंद्र जैसे कि विजयवाड़ा में प्रस्तावित सिस्टम की सर्विसिंग की जाएगी, उस केंद्र पर कर्मचारियों की संख्या और उस केंद्र पर सिस्टम के लिए स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता आदि का विवरण देना होगा। आपूर्ति किए गए उपकरणों को **आभासी पूर्णता की तिथि** से एक वर्ष की अवधि के लिए सभी प्रकार के दोषों के विरुद्ध गारंटी दी जाएगी। गारंटी अवधि के दौरान सिस्टम/सब-असेंबली में पाए जाने वाले किसी भी दोष को निविदाकर्ता द्वारा बैंक को किसी अतिरिक्त लागत के बिना सुधारा/बदला जाएगा। दर में तिमाही अंतराल पर या उससे पहले निर्माता द्वारा निर्धारित और इस अवधि के दौरान आपसी सहमति के अनुसार सर्विसिंग शामिल होनी चाहिए।

a. निविदाकर्ता एक वर्ष की गारंटी अवधि की समाप्ति के बाद व्यापक वार्षिक रखरखाव सेवा के लिए अलग से अपने शुल्क भी उद्धृत करेंगे। व्यापक वार्षिक रखरखाव सेवा संविदा अवधि के दौरान, निर्माता द्वारा निर्धारित और आपसी सहमति के अनुसार तिमाही अंतराल पर या उससे पहले सर्विसिंग **किसी भी संख्या में ब्रेकडाउन कॉल** के अलावा की जाएगी।

संतोषजनक सेवा प्रदान करने और सेवा रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर व्यापक वार्षिक रखरखाव सेवा शुल्क का भुगतान अर्धवार्षिक आधार पर किया जाएगा।

b. व्यापक वार्षिक रखरखाव सेवा के शुल्क में सेवा संविदा अवधि के दौरान एक्स-रे बैगज के किसी भी हिस्से को बदलने का शुल्क भी शामिल होगा। एक्स-रे बैगज सिस्टम की सर्विसिंग की जाएगी।

c. सेवा संविदा को एक वर्ष की वारंटी के बाद एक वर्ष की प्रारंभिक वार्षिक सेवा संविदा अवधि के बाद कम से कम **छह वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाएगा।** संविदा को नवीनीकृत करते समय नई संविदा राशि निम्नलिखित सूत्र के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

$$A_c = A_p \{10 + 65 \times (EPI_c/EPI_p) + 25 \times (CPI_c/CPI_p)\} \times 1/100$$

AC	चालू वर्ष के लिए संविदा राशि
AP	पिछले वर्ष की संविदा राशि
EPI <sub>c</sub>	चालू वर्ष के लिए संविदा की आरंभ तिथि से 6 महीने पहले विद्युत उपकरण, उपकरणों और भागों के लिए थोक मूल्य सूचकांक
EPI <sub>p</sub>	पिछले वर्ष के लिए संविदा की आरंभ तिथि से 6 महीने पहले विद्युत उपकरण, उपकरणों और भागों के लिए थोक मूल्य सूचकांक
CPI <sub>c</sub>	औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (अखिल भारतीय औसत) चालू वर्ष के लिए संविदा की प्रारंभ तिथि से 6 महीने पहले
CPI <sub>p</sub>	औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (अखिल भारतीय औसत) पिछले वर्ष के लिए संविदा की प्रारंभ तिथि से 6 महीने पहले

### 3.16. निविदाओं का मूल्यांकन:

- दोष दायित्व/गारंटी अवधि के एक वर्ष की समाप्ति के बाद **सात वर्ष** की अवधि के लिए व्यापक सेवा संविदा के लिए उद्धृत दरों के प्रभाव को ध्यान में रखा जाएगा।
- निविदा प्रस्तावों का मूल्यांकन स्वामित्व की कुल लागत के आधार पर किया जाएगा, जिसमें एक वर्ष की प्रारंभिक वारंटी अवधि के बाद सात वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक व्यापक रखरखाव सेवा संविदा शुल्क की पूंजी लागत और शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) पर विचार किया जाएगा। उक्त एनपीवी में शामिल होंगे:

Cost of X- Ray Baggage Scanner Systems	Say (A)
NPV of comprehensive annual maintenance Service contract charges for the period of 07 years after 1-year defect liability period shall be calculated assuming 5% increase in contract amount every year after first year of AMC, half yearly payment and with a discount rate of 8%. Thus, the <i>Multiplied Factor (MF) for working out NPV of AMC for 07 years after (1-year guarantee period) shall be</i> (F =5.6321).	Say (C)
Note: (i) AMC amount for calculating the NPV shall be taken as quoted in the Part II of the tender <b>OR</b> 5 % (as per industry practice) of the capital cost of only X-Ray Baggage Scanner system whichever is higher.	
(ii) Payment for AMC shall, however, be made strictly as per rates and amounts quoted in the Part II of tender under head of AMC.	

NPV of Owning the X- Ray Baggage Scanner System for 8 years of useful service life shall be worked out as $[(A) + \{AMC \text{ rate}(C) \times MF\}]$	Say (D)
The work will be awarded for the lowest value of (D) above.	

**Total Cost of Ownership = Capital Cost + 5.6321\*AMC Rate**

### 3.17 एक्स-रे बैगेज प्रणाली का परीक्षण :

स्थल पर उपकरण भेजने से पहले, उपकरण का निर्माता की साइट पर बैंक के इंजीनियर द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है और फिर शिपमेंट के लिए मंजूरी दी जा सकती है। ठेकेदार अपने स्वयं के खर्च पर, निरीक्षक को सभी उचित सुविधाएं प्रदान करेगा जो उसे संतुष्ट करने के लिए आवश्यक हो सकती हैं, कि उपकरण/कार्य का निष्पादन इन निविदा दस्तावेजों में संलग्न विशेष विनिर्देशों में निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार किया जा रहा है और/या किया गया है। बैंक के इंजीनियर को संविदा के निष्पादन के दौरान किसी भी समय ठेकेदार के कार्यों या साइट पर पूर्ण और स्वतंत्र पहुंच होगी, यदि कार्य का निष्पादन पूर्वोक्त उद्देश्य के लिए किया जाता है, और वह ठेकेदार से अपने परिसर में या बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य स्थान पर निरीक्षण या कार्य या उसके किसी भाग या किसी सामग्री की व्यवस्था करने की मांग कर सकता है और यदि ठेकेदार को उप-ठेकेदार की सेवा लेने की अनुमति दी गई है, तो बैंक के इंजीनियर के लिए भी ऐसा ही अधिकार सुरक्षित है।

हालांकि, यह किसी भी तरह से ठेकेदार को निर्दिष्ट स्थल पर स्थापना और कमीशनिंग के बाद सिस्टम/घटकों के उचित प्रदर्शन के बारे में उसकी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करेगा।

**3.17.1 निरीक्षण की लागत:** - ठेकेदार बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के सभी सामग्रियाँ, उपकरण, श्रम और हर तरह की सहायता प्रदान करेगा, जिसकी माँग बैंक के इंजीनियर किसी भी परीक्षण/निरीक्षण और जाँच के लिए कर सकते हैं, जिसे ठेकेदार के परिसर में किया जाना चाहिए और उस पर होने वाली सभी लागतों का भुगतान करेगा। हालाँकि, निरीक्षण स्थल तक बैंक के इंजीनियर (इंजीनियरों) की यात्रा, भोजन और ठहरने की लागत बैंक द्वारा वहन की जाएगी।

**3.17.2 परीक्षण की विधि:** - बैंक के इंजीनियर को यह अधिकार होगा कि वह सभी उपकरणों और सामग्रियों को, जो बैंक का हिस्सा हों या उसके किसी भाग को, ऐसे परीक्षणों से गुज़ार सकता है, जैसा वह उचित और उचित समझे। ठेकेदार को निरीक्षक द्वारा अपनाई गई परीक्षण विधि पर किसी भी आधार पर आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा।

**3.17.3 निष्पादन प्रमाणित करने के लिए निरीक्षक प्राधिकारी:** - बैंक के इंजीनियर के पास निम्नलिखित शक्ति होगी:

- किसी भी उपकरण या उसके किसी भाग को निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करने से पहले यह प्रमाणित किया जाएगा कि वे या उनका कोई भाग निर्माण की किसी असंतोषजनक विधि को अपनाने के कारण संविदा के अनुरूप नहीं है।
- प्रस्तुत किसी भी उपकरण या भाग को विनिर्देश के अनुरूप न होने के कारण अस्वीकार करना।
- निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए सम्पूर्ण उपकरण को अस्वीकार कर देना, यदि उसके किसी भाग के निरीक्षण के पश्चात, जैसा कि वह अपने विवेकानुसार ठीक समझे, वह संतुष्ट हो जाए कि वह असंतोषजनक है; तथा
- अस्वीकृत उपकरण या भागों पर अस्वीकृति चिह्न लगाना ताकि पुनः प्रस्तुत करने पर उन्हें आसानी से पहचाना जा सके।

**3.17.4 अस्वीकृति का परिणाम:** यदि उपकरण या उपकरण या उसके किसी भाग को बैंक के इंजीनियर द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो ठेकेदार संतोषजनक आपूर्ति करने में विफल रहता है या डिलीवरी/समापन अवधि की निर्धारित अवधि के भीतर निष्पादित दोषपूर्ण कार्य को सुधारने में विफल रहता है, तो बैंक को निम्नलिखित की स्वतंत्रता होगी:

i) ठेकेदार को अस्वीकृत उपकरणों या भागों के स्थान पर निर्दिष्ट समय के भीतर पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति देना, तथा ऐसे प्रतिस्थापन पर माल ढुलाई की लागत, यदि कोई हो, ठेकेदार को वहन करनी होगी, तथा उस मद में कोई अतिरिक्त भुगतान पाने का हकदार नहीं होगा; या

ii) अस्वीकृत उपकरण या भागों या समान विवरण के अन्य भागों (जब उपकरण या भागों विनिर्देशों के बिल्कुल अनुरूप न हों, जो बैंक की राय में अंतिम, आसानी से उपलब्ध होंगे) की मात्रा/कार्य की खरीद/निष्पादन या खरीद/निष्पादन को अधिकृत करना, ठेकेदार को उसके जोखिम और लागत पर और संविदा के तहत आपूर्ति के संबंध में ठेकेदार की देयता को प्रभावित किए बिना; या

iii) संविदा को रद्द करें और ठेकेदार के जोखिम और लागत पर उपकरण या समान विवरण के अन्य उपकरणों की खरीद/निष्पादन या खरीद/निष्पादन को अधिकृत करें (जब उपकरण या भाग विनिर्देशों के बिल्कुल अनुरूप न हों, बैंक की राय में, जो अंतिम होगा, आसानी से उपलब्ध होगा)। उपरोक्त खंड (बी) या इस खंड के तहत कार्रवाई किए जाने की स्थिति में डिलीवरी खंड का प्रावधान लागू होता है।

**3.17.5** अस्वीकृति के संबंध में बैंक इंजीनियर का निर्णय अंतिम होगा:- अस्वीकृति के संबंध में बैंक इंजीनियर का निर्णय अंतिम होगा तथा ठेकेदार की अपील के अधीन ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा।

### **3.18 भुगतान की शर्तें**

इस संविदा के अंतर्गत निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के लिए भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा तथा भुगतान के तरीके में कोई परिवर्तन भारतीय रिज़र्व बैंक को स्वीकार्य नहीं होगा।

• साइट पर सामग्री की प्राप्ति और निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर उद्धृत दर का 60% आनुपातिक रूप से:

i) निर्माता का निरीक्षण और परीक्षण प्रमाणपत्र

ii) ठेकेदार का प्रमाण पत्र कि रखरखाव सहित प्रणालियों की सफल स्थापना, कमीशनिंग और परीक्षण के लिए सभी घटक, भाग, उप प्रणालियां, उपभोग्य वस्तुएं आदि साइट पर अच्छी स्थिति में प्राप्त हो गई हैं और यदि स्थापना, कमीशनिंग और परीक्षण के दौरान कोई कमी पाई जाती है तो उन्हें बैंक को मुफ्त में आपूर्ति की जाएगी।

iii) भंडारण, स्थापना, कमीशनिंग, परीक्षण और सौंपने के दौरान सभी जोखिमों को कवर करने वाली बीमा पॉलिसियाँ, जिसमें कोविड-19 संबंधित बीमा पॉलिसी सहित तीसरे पक्ष की देनदारियाँ भी शामिल हैं।

• निर्माण, परीक्षण, कमीशनिंग और सौंपने के लिए उद्धृत दर का 20% आनुपातिक। (एक्सबीआईएस प्रणाली की स्थापना का निरीक्षण और प्रमाणन ठेकेदार द्वारा सौंपने से पहले किया जाएगा।)

• निर्माण, परीक्षण, कमीशनिंग और सौंपने के लिए उद्धृत दर का 20% आनुपातिक। (एक्सबीआईएस प्रणाली की स्थापना का निरीक्षण और प्रमाणन ठेकेदार द्वारा सौंपने से पहले किया जाएगा।)

• कार्य की उद्धृत दर का शेष 20% संपूर्ण प्रणाली को सौंपने के बाद जारी किया जाएगा, बशर्ते कि पांच वर्षों तक वैध समान राशि का बैंक गारंटी (खंड 3.18.1 के अनुसार) प्रस्तुत किया जाए।

3.18.1 संविदा की शर्तों और दायित्वों, गारंटी अवधि और उपकरण के पूरे जीवन चक्र के लिए सेवा संविदा की उचित पूर्ति के लिए ली गई संविदा राशि के 20% की बैंक गारंटी को पाँच साल (1 साल की वारंटी/डीएलपी और चार साल की एएमसी) के अंत तक नवीनीकृत किया जाएगा। इसके बाद, बैंक गारंटी की राशि संविदा राशि के दस प्रतिशत (10%) तक कम हो जाएगी और नई बैंक गारंटी को आगे तीन साल के लिए नवीनीकृत किया जाएगा, यानी एक्स-रे बैगेज के अनुमानित जीवन के अंत तक।

### **3.19 बीमा**

ठेकेदार को बैंक को प्रणाली सौंपने तक सभी प्रकार के जोखिमों को कवर करने के लिए अपनी लागत पर बैंक और ठेकेदार (बैंक का पहला नाम) के संयुक्त नामों से सभी बीमा कराने होंगे और इसमें निम्नलिखित जोखिम शामिल होंगे।

- भंडारण, निर्माण, परीक्षण और कमीशन नीति।
- कार्यस्थल पर ठेकेदार के कर्मचारियों के लिए श्रमिक मुआवजा नीति।
- कुल 10 लाख रुपये की तृतीय पक्ष देयता पॉलिसी, जिसकी सीमा प्रति दुर्घटना 2 लाख रुपये है।

**टिप्पणी:** ये पॉलिसियाँ कार्य पूरा होने तक वैध रहेंगी। यदि ठेकेदार ये पॉलिसियाँ उपलब्ध नहीं कराता है, तो बैंक को यह अधिकार है कि वह स्वयं उपरोक्त बीमा पॉलिसियाँ ले तथा ठेकेदार के बिल से उसकी लागत वसूल करे।

### 3.20 समापन अवधि

3.20.1 ज्ञापन में उल्लिखित कार्य को पूरा करने के लिए दी गई समय-सीमा का ठेकेदार द्वारा सख्ती से पालन किया जाएगा और इसे कार्य शुरू करने के लिए लिखित आदेश जारी होने के 10<sup>वें</sup> दिन से माना जाएगा। संविदा की निर्धारित अवधि के दौरान कार्य को पूरी तत्परता से पूरा किया जाएगा और यदि ठेकेदार निर्दिष्ट अवधि के भीतर कार्य पूरा करने में विफल रहता है, तो उसे संविदा के "इसमें पहले संदर्भित परिशिष्ट" में परिभाषित परिसमाप्त क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होगा।

3.20.2 ठेकेदार को आशय पत्र के दसवें दिन से अनुबंधित पूर्णता अवधि के भीतर कार्य पूरा करने के लिए एक बार चार्ट प्रस्तुत करना होगा। इस चार्ट में साइट पर सामग्री की आपूर्ति की तारीख, कार्य की मदवार पूर्णता आदि जैसी सभी गतिविधियाँ शामिल होंगी और बैंक की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

3.20.3 बैंक भवन के परिसर में लॉक करने योग्य भंडारण स्थान उपलब्ध कराएगा। हालांकि, संग्रहीत सामग्री की जिम्मेदारी और सुरक्षा ठेकेदार की होगी। बैंक द्वारा किसी भी कर्मचारी के लिए कोई आवास उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

### 3.21 पैकिंग और डिस्पैच

उपकरण को बक्सों में उचित और सुरक्षित तरीके से पैक किया जाना चाहिए और भारतीय परिस्थितियों के अनुसार समुद्र/हवाई/रेल/सड़क मार्ग से कई बार हैंडलिंग और परिवहन हेतु तैयार किया जाना चाहिए। सभी उपकरण/घटक बैंक के कार्यालय भवन, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में सुपुर्द किए जाएंगे।

### 3.22 संविदा समझौते पर हस्ताक्षर

3.22.1 निविदाकर्ताओं के लिए सामान्य अनुदेश और विशेष शर्तें, पूर्व में संदर्भित संविदा की शर्तें और निविदा दस्तावेजों के साथ संलग्न तकनीकी विनिर्देश और चित्र, बैंक और निविदाकर्ता के बीच आदान-प्रदान किया गया पत्राचार और दिया गया कार्य आदेश सफल निविदाकर्ता के साथ किए जाने वाले अंतिम संविदा का आधार होगा।

3.22.2 निविदाकर्ता को संविदा की सामान्य शर्तों में दिए गए नियमों और शर्तों को ध्यान से पढ़ना होगा और उसका प्रस्ताव पूरी तरह से उसमें निर्दिष्ट शर्तों के अनुरूप होगा। निर्दिष्ट नियमों और शर्तों से कोई विचलन स्वीकार्य नहीं होगा। निविदा दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए ताकि वे संविदा की सामान्य शर्तों, तकनीकी विनिर्देशों आदि से खुद को परिचित कर सकें।

3.22.3 किसी फर्म की ओर से प्रस्तुत निविदा पर फर्म के सभी भागीदारों या ऐसे भागीदार द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, जिसके पास प्रस्तावित संविदा में निष्पादित करने के लिए फर्म की ओर से आवश्यक प्राधिकार हो। अन्यथा निविदा को अस्वीकार किया जा सकता है।

3.22.4 बैंक से अपनी निविदा की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर, सफल निविदाकर्ता संविदा को क्रियान्वित करने के लिए बाध्य होगा और उसके चौदह दिनों के भीतर, सफल निविदाकर्ता मसौदा समझौते के अनुसार एक समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। समझौते पर हस्ताक्षर करने के बावजूद, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किसी निविदा की लिखित स्वीकृति अपने आप में

भारतीय रिज़र्व बैंक और निविदा देने वाले व्यक्ति के बीच एक बाध्यकारी करार होगा, चाहे ऐसा संविदा बाद में निष्पादित हो या न हो।

3.22.5 ठेकेदार संविदा को किसी और को नहीं सौंपेगा। वह नियोक्ता की लिखित सहमति के बिना संविदा के किसी भी हिस्से को किराए पर नहीं देगा। इन शर्तों के उल्लंघन के मामले में, नियोक्ता संविदा को रद्द करने के लिए ठेकेदार को लिखित रूप में नोटिस दे सकता है, जिसके बाद सुरक्षा जमा नियोक्ता द्वारा जब्त कर लिया जाएगा, ठेकेदार के खिलाफ उसके अन्य उपायों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

### 3.23 भाषा

निविदा में चित्र, दस्तावेज, कैटलॉग आदि के सभी लेबल अंग्रेजी में होंगे।

### 3.24 आंशिक निविदा स्वीकार करने का अधिकार

बैंक निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत मूल्य पर निविदा को पूर्णतः या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

### 3.25 ड्राइंग

प्रवेश द्वार पर उपकरण की व्यवस्था के लिए सभी आवश्यक ड्राइंग निविदाकर्ता द्वारा तैयार किए जाने चाहिए तथा कार्य शुरू होने से पहले बैंक के इंजीनियर के पास अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

### 3.26 अन्य मुद्दे

3.26.1 ठेकेदार को सभी कार्य बैंक के इंजीनियर द्वारा स्वीकृत ड्राइंग, विस्तृत विनिर्देशों और निर्देशों के अनुसार ही करना होगा। यदि बैंक के इंजीनियर/परामर्शदाता की राय में साइट की स्थिति के अनुरूप मामूली बदलाव करने की आवश्यकता है और नियोक्ता की लिखित पूर्व स्वीकृति के साथ, ठेकेदार बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के ऐसा करेगा।

3.26.2 निविदाकर्ता को अपनी जिम्मेदारी पर और अपने खर्च पर वह सारी जानकारी प्राप्त करनी होगी जो निविदा बनाने और संविदा करने के लिए आवश्यक हो सकती है और उसे चित्रों की जांच करनी होगी, कार्य स्थल का निरीक्षण करना होगा और सभी स्थानीय स्थितियों, कार्य तक पहुंचने के साधनों, कार्य की प्रकृति और उससे संबंधित सभी मामलों से खुद को परिचित करना होगा। ऐसे मामलों में नियोक्ता का निर्णय अंतिम होगा और मध्यस्थता के लिए विकल्प नहीं होगा।

3.26.3 प्रत्येक कार्य के संबंध में संभावित मात्राओं की अनुसूची और विनिर्देश इन विशेष शर्तों के साथ दिए गए हैं। संभावित मात्राओं की अनुसूची नियोक्ता के विवेक पर छूट, कटौती या परिवर्धन द्वारा परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। प्रत्येक निविदा में न केवल दरें होनी चाहिए बल्कि कार्य के प्रत्येक आइटम का मूल्य भी एक अलग कॉलम में दर्ज किया जाना चाहिए और संपूर्ण निविदा का कुल मूल्य दिखाने के लिए सभी मदों का योग किया जाना चाहिए।

3.26.4 निविदा में उद्धृत दरों में मचान, रात्रि में निगरानी और प्रकाश व्यवस्था के साथ-साथ रविवार और छुट्टियों सहित दिन में, अन्य सभी निर्माणों, मामलों या चीजों की सुरक्षा के लिए सभी शुल्क शामिल होंगे और ठेकेदार किसी भी या सभी सेंट्रिंग, मचान आदि को हटा देगा या हटा देगा, जैसा कि अवसर की आवश्यकता होगी या ऐसा करने का आदेश दिया जाएगा, और कार्य के निष्पादन के दौरान बाधित सभी मामलों और चीजों को पूरी तरह से बहाल करेगा और बैंक की संतुष्टि के लिए ठीक करेगा।

3.26.5 ठेकेदार काम शुरू करने या निष्पादित करने में देरी के कारण उसे हुए किसी भी नुकसान के लिए किसी भी मुआवजे का हकदार नहीं होगा, चाहे देरी का कारण कुछ भी हो, जिसमें उसे सौंपे गए काम में संशोधन या उससे जुड़े किसी उप-संविदा या परियोजना के अन्य ट्रेडों के लिए संविदा देने या ऐसे कामों को शुरू करने या पूरा करने में होने वाली देरी शामिल



है। नियोक्ता निविदा राशि के अलावा किसी भी राशि के लिए देयता स्वीकार नहीं करता है, बशर्ते कि इसमें दिए गए बदलावों के अधीन हो।

3.26.6 सफल निविदाकर्ता कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक सभी कार्य करने के लिए बाध्य है, भले ही ऐसी वस्तुएं मात्रा और दरों में शामिल न हों। ऐसी अतिरिक्त वस्तुओं और उनकी मात्राओं के संबंध में अनुदेश की अनुसूची बैंक द्वारा लिखित रूप में जारी की जाएगी।

3.26.7 सफल निविदाकर्ता को बैंक द्वारा नियुक्त अन्य ठेकेदारों के साथ सहयोग करना होगा ताकि कार्य कम से कम विलंब के साथ सुचारू रूप से आगे बढ़ सके।

3.26.8 सफल निविदाकर्ता बैंक परिसर में प्रवेश करने वाले अपने कर्मचारियों के लिए पीपीई (व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण) उपलब्ध कराएगा और बैंक परिसर के अंदर व्यक्तिगत सुरक्षा, पीपीई के उपयोग से संबंधित बैंक के सभी निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करेगा।

**3.27 निविदाकर्ता के पास विजयवाड़ा में सेवा सुविधा होनी चाहिए।**

**3.28 संविदा या कार्यों के निष्पादन से संबंधित या उससे संबंधित किसी भी प्रकार के सभी विवाद और मतभेद (चाहे कार्य की प्रगति के दौरान या उनके पूरा होने के बाद और संविदा के परित्याग या उल्लंघन के निर्धारण से पहले या बाद में) बैंक को संदर्भित किए जाएंगे और उनके द्वारा निपटाए जाएंगे, जो लिखित रूप में अपना निर्णय बताएगा।** ऐसा निर्णय अंतिम प्रमाण पत्र के रूप में या अन्यथा हो सकता है। किसी भी अपवादित मामले के संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और इसमें अपील नहीं होगी, जैसा कि इसमें कहा गया है। लेकिन यदि ठेकेदार किसी भी मामले पर असंतुष्ट है, जिस पर बैंक द्वारा उपर्युक्त रूप से निर्णय लिया गया है, तो अपेक्षित मामलों को छोड़कर, ठेकेदार ऐसे निर्णय की सूचना प्राप्त करने के 28 दिनों के भीतर दूसरे पक्ष को लिखित नोटिस दे सकता है, जिसमें यह मांग की जाएगी कि विवादित मामलों पर मध्यस्थता की जाए। ऐसे लिखित नोटिस में उन मामलों को निर्दिष्ट किया जाएगा, जो विवाद या मतभेद में हैं, जिनके बारे में ऐसा लिखित नोटिस दिया गया है। यदि दोनों पक्ष सहमत हैं, तो इस उद्देश्य के लिए एक ही मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा। यदि एकल मध्यस्थ की नियुक्ति पर कोई सहमति नहीं बन पाती है, तो दोनों पक्ष अपनी ओर से एक-एक व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नामित करेंगे। पक्षों द्वारा नामित दो मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए एक और व्यक्ति को नामित करेंगे।

मध्यस्थ या मध्यस्थों को, जैसा भी मामला हो, किसी भी प्रमाण पत्र, राय, निर्णय, मांग या नोटिस को खोलने, समीक्षा करने और संशोधित करने की शक्ति होगी, सिवाय पूर्ववर्ती खंड में निर्दिष्ट अपवादित मामलों के संबंध में, और विवादित सभी मामलों को निर्धारित करने की शक्ति होगी, जिन्हें मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किया जाएगा और जिनके बारे में पूर्वोक्त रूप से सूचना दी गई है। मध्यस्थ संदर्भ में प्रवेश करने की तारीख से एक वर्ष (या ऐसे अतिरिक्त विस्तारित समय के भीतर जो उनके द्वारा या उनके द्वारा पक्षों की सहमति से तय किया जा सकता है) के भीतर अपना निर्णय देंगे। यदि मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान पक्षकार आपसी सहमति से अपने विवाद या मतभेद को सुलझा लेते हैं या करार कर लेते हैं, तो पक्षों द्वारा समझौते या समझौते का संयुक्त ज्ञापन दाखिल करने पर, मध्यस्थ या मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो, ऐसे समझौते या समझौते के अनुसार निर्णय देंगे।

ऐसे किसी संदर्भ पर, संदर्भ और पंचाट से संबंधित लागत पर निर्णय, जैसा भी मामला हो, मध्यस्थ या मध्यस्थों के विवेक पर होगा, जो उसकी राशि निर्धारित कर सकते हैं या पक्षकार और पक्षकार के बीच उस पर कर लगाने का निर्देश दे सकते हैं और निर्देश देंगे कि उसे किसके द्वारा और किसको और किस तरीके से वहन किया जाएगा और भुगतान किया जाएगा।

यह प्रस्तुति भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 या उसके किसी वैधानिक संशोधन के अर्थ में मध्यस्थता के लिए प्रस्तुति मानी जाएगी।

मध्यस्थ या मध्यस्थों का निर्णय, जैसा भी मामला हो, अंतिम होगा और पक्षों पर बाध्यकारी होगा। यह सहमति हुई है कि ठेकेदार किसी भी ऐसे मामले, प्रश्न या विवाद के कारण कार्य को पूरा करने में देरी नहीं करेगा, जिसे मध्यस्थता के लिए भेजा जा रहा है, बल्कि सभी उचित परिश्रम के साथ कार्य को आगे बढ़ाएगा और मध्यस्थ या मध्यस्थों के निर्णय, जैसा भी मामला हो, दिए जाने तक

बैंक के निर्णय का पालन करेगा। मध्यस्थ या मध्यस्थों का कोई भी निर्णय, जैसा भी मामला हो, ठेकेदार को कार्यों के वास्तविक कार्यान्वयन के संबंध में बैंक के निर्देशों का सख्ती से पालन करने के अपने दायित्वों से मुक्त नहीं करेगा। नियोक्ता और ठेकेदार इसके द्वारा यह भी सहमत हैं कि इस खंड के तहत मध्यस्थता संविदा के तहत कार्रवाई के किसी भी अधिकार के लिए एक पूर्व शर्त होगी।

### **3.29 कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम का खंड:**

ए) बैंक परिसर में किसी कर्मचारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की शिकायत होने पर फर्म पूर्णतः जिम्मेदार होगी, शिकायत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय समिति के समक्ष दर्ज की जाएगी तथा बैंक शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के अंतर्गत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।

(ख) बैंक/डीआईसीजीसी के किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध फर्म के किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा की गई यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का संज्ञान बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा लिया जाएगा।

ग) यदि घटना में फर्म के कर्मचारी शामिल हों तो फर्म को किसी भी मौद्रिक क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होना होगा, उदाहरण के लिए बैंक के कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की मौद्रिक राहत, यदि फर्म के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा सिद्ध हो जाती है।

घ) फर्म अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगी।

ई) फर्म को बैंक परिसर में तैनात अपने कर्मचारियों की पूर्ण एवं अद्यतन सूची उपलब्ध करानी होगी।

### **3.30 गैर-प्रकटीकरण खंड:**

ठेकेदार बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरणों आदि की कोई भी जानकारी, सामग्री और विवरण किसी तीसरे पक्ष को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं करेगा, जो इस समझौते के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन करने के दौरान ठेकेदार के कब्जे या ज्ञान में आ सकता है और हर समय उसे सबसे सख्त गोपनीयता में रखेगा। ठेकेदार संविदा के विवरण को निजी और गोपनीय रखेगा, सिवाय इसके कि इसके तहत दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक हो। ठेकेदार नियोक्ता की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पेपर या अन्यत्र कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित नहीं करेगा, प्रकाशित करने की अनुमति नहीं देगा या प्रकट नहीं करेगा। ठेकेदार किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप नियोक्ता को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा। उपरोक्त का पालन न करने को ठेकेदार की ओर से संविदा का उल्लंघन माना जाएगा और नियोक्ता क्षतिपूर्ति का दावा करने और कानूनी उपायों का पालन करने का हकदार होगा। ठेकेदार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इस समझौते के तहत गोपनीय जानकारी के गैर-प्रकटीकरण के दायित्वों को पूरी तरह से संतुष्ट किया गया है। गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में ठेकेदार के दायित्व, किसी भी कारण से इस संविदा की समाप्ति या समाप्ति के बाद भी बने रहेंगे।

### **3.31 सुरक्षा कोड**

3.31.1 प्राथमिक चिकित्सा उपकरण, जिनमें रोगाणुरहित ड्रेसिंग और रूई की पर्याप्त आपूर्ति शामिल है, आसानी से सुलभ स्थान पर रखे जाएंगे।

3.31.2 यदि चोट के कारण अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक हो तो घायल व्यक्ति को बिना समय गंवाए सार्वजनिक अस्पताल ले जाया जाएगा।

3.31.3 उन सभी कार्यों के लिए कामगारों के लिए उपयुक्त और मजबूत मचान उपलब्ध कराए जाने चाहिए, जिन्हें जमीन से सुरक्षित रूप से नहीं किया जा सकता।

3.31.4 कोई भी पोर्टेबल सिंगल सीढ़ी 8 मीटर से ज़्यादा लंबी नहीं होगी, साइड रेल के बीच की चौड़ाई 30 सेमी (स्पष्ट) से कम नहीं होगी और दो आसन्न सीढ़ियों के बीच की दूरी 30 सेमी से ज़्यादा नहीं होगी। जब सीढ़ी का इस्तेमाल किया जाता है, तो सीढ़ी को पकड़ने के लिए एक अतिरिक्त मज़दूर लगाया जाएगा।

3.31.5 खोदी गई सामग्री को खाई के किनारे से 1.5 मीटर या खाई की गहराई के आधे हिस्से के भीतर नहीं रखा जाएगा, जो भी अधिक हो। सभी खाइयों और खुदाई के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई एक मीटर होगी।

3.31.6 किसी भवन के फर्श या कार्य मंच के प्रत्येक खुले स्थान पर व्यक्तियों या सामग्रियों के गिरने से बचाव के लिए उपयुक्त बाड़ या रेलिंग लगाई जाएगी, जिसकी न्यूनतम ऊंचाई एक मीटर होगी।

3.31.7 किसी भी फर्श, छत या संरचना के अन्य भाग पर इतना अधिक मलबा या सामग्री नहीं होनी चाहिए कि वह असुरक्षित हो जाए।

3.31.8 डामर, सीमेंट, मोर्टार या कंक्रीट और चूना मोर्टार जैसी सामग्री को मिलाने और संभालने वाले श्रमिकों को सुरक्षात्मक जूते और रबर के दस्ताने प्रदान किए जाएंगे।

3.31.9 वेल्डिंग कार्य में लगे व्यक्तियों को वेल्डर की सुरक्षात्मक आँख-ढाल और दस्ताने प्रदान किए जाएंगे।

3.31.10 सीसा या सीसा उत्पादों वाले किसी भी पेंट का उपयोग पेस्ट या रेडीमेड पेंट के रूप में ही किया जाएगा।

3.31.11 जब पेंट को स्प्रे के रूप में लगाया जाता है या लेड पेंट वाली सतह को सूखाकर रगड़ा और खुरच कर हटाया जाता है, तो श्रमिकों के उपयोग के लिए उपयुक्त फेस मास्क की आपूर्ति की जानी चाहिए।

3.31.12 कार्य में प्रयुक्त उत्पादक मशीनें और उपकरण, उनके संलग्नक, लंगर और सहारे सहित, उत्तम स्थिति में होंगे।

3.31.13 सामग्री को ऊपर उठाने या नीचे उतारने या निलंबन के साधन के रूप में उपयोग की जाने वाली रस्सियाँ टिकाऊ गुणवत्ता और पर्याप्त शक्ति की होंगी तथा दोषों से मुक्त होंगी।

मैं/हम घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने निविदाकर्ताओं के मार्गदर्शन के लिए उपरोक्त अनुदेशों को पढ़ और समझ लिया है।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

पता  
तारीख

## धारा IV - इसके बाद संदर्भित शर्तें

### 4.1 व्याख्या खंड

1. इन शर्तों, विनिर्देशों, मात्राओं की अनुसूची और संविदा समझौते को परिभाषित करते समय, निम्नलिखित शब्दों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें इसमें दिए गए हैं, सिवाय इसके कि जहां विषय या संदर्भ अन्यथा अपेक्षित हो।

(ए)	"नियोक्ता"	इसका आशय भारतीय रिज़र्व बैंक से होगा तथा इसमें उसके नियुक्तकर्ता और उत्तराधिकारी शामिल होंगे।
(बी)	"ठेकेदार" (साझेदारी के मामले में)	"ठेकेदार" का अर्थ होगा _____ और _____ जो _____ नाम और शैली में व्यापार करता है और जिसका व्यवसाय स्थान _____ है और इसमें उक्त फर्म के वर्तमान साझेदार और मृतक साझेदार के कानूनी प्रतिनिधि शामिल होंगे।
	(व्यक्तिगत मामले में)	"ठेकेदार" से तात्पर्य श्री _____ से है जो नाम और शैली में व्यापार करता है और इसमें उसके उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी और कानूनी प्रतिनिधि शामिल होंगे।
	(कंपनी के मामले में)	"ठेकेदार" का अर्थ होगा _____ के तहत निगमित कंपनी _____ और इसका पंजीकृत कार्यालय _____ पर होगा और इसमें इसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिनी शामिल होंगे।
(सी)	"साइट"	इसका तात्पर्य संविदा कार्य के स्थल से होगा, जिसमें कोई भवन और उस पर निर्मित निर्माण तथा नियोक्ता द्वारा ठेकेदार के उपयोग के लिए पूर्वोक्त रूप से आबंटित कोई अन्य भूमि (सम्मिलित रूप से) शामिल है।
(डी)	"यह संविदा"	इसका तात्पर्य संविदा के अनुच्छेद, विशेष शर्तें, शर्तें, परिशिष्ट, मात्राओं की अनुसूची और विनिर्देश आदि से होगा जो इसके साथ संलग्न हैं और विधिवत् हस्ताक्षरित हैं।
(इ)	"बैंक के इंजीनियर"	"बैंक के इंजीनियर" शब्द का अर्थ है नियोक्ता द्वारा कार्यों का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त और भुगतान किया जाने वाला व्यक्ति। ठेकेदार बैंक के इंजीनियर को कार्यों और सामग्रियों का निरीक्षण करने तथा समय और सामग्रियों की जाँच और माप के लिए हर सुविधा और सहायता प्रदान करेगा। न तो बैंक के इंजीनियर और न ही बैंक के किसी प्रतिनिधि को कार्य निर्धारित करने या संविदा की किसी भी आवश्यकता को रद्द करने, बदलने, विस्तार करने या शिथिल करने या किसी भी दिन के कार्य, परिवर्धन, परिवर्तन, विचलन या चूक या किसी भी अतिरिक्त कार्य को मंजूरी देने का अधिकार होगा, सिवाय इसके कि नियोक्ता की लिखित सहमति से बैंक के इंजीनियर के लिखित आदेश द्वारा ऐसा अधिकार विशेष रूप से प्रदान किया जा सकता है। बैंक के इंजीनियर या बैंक के किसी प्रतिनिधि को ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को किसी भी कार्य या सामग्रियों की स्वीकृति न मिलने की सूचना देने का अधिकार होगा और ऐसे कार्य को निलंबित कर दिया जाएगा या ऐसी सामग्रियों का उपयोग बंद कर दिया जाएगा। समय-समय पर बैंक के इंजीनियर/बैंक के प्रतिनिधि द्वारा कार्य की जांच की जाएगी, लेकिन ऐसी जांच किसी भी तरह से ठेकेदार को कार्य के किसी भी चरण में या उसके पूरा होने के बाद पाए जाने वाले किसी भी दोष को दूर करने के दायित्व से मुक्त नहीं करेगी। इस खंड की सीमा के अधीन ठेकेदार केवल बैंक के इंजीनियर से ही निर्देश लेगा।

(एफ)	"लिखित नोटिस"	या लिखित नोटिस का अर्थ लिखित, टाइप या मुद्रित अक्षरों में भेजा गया नोटिस होगा (जब तक कि व्यक्तिगत रूप से वितरित न किया गया हो या अन्यथा प्राप्त होने का प्रमाण न दिया गया हो) पंजीकृत डाक द्वारा अंतिम ज्ञात निजी या व्यावसायिक पते पर भेजा गया हो, जब डाक के सामान्य क्रम में इसे वितरित किया गया होता।
(जी)	"दिवालियापन अधिनियम"	इसका अभिप्राय प्रेसीडेंसी टाउन दिवाला अधिनियम या प्रांतीय दिवाला अधिनियम या ऐसे मूल को संशोधित करने वाले किसी अधिनियम द्वारा परिभाषित किसी भी दिवाला अधिनियम से होगा।
(एच)	"शुद्ध मूल्य"	यदि संविदा राशि निर्धारित करते समय, ठेकेदार ने निविदा में मदों के योग में से प्रतिशत के रूप में या अन्यथा कोई राशि जोड़ी या घटाई है, तो निविदा में किसी भी मद का शुद्ध मूल्य, उस मद के मूल्य के रूप में निविदा में प्रदर्शित वास्तविक आंकड़े में जोड़ने या घटाने से प्राप्त राशि होगी। ठेकेदार द्वारा इस प्रकार जोड़ी या घटाई गई राशि का समान प्रतिशत या अनुपात, किसी भी प्राइम कॉस्ट मदों की कुल राशि और धनराशि की अनंतिम राशि निविदा की कुल राशि से घटाई जाएगी। अभिव्यक्ति "शुद्ध दरें" या "शुद्ध मूल्य" जब संदर्भ के साथ उपयोग की जाती है।
(आई)	"कार्य"	इसका तात्पर्य विजयवाड़ा स्थित बैंक के कार्यालय भवन के लिए एक्स-रे बैगेज स्कैनर सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग से होगा।

शब्द आयातक व्यक्तियों में फर्म और कॉर्पोरेशन शामिल हैं। शब्द आयातक केवल एकवचन को भी शामिल करता है और जहां संदर्भ की आवश्यकता होती है, वहां बहुवचन को भी शामिल करता है।

## 4.2 संविदा का दायरा

ठेकेदार इस संविदा के अनुसार तथा नियोक्ता के निर्देशों के अनुसार तथा उसकी संतुष्टि के अनुसार उक्त कार्य को हर तरह से पूरा करेगा। नियोक्ता अपने पूर्ण विवेक से तथा समय-समय पर आगे के चित्र तथा/या लिखित निर्देश, विवरण, निर्देश तथा स्पष्टीकरण जारी कर सकता है, जिन्हें आगे सामूहिक रूप से निम्नलिखित के संबंध में "नियोक्ता के निर्देश" के रूप में संदर्भित किया जाता है:

- कार्यों के डिजाइन, गुणवत्ता या मात्रा में परिवर्तन या संशोधन या किसी कार्य को जोड़ना, छोड़ना या प्रतिस्थापित करना।
- चित्रों में या मात्राओं की अनुसूची और/या चित्रों और/या विनिर्देशों के बीच कोई विसंगति।
- ठेकेदार द्वारा वहां लाई गई किसी भी सामग्री को साइट से हटाना तथा उसके स्थान पर किसी अन्य सामग्री को प्रतिस्थापित करना।
- ठेकेदार द्वारा निष्पादित किसी भी कार्य को हटाना और/या पुनः निष्पादित करना।
- वहां कार्यरत किसी भी व्यक्ति को कार्य से बर्खास्त किया जाना।
- किसी भी ढके हुए कार्य के निरीक्षण के लिए स्थान खोलना।
- धारा 19 के अंतर्गत किसी भी दोष को संशोधित करना तथा उसे ठीक करना।

ठेकेदार ऐसे नियोक्ता के निर्देशों में शामिल किसी भी कार्य का अनुपालन करेगा और उसे विधिवत निष्पादित करेगा, बशर्ते कि नियोक्ता द्वारा कार्यों के संबंध में ठेकेदार या उसके प्रतिनिधियों को दिए गए मौखिक निर्देश, निर्देश और स्पष्टीकरण, यदि उनमें कोई परिवर्तन शामिल है, तो ठेकेदार द्वारा सात दिनों के भीतर लिखित रूप में पुष्टि की जाएगी, और यदि नियोक्ता द्वारा आगे के सात दिनों के भीतर लिखित रूप में असहमति नहीं जताई जाती है, तो उन्हें संविदा के दायरे में नियोक्ता के निर्देश माना जाएगा।

### **4.3 नियोक्ता द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले परिवर्तन**

ठेकेदार को दरों, वाउचर आदि के विश्लेषण द्वारा विधिवत समर्थित मात्रा और दरों का विवरण प्रस्तुत करना होगा। नियोक्ता द्वारा जांच और अंतिम स्वीकृति के बाद दरें एक पूरक निविदा का निर्माण करेंगी। नियोक्ता ऐसे परिवर्तनों के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जब तक कि इन विवरणों को उसके द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाता है।

### **4.4 चित्र, मात्राओं की अनुसूची और करार**

संविदा तीन प्रतियों में निष्पादित किया जाएगा और ठेकेदार अपने उपयोग के लिए एक निष्पादित प्रति पाने का हकदार होगा। ठेकेदार को अंतिम प्रमाणपत्र जारी करने से पहले, वह नियोक्ता को बैंक को सभी चित्र और विनिर्देश वापस कर देगा।

### **4.5 ठेकेदार को अपनी लागत पर सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी**

ठेकेदार अपने खर्च पर, चित्रों, मात्राओं की अनुसूची और विनिर्देशों के आशय और अर्थ के अनुसार कार्यों के उचित निष्पादन के लिए आवश्यक सभी चीजें उपलब्ध कराएगा, चाहे उन्हें विशेष रूप से दिखाया या वर्णित किया गया हो या नहीं, बशर्ते कि उनसे उनका उचित अनुमान लगाया जा सके, और यदि ठेकेदार को चित्रों में या चित्रों, मात्राओं की अनुसूची और विनिर्देशों के बीच कोई विसंगति मिलती है, तो वह तुरंत और लिखित रूप में उसे नियोक्ता को संदर्भित करेगा, जो निर्णय लेगा कि किसका अनुसरण किया जाना है।

### **4.6 प्राधिकरण, नोटिस और पेटेंट**

4.6.1 ठेकेदार को कार्य से संबंधित विधानमंडल के किसी अधिनियम के प्रावधानों, तथा किसी प्राधिकरण, तथा विद्युत आपूर्ति और अन्य कंपनियों और/या प्राधिकरणों के विनियमों और उपनियमों का अनुपालन करना होगा, जिनके सिस्टम से स्थापना को जोड़ा जाना प्रस्तावित है और ड्राइंग या विनिर्देशों में कोई भी परिवर्तन करने से पहले, जो इस प्रकार के अनुपालन के लिए आवश्यक हो सकता है, नियोक्ता को लिखित सूचना देनी होगी, जिसमें प्रस्तावित परिवर्तन और इसे करने का कारण निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर निर्देशों के लिए आवेदन करना होगा। यदि ठेकेदार को दस दिनों के भीतर ऐसे निर्देश नहीं मिलते हैं, तो वह संबंधित प्रावधानों, विनियमों या उपनियमों के अनुरूप कार्य को आगे बढ़ाएगा, और इस प्रकार आवश्यक किसी भी परिवर्तन को उसके खंड संख्या 13 के तहत निपटाया जाएगा।

4.6.2 ठेकेदार उक्त अधिनियमों, विनियमों या उप-नियमों द्वारा किसी प्राधिकारी को दी जाने वाली सभी सूचनाएं नियोक्ता के ध्यान में लाएगा तथा ऐसे प्राधिकारी या किसी सार्वजनिक कार्यालय को कार्यों के संबंध में उचित रूप से देय सभी शुल्क का भुगतान करेगा तथा रसीदें नियोक्ता के पास जमा कराएगा।

4.6.3 ठेकेदार अधिकारों के संबंध में सभी दावों के विरुद्ध नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा, तथा दावों से उत्पन्न होने वाली सभी कार्रवाइयों का बचाव करेगा, तथा स्वयं सभी रॉयल्टी, लाइसेंस फीस, क्षति, लागत और सभी प्रकार के प्रभारों का भुगतान करेगा जो कानूनी रूप से उसके संबंध में व्यय किए जा सकते हैं।

## **4.7 कार्यों का प्रारंभ**

ठेकेदार को काम की रूपरेखा तैयार करनी होगी और उसे सही और सही रूपरेखा तैयार करने तथा उसके सभी भागों की स्थिति, स्तर, आयाम और संरक्षण की शुद्धता के लिए उचित होना होगा। यदि काम पूरा होने से एक वर्ष की अवधि के भीतर काम की प्रगति के दौरान किसी भी समय इस संबंध में कोई त्रुटि दिखाई देती है, तो ठेकेदार, यदि आवश्यक हो, तो अपने स्वयं के खर्च पर, नियोक्ता की संतुष्टि के लिए ऐसी त्रुटि को ठीक करेगा।

## **4.8 विवरण के अनुरूप सामग्री और कारीगरी**

सभी सामग्री और कारीगरी जहाँ तक संभव हो, मात्रा और/या विनिर्देशों की अनुसूची में वर्णित संबंधित प्रकार की होनी चाहिए और नियोक्ता के निर्देशों के अनुसार होनी चाहिए, और ठेकेदार नियोक्ता के अनुरोध पर उसे सभी चालान, लेखा रसीदें और अन्य वाउचर प्रदान करेगा ताकि यह साबित हो सके कि सामग्री उसके अनुरूप है। ठेकेदार अपने खर्च पर नियोक्ता द्वारा अपेक्षित किसी भी सामग्री का परीक्षण करेगा और/या परीक्षण करेगा।

## **4.9 कार्यों पर ठेकेदार का अधीक्षण और प्रतिनिधित्व**

ठेकेदार को कार्य के निष्पादन के दौरान सभी आवश्यक व्यक्तिगत पर्यवेक्षण प्रदान करना होगा, तथा उसके बाद नियोक्ता द्वारा आवश्यक समझे जाने तक, परिशिष्ट में वर्णित "दोष दायित्व अवधि" की समाप्ति तक। ठेकेदार को कार्य प्रगति पर रहने के दौरान एक सक्षम प्रतिनिधि को भी नियुक्त करना होगा, जो काम के दौरान लगातार उपस्थित रहेगा। नियोक्ता द्वारा ऐसे प्रतिनिधि को दिए गए कोई भी निर्देश, स्पष्टीकरण, निर्देश या नोटिस ठेकेदार को दिए गए माने जाएंगे।

## **4.10 कर्मचारियों की बर्खास्तगी**

ठेकेदार, नियोजक के अनुरोध पर, अपने द्वारा नियोजित किसी भी व्यक्ति को, जो नियोजक की राय में अयोग्य है या कदाचारी है, कार्य से तुरन्त हटा देगा तथा ऐसे व्यक्तियों को नियोजक की अनुमति के बिना, कार्य पर पुनः नियोजित नहीं किया जाएगा।

## **4.11 सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/प्रबंधक (तकनीकी)**

"सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/प्रबंधक (तकनीकी)" शब्द का अर्थ नियोक्ता द्वारा नियुक्त और भुगतान किया जाने वाला व्यक्ति होगा, जो कार्यों का निरीक्षण करेगा, ठेकेदार सहायक प्रबंधक को कार्यों और सामग्रियों का निरीक्षण करने और समय और सामग्रियों की जाँच और माप के लिए हर सुविधा और सहायता प्रदान करेगा। सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/प्रबंधक (तकनीकी) के पास कार्यों को निर्धारित करने या संविदा की किसी भी आवश्यकता को रद्द करने, बदलने, विस्तार करने या शिथिल करने या किसी भी कार्य, परिवर्धन, परिवर्तन, विचलन या चूक या किसी भी अतिरिक्त कार्य को मंजूरी देने का अधिकार होगा, सिवाय इसके कि ऐसा अधिकार नियोक्ता की लिखित सहमति के साथ लिखित आदेश द्वारा विशेष रूप से प्रदान किया जा सकता है।

सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/प्रबंधक (तकनीकी) या नियोक्ता को ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को किसी कार्य या सामग्री के अनुमोदन न किए जाने की सूचना देने का अधिकार होगा और सहायक प्रबंधक/प्रबंधक (तकनीकी) द्वारा ऐसे कार्य को निलंबित कर दिया जाएगा या ऐसी सामग्री का उपयोग बंद कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसी जांच किसी भी तरह से ठेकेदार को किसी भी दोष को दूर करने के दायित्व से मुक्त नहीं करेगी, जो कार्य के किसी भी चरण में या उसके पूरा होने के बाद मौजूद पाए जा सकते हैं।

## **4.12 असाइनमेंट और सब-लेटिंग**

4.12.1 संविदा में सम्मिलित समस्त कार्य ठेकेदार द्वारा निष्पादित किए जाएंगे और ठेकेदार, नियोक्ता की पूर्व लिखित सहमति के बिना संविदा या उसके किसी भाग या उसमें किसी हित को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित, समनुदेशित या पट्टे पर



नहीं देगा और कोई भी वचनबद्धता ठेकेदार को संविदा की पूरी और सम्पूर्ण जिम्मेदारी से या कार्यों की प्रगति के दौरान उनके सक्रिय अधीक्षण से मुक्त नहीं करेगी।

4.12.2 कोई भी परिवर्तन, चूक या बदलाव इस संविदा को अमान्य नहीं करेगा, लेकिन यदि नियोक्ता किसी भी समय कार्य की प्रगति के दौरान कार्य में कोई परिवर्तन या वृद्धि या कमी करना या उसमें उपयोग की जाने वाली सामग्रियों की किस्म या गुणवत्ता में कोई परिवर्तन करना उचित समझता है और ठेकेदार को अपने हस्ताक्षर से इसकी लिखित सूचना देता है, तो ठेकेदार ऐसी सूचना के अनुसार, जैसा भी मामला हो, परिवर्तन करेगा, जोड़ेगा या घटाएगा, लेकिन ठेकेदार नियोक्ता की लिखित में पूर्व सहमति के बिना कार्य में कोई अतिरिक्त कार्य नहीं करेगा या कार्य में कोई परिवर्तन या वृद्धि या कमी नहीं करेगा या संविदा, शर्त, विनिर्देशों या संविदा रेखाचित्रों के किसी भी प्रावधान से कोई विचलन नहीं करेगा और ऐसे अतिरिक्त, परिवर्तन, वृद्धि या कमी का मूल्य सभी मामलों में नियोक्ता द्वारा, इसके खंड 17 के प्रावधानों के अनुसार नियोक्ता की पूर्व लिखित स्वीकृति के साथ निर्धारित किया जाएगा, और इसे संविदा राशि में जोड़ा या घटाया जाएगा, जैसा भी मामला हो, इसलिए।

#### **4.13 मात्राओं की अनुसूची**

मात्राओं की अनुसूची, जब तक कि अन्यथा न कहा जाए, माप की मानक विधि के अनुसार तैयार की गई मानी जाएगी।

विवरण या मात्रा में कोई त्रुटि या मात्रा अनुसूची से मदों की छूट इस संविदा को रद्द नहीं करेगी, बल्कि उसे सुधारा जाएगा और इसके खंड 17 के तहत निर्धारित मूल्य को संविदा राशि में जोड़ा जाएगा, या घटाया जाएगा (जैसा भी मामला हो), बशर्ते कि त्रुटियों का कोई सुधार, यदि कोई हो, ठेकेदार की दर अनुसूची में अनुमति नहीं दी जाएगी।

#### **4.14 मात्रा अनुसूची की पर्याप्तता**

यह माना जाएगा कि ठेकेदार ने निविदा देने से पहले कार्यों के लिए अपनी निविदा की शुद्धता और पर्याप्तता तथा मात्रा अनुसूची और/या दरों और मूल्यों की अनुसूची में उल्लिखित मूल्यों के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर लिया है, जिन दरों और मूल्यों में संविदा के तहत उसके सभी दायित्व, तथा कार्यों के समुचित समापन के लिए आवश्यक सभी मामले और बातें शामिल होंगी।

#### **4.15 कार्यों का मापन**

4.15.1 सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/प्रबंधक (तकनीकी) समय-समय पर ठेकेदार और नियोक्ता को सूचित कर सकता है कि उसे कार्यों को मापने की आवश्यकता है, और ठेकेदार सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/प्रबंधक (तकनीकी) को ऐसे माप और गणना करने और सभी विवरण प्रस्तुत करने या उनमें से किसी द्वारा अपेक्षित सभी सहायता देने में सहायता करने के लिए उपस्थित होगा या एक योग्य एजेंट भेजेगा।

4.15.2 यदि ठेकेदार उपस्थित नहीं होता है या ऐसे एजेंट को भेजने में लापरवाही करता है या चूक जाता है, तो सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/प्रबंधक (तकनीकी) द्वारा लिया गया माप कार्य का सही माप माना जाएगा। ऐसे माप विनिर्देशों में वर्णित माप पद्धति के अनुसार लिए जाएंगे।

4.15.3 ठेकेदार या उसका एजेंट माप के समय ऐसे नोट्स और माप ले सकता है, जिनकी उसे आवश्यकता हो।

#### **4.16 अतिरिक्त कार्य आदि के लिए कीमत निर्धारण**

4.16.1 ठेकेदार, नियोक्ता द्वारा अधिकृत होने पर, चित्रों में दिखाए गए कार्यों में, या विनिर्देश में वर्णित कार्यों में, या मात्राओं की अनुसूची में शामिल कार्यों में कुछ जोड़ सकता है, कुछ हटा सकता है, या कुछ बदल सकता है, लेकिन ठेकेदार ऐसे

प्राधिकरण या निर्देश के बिना कोई जोड़, कुछ छोड़ या कुछ बदलाव नहीं करेगा। नियोक्ता द्वारा मौखिक प्राधिकरण या निर्देश, यदि नियोक्ता द्वारा लिखित रूप में सात दिनों में पुष्टि की जाती है, तो उसे लिखित रूप में दिया गया माना जाएगा।

4.16.2 किसी भी अतिरिक्त के लिए कोई दावा तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि इसे नियोक्ता की सहमति से खंड 5 के प्रावधानों के तहत निष्पादित नहीं किया गया हो, जैसा कि यहां उल्लेख किया गया है। इस तरह के किसी भी अतिरिक्त को यहां अधिकृत अतिरिक्त के रूप में संदर्भित किया जाता है और इसे निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार बनाया जाएगा।

4.16.2.1 (i) मूल निविदा में शुद्ध दरें या कीमतें अतिरिक्त कार्य का मूल्यांकन निर्धारित करेंगी, जहां ऐसा अतिरिक्त कार्य समान प्रकृति का है और उसमें मूल्यांकित कार्य के समान ही परिस्थितियों में निष्पादित किया गया है।

(ii) सभी वस्तुओं के लिए दरें, जहां तक संभव हो, मात्राओं की मूल्य अनुसूची में दी गई दरों से निकाली जानी चाहिए।

4.16.2.2 मूल निविदा की शुद्ध कीमतें छोड़ी गई मदों का मूल्य निर्धारित करेंगी, बशर्ते कि यदि चूक से उन शर्तों में भिन्नता आती है जिनके तहत कार्यों की किसी भी शेष मद को किया जाता है, तो उसके लिए कीमतों का मूल्यांकन उप-खंड (सी) के तहत किया गया।

4.16.2.3 जहां अतिरिक्त कार्य समान प्रकृति के नहीं हैं और/या पूर्वोक्त समान परिस्थितियों में निष्पादित किए गए हैं या जहां चूक उन शर्तों को भिन्न करती है जिनके तहत कार्यों की कोई शेष वस्तुएँ की जाती हैं या यदि संपूर्ण संविदा कार्य या उसके किसी भाग की राशि के सापेक्ष किसी चूक या परिवर्धन की मात्रा ऐसी है कि नियोक्ता की राय में मात्राओं की मूल्य अनुसूची या निविदा में या कार्यों की किसी वस्तु के लिए निहित शुद्ध दर या मूल्य में ठेकेदार द्वारा उचित रूप से परिकल्पित हानि या व्यय से अधिक हानि या व्यय शामिल है या ऐसी चूक या परिवर्धन के कारण अनुचित या अनुपयुक्त हो जाती है, नियोक्ता ऐसी अन्य दर या मूल्य निर्धारित करेगा जैसा कि वह परिस्थितियों में उचित और उचित समझे।

4.16.2.4 जहां अतिरिक्त कार्य को उचित रूप से मापा या मूल्यांकित नहीं किया जा सकता है, वहां ठेकेदार को जिले के स्थानीय दैनिक कार्य दरों और मजदूरी के अनुसार शुद्ध दरों पर दैनिक कार्य मूल्य की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि किसी भी मामले में दैनिक समय और उपयोग की गई सामग्री को निर्दिष्ट करने वाले वाउचर, कार्य निष्पादित होने के बाद के सप्ताह के अंत में या उससे पहले बैंक के नियोक्ता को सत्यापन के लिए वितरित किए जाएं।

संविदा के संबंध में माप और मूल्यांकन परिशिष्ट में उल्लिखित "अंतिम माप की अवधि" के भीतर पूरा किया जाएगा, या यदि नहीं उल्लिखित है, तो इसके खंड 21 में परिभाषित किया जाएगा।

#### **4.17 अनिर्धारित सामग्री को जब नियोक्ता की संपत्ति माना जाता है**

जहाँ किसी प्रमाणपत्र में (जिसके लिए ठेकेदार को भुगतान प्राप्त हुआ है) नियोक्ता ने कार्य के लिए और/या कार्य पर या उसके आस-पास रखी गई किसी भी अनिर्धारित सामग्री का मूल्य शामिल किया है, ऐसी सामग्री नियोक्ता की संपत्ति बन जाएगी और नियोक्ता के लिखित प्राधिकरण के बिना, कार्य पर उपयोग के अलावा उन्हें हटाया नहीं जाएगा। ठेकेदार ऐसी सामग्री के किसी भी नुकसान या क्षति के लिए उत्तरदायी होगा।

#### **4.18 अनुचित कार्य को हटाना**

नियोक्ता को, कार्य की प्रगति के दौरान, समय-समय पर लिखित रूप में आदेश देने का अधिकार होगा कि आदेश में निर्दिष्ट उचित समय या समयों के भीतर कार्य से ऐसी कोई सामग्री हटाई जाए जो नियोक्ता की राय में नियोक्ता के विनिर्देशों या निर्देशों के अनुसार नहीं है, उचित सामग्री को प्रतिस्थापित किया जाए, तथा चित्रों और विनिर्देशों या निर्देशों के अनुसार नहीं होने वाली सामग्री या कारीगरी से निष्पादित किसी भी कार्य को हटाया जाए और उचित तरीके से पुनः निष्पादित किया जाए,

और ठेकेदार ऐसे आदेश को अपने खर्च पर पूरा करेगा। यदि ठेकेदार ऐसे आदेश को पूरा करने में चूक करता है, तो नियोक्ता को उसी आदेश को पूरा करने के लिए अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करने और भुगतान करने का अधिकार होगा, और इसके परिणामस्वरूप या इसके साथ होने वाले सभी व्यय ठेकेदार द्वारा वहन किए जाएंगे, या नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को देय या देय होने वाली किसी भी धनराशि से काट लिए जा सकते हैं।

#### **4.19 आभासी पूर्णता के बाद दोष**

कोई भी दोष, सिकुड़न, जमाव या अन्य दोष जो परिशिष्ट में वर्णित "दोष दायित्व अवधि" के भीतर, प्रणाली के चालू होने की तिथि से 36 महीने के भीतर प्रकट हो सकता है, जो नियोक्ता की राय में संविदा के अनुसार सामग्री या कारीगरी से उत्पन्न होता है, नियोक्ता के लिखित निर्देशों पर, और ऐसे उचित समय के भीतर जैसा कि उसमें निर्दिष्ट किया जाएगा, ठेकेदार द्वारा अपने स्वयं के खर्च पर संशोधित और ठीक किया जाएगा और चूक के मामले में, नियोक्ता ऐसे दोषों, अन्य दोषों को संशोधित करने और ठीक करने के लिए अन्य व्यक्तियों को नियुक्त और भुगतान कर सकता है, और इसके परिणामस्वरूप या इसके लिए प्रासंगिक सभी क्षति, हानि और व्यय की भरपाई ठेकेदार द्वारा की जाएगी और उसे वहन किया जाएगा और ऐसा नुकसान, हानि और व्यय नियोक्ता द्वारा उससे वसूल किया जा सकेगा या नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को देय किसी भी धनराशि से काटा जा सकता है या नियोक्ता ठेकेदार द्वारा ऐसे संशोधन और ठीक करने के बदले में ठेकेदार को देय किसी भी धनराशि से नियोक्ता द्वारा निर्धारित राशि काट सकता है जो ऐसे कार्य को संशोधित करने की लागत के बराबर होगी। और यदि धारा 4.32 के तहत रखी गई राशि अपर्याप्त है, तो ठेकेदार से शेष राशि वसूल की जाएगी, साथ ही नियोक्ता द्वारा इसके संबंध में किए गए किसी भी व्यय को भी वसूला जाएगा। यदि किसी उप-ठेकेदार द्वारा कोई दोषपूर्ण कार्य किया गया है या सामग्री की आपूर्ति की गई है, जिसे धारा 4.13 और 4.22 के अनुसार नियोक्ता द्वारा नामित या अनुमोदित किया गया है, तो ठेकेदार उसी तरह से ठीक करने के लिए उत्तरदायी होगा जैसे कि ऐसा कार्य या सामग्री ठेकेदार द्वारा की गई थी या आपूर्ति की गई थी और इस धारा के प्रावधानों के अधीन थी। नियोक्ता द्वारा किसी भी प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने या किसी भी खाते को पारित करने के बावजूद, ठेकेदार इस धारा के प्रावधान के तहत उत्तरदायी रहेगा।

#### **4.20 आभासी पूर्णता का प्रमाणपत्र और दोष दायित्व अवधि**

जब तक नियोक्ता लिखित रूप में यह प्रमाणित नहीं कर देता कि कार्य वस्तुतः पूर्ण हो चुका है, तब तक कार्य को पूर्ण नहीं माना जाएगा। दोष दायित्व अवधि ऐसे प्रमाणपत्र की तिथि से शुरू होगी।

#### **4.21 नामित उप-ठेकेदार**

4.21.1 सभी विशेषज्ञ, व्यापारी, कारीगर और अन्य लोग जो किसी भी माल की आपूर्ति या मरम्मत का कार्य करते हैं, जिसके लिए मूल लागत मूल्य या अनंतिम रकम को मात्रा और/या विनिर्देशों की अनुसूची में शामिल किया जाता है, जिन्हें नियोक्ता द्वारा नामित या चुना जा सकता है, उन्हें ठेकेदार द्वारा नियोजित उप-ठेकेदार घोषित किया जाता है और उन्हें यहां नामित उप-ठेकेदार के रूप में संदर्भित किया जाता है।

4.21.2 किसी भी नामित उप-ठेकेदार को कार्य पर या कार्य के संबंध में नियोजित नहीं किया जाएगा, जिसके विरुद्ध ठेकेदार उचित आपत्ति करेगा या (सिवाय इसके कि नियोक्ता और ठेकेदार अन्यथा सहमत हों) जो संविदा के कार्य में नहीं रहेगा।

4.21.2.1 नामित उप-ठेकेदार, उप-ठेकेदार के संबंध में ठेकेदार को उस दायित्व के विरुद्ध क्षतिपूर्ति करेंगे, जैसा कि ठेकेदार इस संविदा के संबंध में करता है।

4.21.2.2 नामित उप-ठेकेदार, उसके कर्मचारियों या एजेंटों द्वारा की गई किसी लापरवाही या उसके द्वारा किसी मचान या अन्य संयंत्र, ठेकेदार की संपत्ति के दुरुपयोग या लागू किसी भी श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत दावों के विरुद्ध ठेकेदार को क्षतिपूर्ति करेगा।

4.21.2.3 नामित उप-ठेकेदार को चौदह दिनों के भीतर भुगतान किया जाएगा, बशर्ते कि पिछले प्रमाणपत्रों में शामिल नामित उप-ठेकेदार के सभी खाते विधिवत रूप से चुका दिए गए हों, जिसके न होने पर, नियोक्ता उसी राशि का भुगतान कर सकता है और ठेकेदार को देय किसी भी राशि से उसकी राशि काट सकता है। इस शक्ति के प्रयोग से नियोक्ता और उप-ठेकेदार के बीच संविदा की गोपनीयता नहीं बनेगी।

#### **4.22 नियोक्ता द्वारा नियोजित अन्य व्यक्ति**

नियोक्ता को इस संविदा में शामिल नहीं किए गए किसी भी कार्य के निष्पादन के लिए परिसर और साइट के किसी भी हिस्से का उपयोग करने का अधिकार है, जिसे वह अन्य व्यक्तियों द्वारा करवाना चाहता है, और ठेकेदार ऐसे कार्य के निष्पादन के लिए सभी उचित सुविधाओं की अनुमति देगा, लेकिन ऐसे कार्य के निष्पादन के लिए कोई संयंत्र या सामग्री प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे कार्य को इस तरह से किया जाएगा कि संविदा में शामिल कार्यों की प्रगति में बाधा न आए और ठेकेदार ऐसे कार्य के कारण होने वाली किसी भी क्षति या देरी के लिए यथोचित नहीं होगा।

#### **4.23 व्यक्ति और संपत्ति को नुकसान के संबंध में बीमा**

4.23.1 ठेकेदार को व्यक्तियों, जानवरों या चीजों को होने वाली सभी चोटों और संपत्ति को होने वाले सभी संरचनात्मक और सजावटी नुकसान के लिए उचित होगा जो उसके या किसी नामित उप-ठेकेदार या किसी कर्मचारी या दोनों के संचालन या उपेक्षा से उत्पन्न हो सकते हैं, चाहे ऐसी चोट या क्षति लापरवाही, दुर्घटना या किसी अन्य कारण से उत्पन्न हो, जो किसी भी तरह से इस संविदा के कार्यान्वयन से संबंधित हो। इस खंड में अन्य बातों के साथ-साथ इमारतों को होने वाला कोई भी नुकसान, चाहे वे तुरंत आस-पास हों या अन्यथा, और सड़कों, गलियों, फुटपाथों, पुलों या मार्गों को होने वाला कोई भी नुकसान और साथ ही इस संविदा का विषय बनने वाली इमारतों और कार्यों को होने वाला कोई भी नुकसान शामिल होगा जो ठंड, बारिश, हवा या मौसम की अन्य प्रतिकूलता से होता है। ठेकेदार नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा और उसे उपरोक्त किसी भी चोट या व्यक्ति या संपत्ति को होने वाले नुकसान से उत्पन्न होने वाले सभी और किसी भी खर्च के संबंध में और किसी भी विधानमंडल के किसी भी अधिनियम के तहत चोट या नुकसान के संबंध में किए गए किसी भी दावे के संबंध में या अन्यथा और ऐसे दावे के परिणामस्वरूप मुआवजे या नुकसान के किसी भी पुरस्कार के संबंध में भी हानिरहित रखेगा।

4.23.2 ठेकेदार इस खण्ड में उल्लिखित प्रत्येक प्रकार की क्षति की भरपाई करेगा, ताकि सम्पूर्ण संविदा कार्य हर दृष्टि से पूर्ण और परिपूर्ण हो सके तथा तृतीय पक्षों की सम्पत्ति को हुए नुकसान के सभी दावों की पूर्ति की जा सके या अन्यथा उन्हें पूरा किया जा सके।

4.23.3 ठेकेदार नियोक्ता को उन सभी दावों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति करेगा जो किसी भी जनता या अन्य तृतीय पक्ष द्वारा कार्यों के संबंध में या उसके परिणामों में उत्पन्न होने वाली किसी भी चीज़ के संबंध में नियोक्ता के विरुद्ध किए जा सकते हैं और अपने स्वयं के व्यय पर, संविदा के वास्तविक पूर्ण होने तक, ऐसे जोखिमों के विरुद्ध नियोक्ता और ठेकेदार के संयुक्त नामों में एक बीमा पॉलिसी को स्वीकृत कार्यालय में प्रभावी बनाने और बनाए रखने की व्यवस्था करेगा और इस संविदा की अवधि के दौरान समय-समय पर ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को नियोक्ता के पास जमा करेगा। ठेकेदार भी इसी प्रकार नियोक्ता को उन सभी दावों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति करेगा जो नियोक्ता पर किए जा सकते हैं, चाहे वे श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत हों या इस संविदा की अवधि के दौरान लागू किसी अन्य क़ानून के अंतर्गत या ठेकेदार के किसी कर्मचारी या किसी उप-ठेकेदार के संबंध में सामान्य क़ानून के अंतर्गत हों और अपने स्वयं के व्यय पर, संविदा के वास्तविक पूर्ण होने तक, ऐसे जोखिमों के विरुद्ध नियोक्ता और ठेकेदार के संयुक्त नामों में एक बीमा पॉलिसी को स्वीकृत कार्यालय में प्रभावी बनाने और बनाए रखने की व्यवस्था करेगा और संविदा की अवधि के दौरान समय-समय पर ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को नियोक्ता के पास जमा करेगा।

4.23.4. ठेकेदार किसी भी देयता के लिए जिम्मेदार होगा जिसे ऊपर उल्लिखित बीमा पॉलिसियों से बाहर रखा जा सकता है और इस संविदा के लापरवाहीपूर्ण या दोषपूर्ण निष्पादन से उत्पन्न होने वाले किसी भी व्यक्ति, पशु या संपत्ति

को होने वाले सभी अन्य नुकसानों के लिए भी जिम्मेदार होगा। वह किसी भी दावे या कार्यवाही से उत्पन्न होने वाले किसी भी लागत, शुल्क या व्यय के संबंध में नियोक्ता को क्षतिपूर्ति भी करेगा और साथ ही उससे उत्पन्न होने वाले किसी भी मुआवजे या क्षति के संबंध में भी क्षतिपूर्ति करेगा।

4.23.5 नियोक्ता किसी भी ऐसे दावे या क्षति से उत्पन्न होने वाली किसी भी क्षति, क्षतिपूर्ति, लागत, प्रभार और व्यय की राशि को ठेकेदार को देय या देय होने वाली किसी या सभी राशियों में से काटने का हकदार होगा, इससे संबंधित नियोक्ता के अन्य अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

#### **4.24 अग्नि बीमा**

(a) ठेकेदार अपने खर्च पर कामगारों का बीमा करेगा और काम के वास्तविक पूरा होने तक उसे आग से होने वाले नुकसान या क्षति के विरुद्ध नियोक्ता और ठेकेदार के संयुक्त नाम (पॉलिसी में नियोक्ता का नाम पहले रखा जाए) के भीतर बीमाकृत रखेगा, संविदा की पूरी राशि के लिए और नियोक्ता द्वारा ऐसा करने के लिए कहे जाने पर किसी भी अतिरिक्त राशि के लिए, ऐसी अतिरिक्त राशि का प्रीमियम, अधिकृत अतिरिक्त के रूप में ठेकेदार को दिया जाएगा। ऐसी पॉलिसी केवल नियोक्ता की संपत्ति और दावे का आकलन करने और आम तौर पर बहाली में उसकी सेवाओं के संबंध में नियोक्ता और सर्वेक्षकों की फीस को कवर करेगी और ठेकेदार या किसी उप-ठेकेदार या कर्मचारी की किसी भी संपत्ति को कवर नहीं करेगी। नियोक्ता द्वारा अन्यथा निर्देश दिए जाने तक ठेकेदार पॉलिसी और प्रीमियम की रसीदें निर्दिष्ट रूप से जमा करेगा। ऊपर दिए गए अनुसार बीमा करने में ठेकेदार द्वारा चूक होने पर, नियोक्ता अपनी ओर से काम का बीमा कर सकता है और भुगतान किए गए प्रीमियम को किसी भी देय राशि से काट सकता है जो कि नियोक्ता के अन्य अधिकारों के लिए पूर्वाग्रह के बिना ठेकेदार को देय हो सकती है। यदि कार्य को स्थगित करना आवश्यक हो जाता है, तो ठेकेदार, पॉलिसी के तहत दावे का निपटारा होते ही, या बीमा कार्यालय द्वारा कार्य को बहाल किए जाने पर, यदि वे ऐसा करना चुनते हैं, तो कार्य को उसी तरह पूरा करने के लिए पूरी तत्परता से आगे बढ़ेगा, जैसे कि आग नहीं लगी थी और सभी मामलों में संविदा की उन्हीं शर्तों के तहत। आग लगने के बाद पुनर्निर्माण या बहाली के मामले में, ठेकेदार को पूरा करने के लिए समय के ऐसे विस्तार का हकदार होगा, जैसा कि नियोक्ता उचित समझे।

(b) उपर्युक्त देय राशि विधिवत निष्पादित कार्यों और साइट पर उपयोग के लिए वितरित संविदा सामग्री और माल का कुल मूल्य होगा, जो उक्त प्रमाणपत्र की तिथि से सात दिन पहले की तिथि तक होगा, नियोक्ता द्वारा रखी जाने वाली राशि (जैसा कि इसके बाद प्रदान किया गया है) और इस खंड के तहत पहले से भुगतान की गई किसी भी किश्त को घटाया जाएगा। बशर्ते कि ऐसे प्रमाणपत्र में केवल उक्त सामग्रियों और माल का मूल्य शामिल होगा, जैसा कि समय-समय पर उचित रूप से, उचित रूप से और समय से पहले साइट पर नहीं लाया जाता है और तब भी जब उन्हें ठीक से संग्रहीत किया जाता है और/या मौसम से बचाया जाता है।

#### **4.25 प्रारंभ एवं समापन की तिथि**

ठेकेदार को परिशिष्ट में उल्लिखित "कार्यारंभ की तिथि" या नियोक्ता द्वारा निर्दिष्ट किसी बाद की तिथि पर साइट पर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी और वह इसके बाद और इसके साथ ही कार्यों को शुरू कर देगा और नियमित रूप से आगे बढ़ेगा और उन्हें परिशिष्ट में उल्लिखित "समापन की तिथि" पर या उससे पहले पूरा करेगा (ऐसी पेंटिंग या अन्य सजावटी कार्य को छोड़कर, जिसे नियोक्ता विलंबित करना चाहे) फिर भी इसके बाद दिए गए समय के विस्तार के प्रावधानों के अधीन होगा।

#### **4.26 कार्य पूरा न होने पर हर्जाना**

यदि ठेकेदार पूर्व में उल्लिखित परिशिष्ट में दी गयी तिथि तक या इसके खंड 28 के अंतर्गत किसी विस्तारित समय के भीतर कार्य पूरा करने में विफल रहता है और नियोक्ता लिखित रूप में प्रमाणित करता है कि उसकी राय में कार्य उचित रूप से पूरा किया जाना चाहिए था, तो ठेकेदार नियोक्ता को परिशिष्ट में "परिसमाप्त क्षति" के रूप में नामित राशि का भुगतान उस अवधि के लिए करेगा, जिसके दौरान उक्त कार्य अधूरा रहेगा और नियोक्ता ठेकेदार को देय किसी भी धन से ऐसी क्षति की कटौती कर सकता है।

## 4.27 विलंब और समय विस्तार

यदि नियोक्ता की राय में कार्य में देरी हो सकती है

- (क) अप्रत्याशित घटना के कारण या
- (ख) किसी असाधारण खराब मौसम के कारण या
- (सी) ठेकेदार की स्वयं की चूक के अलावा अन्य किसी कारण से उत्पन्न हुई कार्यवाही या धमकी या आसपास के या पड़ोसी मालिकों या सार्वजनिक प्राधिकारियों के साथ विवाद के कारण, या
- (घ) नियोक्ता द्वारा नियुक्त या नामित अन्य ठेकेदारों या कारीगरों के कार्यों या देरी से, जिनका उल्लेख मात्रा अनुसूची और/या विनिर्देश में नहीं किया गया है, या
- (ई) धारा 2 के अनुसार नियोक्ता के निर्देशों के कारण या
- (च) नागरिक दंगे, कामगारों के स्थानीय संयोजन या हड़ताल या तालाबंदी के कारण किसी भी भवन निर्माण व्यापार पर असर पड़ता है या
- (छ) यदि ठेकेदार को नियोक्ता से आवश्यक निर्देश समय पर प्राप्त नहीं हुए हैं, जिसके लिए उसने लिखित रूप में विशेष रूप से आवेदन किया होगा, या
- (ज) अन्य कारणों से, जिन्हें नियोक्ता ठेकेदार के नियंत्रण से परे प्रमाणित कर सकता है या
- (झ) यदि कार्य का मूल्य परिवर्तन के कारण मात्राओं की निर्धारित अनुसूची के मूल्य से अधिक हो जाता है, तो संविदा कार्य को पूरा करने के लिए समय में उचित और उचित विस्तार किया जाएगा, ऐसी हड़ताल या तालाबंदी की स्थिति में भी ठेकेदार विलम्ब को रोकने के लिए निरंतर प्रयास करेगा और कार्य को आगे बढ़ाने के लिए नियोक्ता की संतुष्टि के लिए वह सब कुछ करेगा जो यथोचित रूप से आवश्यक हो।

## 4.28 ठेकेदार द्वारा नियोक्ता के निर्देशों का पालन करने में विफलता

यदि ठेकेदार, नियोक्ता से लिखित नोटिस प्राप्त करने के बाद, जिसमें दस दिनों के भीतर अनुपालन की अपेक्षा की गई है, ऐसे अतिरिक्त आरेखों का अनुपालन करने में विफल रहता है और नियोक्ता ऐसे किसी भी कार्य को निष्पादित करने के लिए अन्य व्यक्तियों को नियोजित कर सकता है और उन्हें भुगतान कर सकता है, जो कि उसके प्रभावी होने के लिए आवश्यक हो सकता है, और इसके संबंध में किए गए सभी खर्च नियोक्ता द्वारा ठेकेदार से वसूल किए जा सकेंगे या ठेकेदार को देय किसी भी धनराशि से उसके द्वारा काटे जा सकेंगे।

## 4.29 नियोक्ता द्वारा संविदा की समाप्ति

यदि ठेकेदार, एक व्यक्ति या फर्म होते हुए, कोई "दिवालियापन का कार्य" करता है, या दिवालिया घोषित किया जाता है, या एक निगमित कंपनी होने के नाते उसके विरुद्ध अनिवार्य समापन का आदेश दिया जाता है, या वह स्वैच्छिक रूप से या न्यायालय और परिसमापक के आधिकारिक समनुदेशिती के पर्यवेक्षण के अधीन समापन के लिए एक प्रभावी प्रस्ताव पारित करता है, तो ऐसे दिवालियापन या समापन के कार्यों में, जैसा भी मामला हो, उसे ऐसा करने की आवश्यकता वाले नोटिस के बाद सात दिनों के भीतर, नियोक्ता की उचित संतुष्टि दिखाने में असमर्थ होगा कि वह संविदा को पूरा करने में सक्षम है, और यदि नियोक्ता द्वारा ऐसा अपेक्षित हो तो वह इसके लिए सुरक्षा दे सकता है।

या  
यदि ठेकेदार (चाहे वह व्यक्ति, फर्म या निगमित कंपनी हो) ठेकेदार के विरुद्ध जारी की जाने वाली संपत्ति को कुर्क करने के लिए न्यायालय की कार्यवाही या अन्य प्रक्रिया को सहन करता है,

या  
इस संविदा के अंतर्गत किसी भी भुगतान को ठेकेदार के किसी भी लेनदार द्वारा या उसकी ओर से कुर्क नहीं किया जाएगा,

या  
नियोक्ता की लिखित सहमति के बिना इस संविदा को सौंपेगा या उप-पट्टे पर देना,

या  
इस संविदा या इसके अंतर्गत ठेकेदार को देय या देय होने वाले किसी भी भुगतान को भारित नहीं करेगा,

या

यदि नियोक्ता यह निर्धारित करता है कि ठेकेदार

4.29.1 संविदा को त्याग दिया है,

या

4.29.2 कार्य शुरू करने में विफल रहा है, या उन शर्तों के तहत किसी भी वैध बहाने के बिना नियोक्ता से आगे बढ़ने के लिए नोटिस प्राप्त करने के बाद 14 दिनों के लिए कार्य की प्रगति को निलंबित कर दिया है,

या

4.29.3 कार्य को उचित तत्परता के साथ आगे बढ़ाने में विफल रहा है तथा ऐसी उचित प्रगति करने में विफल रहा है जिससे कार्य को सहमत समय के भीतर पूरा किया जा सके,

या

4.29.4 लिखित नोटिस प्राप्त करने के बाद सात दिनों तक साइट से सामग्री को हटाने या गिराने और काम को बदलने में विफल रहा है कि उक्त सामग्री या कार्य को इन शर्तों के तहत नियोक्ता द्वारा निंदा और अस्वीकार कर दिया गया था

या

4.29.5 इस संविदा द्वारा ठेकेदार द्वारा पालन किए जाने वाले सभी या किसी भी कार्य, मामले या चीज का पालन करने और निष्पादित करने में लगातार उपेक्षा या विफलता की है, जबकि ठेकेदार को लिखित नोटिस दिए जाने के बाद भी ठेकेदार को इसका पालन करने या निष्पादित करने की आवश्यकता है।

तब और उक्त किसी भी मामले में, नियोक्ता किसी पूर्व छूट के बावजूद, ठेकेदार को लिखित में सात दिन का नोटिस देने के बाद, संविदा और ठेकेदार के दायित्वों का निर्धारण कर सकता है, जो संपूर्ण रूप से उसी प्रकार लागू रहेगा जैसे कि संविदा का निर्धारण नहीं किया गया था, और जैसे कि बाद में निष्पादित कार्य ठेकेदार द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित किए गए थे और इसके अलावा, नियोक्ता अपने एजेंटों या सेवकों द्वारा कार्यों और परिसर या आसन्न भूमि या सड़कों पर पड़े सभी संयंत्र, उपकरण, मचान, मशीनरी और सामग्रियों को अपने कब्जे में ले सकता है, और उन्हें अपनी संपत्ति के रूप में उपयोग कर सकता है या कार्यों को पूरा करने के लिए अपने सेवकों और श्रमिकों के माध्यम से या किसी अन्य ठेकेदार या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को काम पूरा करने और परिष्करण के लिए नियोजित कर सकता है या कार्यों के लिए सामग्री और संयंत्र का उपयोग कर सकता है। जब कार्य पूरा हो जाएगा या उसके बाद जितनी जल्दी सुविधा हो, नियोक्ता ठेकेदार को अपनी अतिरिक्त सामग्री और संयंत्र हटाने के लिए लिखित में एक नोटिस देगा, और यदि ठेकेदार उसके द्वारा प्राप्त होने के बीस दिन की अवधि के भीतर ऐसा करने में विफल रहता है, तो नियोक्ता उन्हें सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेच सकता है, और प्राप्त हुई शुद्ध राशि के लिए ठेकेदार को क्रेडिट दे सकता है। नियोक्ता इसके बाद अपने हस्ताक्षर से लिखित रूप से यह पता लगाएगा कि नियोक्ता द्वारा कब्जे में लिए गए उक्त संयंत्र और सामग्रियों के मूल्य के लिए नियोक्ता को या नियोक्ता द्वारा क्या (यदि कुछ भी) देय होगा और पूरा किए जाने वाले कार्यों को प्राप्त करने में नियोक्ता को जो खर्च या हानि हुई है, और ठेकेदार को देय राशि, यदि कोई हो, और वह राशि जो उसके बाद नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को या ठेकेदार द्वारा नियोक्ता को, जैसा भी मामला हो, भुगतान की जाएगी, और नियोक्ता का निर्णय पक्षों के बीच अंतिम और निर्णायक होगा।

#### **4.30 ठेकेदार द्वारा संविदा की समाप्ति**

4.30.1 यदि नियोक्ता द्वारा देय राशि का भुगतान बकाया है और उपरोक्त राशि के भुगतान की आवश्यकता वाले लिखित नोटिस के बाद तीस दिनों के लिए भुगतान नहीं किया जाता है, जैसा कि ठेकेदार द्वारा नियोक्ता को दिया गया है या यदि नियोक्ता संविदा को अस्वीकार कर देता है, या यदि नियोक्ता के आदेश के तहत या किसी भी न्यायालय के किसी भी निषेधाज्ञा या अन्य आदेश के तहत एक महीने के लिए काम बंद कर दिया जाता है, तो और उक्त मामलों में से किसी में, ठेकेदार नियोक्ता को लिखित में नोटिस द्वारा संविदा का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र होगा और वह नियोक्ता से निष्पादित सभी कार्यों के लिए भुगतान और संविदा के प्रयोजन के लिए आपूर्ति या खरीद या तैयार किए गए किसी भी संयंत्र या सामग्री पर उसे हुई किसी भी हानि के लिए भुगतान वसूलने का हकदार होगा।

4.30.2 ऐसे भुगतान की राशि निर्धारित करने में, ठेकेदार की मूल निविदा में निहित शुद्ध दरों का अनुसरण किया जाएगा, अथवा जहां यह लागू न हो, वहां धारा 17 के अनुसार मूल्यांकन किया जाएगा।

#### **4.31 प्रमाणपत्र और भुगतान**

4.31.1 ठेकेदार को अंतरिम प्रमाणपत्र के तहत समय-समय पर नियोक्ता द्वारा किशतों में ठेकेदार को निष्पादित किए गए कार्यों के लिए भुगतान किया जाएगा, इस संविदा के अनुसार "अंतरिम प्रमाणपत्रों के लिए कार्य का मूल्य" के रूप में परिशिष्ट में नामित अनुमानित मूल्य (या नियोक्ता के उचित विवेक पर कम) के अनुसार कार्य निष्पादित किया गया है, जिसके बाद किशतें कार्य के पूर्ण मूल्य तक होंगी, बाद में इस तरह निष्पादित और भवन में तय की गई। नियोक्ता अपने विवेक से अंतरिम प्रमाणपत्र में ऐसी राशि शामिल कर सकता है, जिसे वह ठेकेदार द्वारा कार्यों में उपयोग के लिए साइट पर वितरित सामग्री के कारण उचित समझे। और जब कार्य लगभग पूरा हो गया हो और नियोक्ता ने लिखित में प्रमाणित कर दिया हो कि कार्य पूरा हो गया है, तो ठेकेदार नियोक्ता द्वारा लिखित रूप में जारी किए जाने वाले अंतिम प्रमाणपत्र के अनुसार अंतिम शेष राशि के भुगतान का हकदार होगा, जो वास्तविक पूर्णता की तारीख से इस परिशिष्ट में "दोष दायित्व अवधि" के रूप में संदर्भित अवधि की समाप्ति पर या कार्य के अंतिम रूप से पूरा हो जाने और दोषों को इसके वास्तविक उद्देश्य और अर्थ के अनुसार ठीक कर दिए जाने की अवधि की समाप्ति के तुरंत बाद होगा, जो भी बाद में होगा, बशर्ते कि कार्य की प्रगति के दौरान या उसके पूरा होने के बाद नियोक्ता द्वारा किसी भी प्रमाणपत्र को जारी करना ठेकेदार को खंड 4.20 के तहत उसके दायित्व से मुक्त नहीं करेगा और न ही कार्यों या सामग्रियों से संबंधित धोखाधड़ी, बेईमानी या धोखाधड़ी से छिपाने के मामलों में या प्रमाणपत्र के भीतर निपटाए गए किसी भी मामले में ठेकेदार को उसकी असमर्थता से मुक्त करेगा, कोई भी प्रमाणपत्र अपने आप में निर्णायक साक्ष्य नहीं होगा कि कोई कार्य या सामग्री, जिससे वह संबंधित है, संविदा के अनुरूप है और न ही ठेकेदार किसी ऐसी राशि के लिए दावा कर सकेगा जिसे नियोक्ता ने किसी अंतरिम बिल में प्रमाणित किया हो और जिसका भुगतान नियोक्ता द्वारा किया गया हो और जिसके बारे में बाद में पता चले कि वह देय नहीं है और इस संबंध में नियोक्ता का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

4.31.2 यदि कार्य या उसका कोई भाग नियोक्ता की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जा रहा है तो नियोक्ता को कोई भी प्रमाणपत्र रोकने का अधिकार होगा।

4.31.3 नियोक्ता किसी भी प्रमाणपत्र द्वारा उसके द्वारा जारी किए गए किसी भी पूर्व प्रमाणपत्र में कोई सुधार कर सकता है।

4.31.4 यदि ठेकेदार कार्यों का बीमा कराने में विफल रहता है और वर्चुअल पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने तक उन्हें बीमाकृत रखने में विफल रहता है तो कोई प्रमाण पत्र या भुगतान जारी नहीं किया जाएगा।

4.31.5 भुगतान, प्रमाणपत्रों को नियोक्ता को सौंपे जाने के बाद, परिशिष्ट में उल्लिखित "प्रमाणपत्रों के सम्मान की अवधि" के भीतर किया जाएगा।

#### **4.32 विलंबित भुगतान**

नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को देय कोई भी राशि, यदि परिशिष्ट में निर्दिष्ट "प्रमाणपत्रों के सम्मान की अवधि" के भीतर भुगतान नहीं की जाती है, तो उस पर उस तारीख से, जिसको नियोक्ता द्वारा ऐसी राशि का भुगतान किया जाना चाहिए था, भुगतान होने तक परिशिष्ट में निर्दिष्ट "विलंबित भुगतान के लिए ब्याज दर" के रूप में निर्दिष्ट दर से ब्याज लगेगा।

#### **4.33 नियोक्ता द्वारा अंतिम रूप से निर्धारित किए जाने वाले मामले**

खंड 2(ए), 2(बी), 4,7,12,19,28 (ए, बी, सी, डी, एफ) के अंतर्गत सभी या किसी भी मामले के संबंध में निर्णय, राय, निर्देश, प्रमाणपत्र (भुगतान को छोड़कर) (जिन मामलों को यहां अपवादित मामले कहा गया है) अंतिम और निर्णायक होंगे तथा पक्षों



पर बाध्यकारी होंगे और अपील के बिना होंगे। नियोक्ता का कोई अन्य निर्णय, राय, निर्देश, प्रमाणपत्र या मूल्यांकन या नियोक्ता द्वारा इनमें से कुछ भी देने से इनकार करना सभी मामलों में उसी तरह से खंड 35 के तहत मध्यस्थता और समीक्षा के अधिकार के अधीन होगा (संदर्भ खोलने के प्रावधान सहित) जैसे कि यह नियोक्ता का निर्णय था।

#### **4.34 मध्यस्थता द्वारा विवाद का निपटारा**

कार्य के दौरान या उसके संबंध में या उसे पूरा करने में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद या मतभेद के मामले में (चाहे कार्य की प्रगति के दौरान या पूरा होने के बाद और चाहे निर्धारण, परित्याग या संविदा के उल्लंघन से पहले या बाद में) यहां दिए गए अपवादित मामलों में से किसी के अलावा, पक्षकार पहले ऐसे विवादों या मतभेदों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने का प्रयास करेंगे। यदि दोनों पक्ष ऐसे सौहार्दपूर्ण समझौते पर पहुंचने में विफल रहते हैं, तो सभी विवाद या मतभेदों को यहां दिए गए अनुसार मध्यस्थों द्वारा अंतिम रूप से निपटाया जाएगा।

यदि पक्षकारों द्वारा इस तरह के सौहार्दपूर्ण समाधान की विफलता होती है, तो कोई भी पक्ष ऐसी विफलता के 28 दिनों के भीतर दूसरे पक्ष को लिखित नोटिस दे सकता है, जिसमें यह आवश्यक हो कि विवाद या मतभेद के सभी मामलों पर मध्यस्थता की जाए। ऐसे लिखित नोटिस में उन मामलों को निर्दिष्ट किया जाएगा जो विवाद या मतभेद में हैं, जिनके बारे में ऐसा लिखित नोटिस दिया गया है और कोई अन्य मामला दोनों पक्षों द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एकल मध्यस्थ की मध्यस्थता के लिए नहीं भेजा जाएगा या एकल मध्यस्थ की नियुक्ति के बारे में असहमति के मामले में, दो मध्यस्थों (प्रत्येक पक्ष द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक) की नियुक्ति और मध्यस्थों द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक निर्णायक की नियुक्ति की जाएगी। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 या उसके किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन और समय-समय पर उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधान ऐसे मध्यस्थता पर लागू होंगे।

मध्यस्थ या मध्यस्थों में से किसी एक की, जैसा भी मामला हो, मृत्यु हो जाने, उपेक्षा करने, कार्य करने से इंकार करने या त्यागपत्र देने या किसी कारणवश कार्य करने में असमर्थ होने की स्थिति में या न्यायालय द्वारा किसी कारणवश निर्णय को रद्द कर दिए जाने की स्थिति में, पक्षकारों के लिए ऊपर दिए गए तरीके से एक अन्य मध्यस्थ नियुक्त करना वैध होगा।

मध्यस्थता का स्थान भारतीय रिज़र्व बैंक, आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय होगा।

इस अनुसूची के अंतर्गत नियुक्त मध्यस्थ या मध्यस्थ संयुक्त रूप से मध्यस्थता कार्यवाही करेंगे तथा पक्षकारों की सहमति से निर्णय देने के लिए समय बढ़ाने की शक्ति रखेंगे।

मध्यस्थता के लिए संदर्भ और उस पर पुरस्कार लंबित रहने तक, पक्षकार सभी प्रकार से संविदा के अनुसार कार्य को पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे और सभी विवाद, यदि कोई हों, अंततः मध्यस्थता में निपटाए जाएंगे।

मध्यस्थता के लिए प्रत्येक या किसी भी ऐसे संदर्भ पर, जैसा कि इसमें प्रावधान है, संदर्भ और पुरस्कार की लागत और उससे संबंधित व्यय क्रमशः मध्यस्थ या मध्यस्थों या निर्णायक के विवेक पर होगा, जैसा भी मामला हो, जो इसकी राशि निर्धारित कर सकता है।

मध्यस्थ या पंच, जैसा भी मामला हो, विवादों के प्रत्येक मद के संबंध में तर्कपूर्ण निर्णय देगा जो अंतिम होगा और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा। यह सहमति है कि ठेकेदार किसी भी ऐसे मामले, प्रश्न या विवाद के कारण कार्य को करने में देरी नहीं करेगा जिसे मध्यस्थता के लिए भेजा जा रहा है, बल्कि सभी उचित परिश्रम के साथ कार्य को आगे बढ़ाएगा और मध्यस्थों के निर्णय तक, जैसा भी मामला हो, इस संविदा की शर्तों और नियमों का पालन करेगा, साथ ही इस संविदा में किए गए कार्य को वास्तव में करने के संबंध में निर्देशों का भी पालन करेगा और कोई भी निर्णय ठेकेदार को इस संविदा की शर्तों और नियमों का सख्ती से पालन करने के अपने दायित्वों से मुक्त नहीं करेगा, साथ ही कार्य को वास्तव में करने के संबंध में निर्देशों का भी। बैंक और ठेकेदार इसके द्वारा इस बात पर भी सहमत हैं कि इस अनुसूची के तहत मध्यस्थता संविदा के तहत किसी भी कार्रवाई के अधिकार के लिए एक पूर्व शर्त होगी।

यदि मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान, पक्षकार आपसी सहमति से अपने विवाद या मतभेद का निपटारा, करार या करार कर लेते हैं, तो मध्यस्थता के लिए संदर्भ और मध्यस्थ या मध्यस्थों या पंच की नियुक्ति, जैसा भी मामला हो, रद्द कर दी गई मानी जाएगी और मध्यस्थता कार्यवाही उस तारीख से वापस ले ली जाएगी या समाप्त हो जाएगी, जिस तारीख को पक्षकार मध्यस्थ या मध्यस्थों या पंच के साथ समझौते का संयुक्त ज्ञापन दाखिल करते हैं, जैसा भी मामला हो।

इस खंड के प्रयोजन के लिए, "अपवादित मामले" का तात्पर्य कार्य के दायरे, संविदा मूल्य, वितरण अनुसूची और अंतिम स्वीकृति प्रमाणपत्र के अंतर्गत आने वाले सभी या किसी भी मामले से होगा।

#### **4.35 अंतिम बिल की तकनीकी जांच का अधिकार**

नियोक्ता को ठेकेदार के काम और अंतिम बिल की तकनीकी जांच करवाने का अधिकार होगा, जिसमें अंतिम बिल के भुगतान के समय सभी सहायक वाउचर, सार आदि शामिल होंगे। यदि इस जांच के परिणामस्वरूप या अन्यथा, कोई राशि अधिक भुगतान या अधिक प्रमाणित पाई जाती है, तो नियोक्ता के लिए उस राशि को वसूलना वैध होगा।

#### **4.36 नियोक्ता को कर्मचारियों को भुगतान किया गया मुआवजा वापस लेने का अधिकार**

यदि किसी कारणवश, नियोक्ता, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के प्रावधानों या उसके किसी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन के आधार पर, कार्यों के निष्पादन में ठेकेदार द्वारा नियोजित किसी कर्मचारी को प्रतिकर देने के लिए बाध्य है, तो नियोक्ता ठेकेदार से इस प्रकार भुगतान की गई प्रतिकर राशि वसूलने का हकदार होगा, और उक्त अधिनियम के तहत नियोक्ता के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा। नियोक्ता ऐसी राशि या उसके किसी भाग को सुरक्षा जमा से या नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को इस संविदा के तहत या अन्यथा देय किसी राशि से काटकर वसूल करने के लिए स्वतंत्र होगा। नियोक्ता उक्त अधिनियम के तहत उसके विरुद्ध किए गए किसी भी दावे का विरोध करने के लिए बाध्य नहीं होगा, सिवाय ठेकेदार के लिखित अनुरोध के और नियोक्ता को उन सभी लागतों के लिए नियोक्ता की संतुष्टि के लिए पूर्ण सुरक्षा देने के, जिनके लिए नियोक्ता ऐसे दावे का विरोध करने के परिणामस्वरूप उत्तरदायी हो सकता है।

#### **4.37 कार्यों का परित्याग**

निविदा की स्वीकृति के पश्चात किसी भी समय, नियोक्ता, किसी भी कारण से, सम्पूर्ण कार्य या उसके किसी भाग को कराने की अपेक्षा नहीं करेगा, नियोक्ता ठेकेदार को लिखित में सूचना देगा, तथा ठेकेदार को सम्पूर्ण कार्य के निष्पादन से प्राप्त होने वाले किसी लाभ या फायदे के लिए किसी भी प्रकार के मुआवजे या अन्य भुगतान का कोई दावा नहीं होगा।

#### **4.38 अधिशेष सामग्री की वापसी**

इस संविदा के किसी या सभी खंडों में किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, जहां संविदा के निष्पादन के लिए कोई सामग्री सरकार द्वारा जारी आदेशों या परमिटों या लाइसेंसें के तहत की गई खरीद के माध्यम से नियोक्ता की सहायता से प्राप्त की जाती है, ठेकेदार उक्त सामग्रियों को मितव्ययितापूर्वक और केवल संविदा के उद्देश्य के लिए रखेगा और नियोक्ता की पूर्व लिखित अनुमति के बिना उनका निपटान नहीं करेगा और नियोक्ता द्वारा मांगे जाने पर, नियोक्ता को सामग्री की स्थिति को ध्यान में रखते हुए नियोक्ता द्वारा निर्धारित की जाने वाली कीमत पर वापस कर देगा, यह कीमत बिक्री कर, चुंगी और ठेकेदार द्वारा उसके संबंध में भुगतान किए गए अन्य ऐसे शुल्कों सहित खरीद मूल्य से अधिक नहीं होनी चाहिए। उपर्युक्त शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, ठेकेदार लाइसेंस या परमिट की शर्तों के उल्लंघन और/या आपराधिक विश्वासघात के लिए कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होने के अलावा, नियोक्ता के प्रति सभी धन, लाभ या मुनाफे के लिए उत्तरदायी होगा, जो ऐसे उल्लंघन के कारण उसे हुआ हो या जो सामान्य तौर पर उसे हुआ हो।

#### **4.39 ठेकेदार की मृत्यु की स्थिति में नियोक्ता का संविदा समाप्त करने का अधिकार, यदि व्यक्ति वह व्यक्ति है**

इस संविदा के तहत किसी भी अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि ठेकेदार की, एक व्यक्ति होने के नाते, मृत्यु हो जाती है, तो नियोक्ता के पास ऐसी समाप्ति के लिए किसी देयता के बिना संविदा को समाप्त करने का विकल्प होगा।

#### **4.40 सीमांत नोट**

इस पत्र में तथा इसके साथ संलग्न अनुलग्नकों में दी गई शीर्षक पंक्तियाँ केवल संदर्भ की सुविधा के लिए हैं तथा इन प्रस्तुतियों तथा इसके साथ संलग्न अनुलग्नकों की व्याख्या में इन्हें किसी भी प्रकार ध्यान में नहीं लिया जाएगा।

ठेकेदार के हस्ताक्षर  
नाम  
पदनाम फर्म की मुहर

स्थान  
तारीख

## खंड (V)

### परिशिष्ट जिसका उल्लेख पहले किया गया है

1.	दोष दायित्व अवधि	“इसके बाद संदर्भित शर्तें” अनुभाग के खंड 4.20 में संदर्भित आभासी पूर्णता प्रमाण पत्र की तारीख से बारह महीने।
2.	अंतिम माप की अवधि	3 महीने
3.	प्रारंभ करने की तिथि	स्वीकृति पत्र की तारीख से 10 वें दिन।
4.	पूरा होने की तारीख	आभासी पूर्णता प्रमाण पत्र की तिथि।
5.	की दर से परिसमाप्त क्षति	प्रति सप्ताह संविदा मूल्य का 0.25%, जो संविदा मूल्य के अधिकतम 10% के अधीन है।
6.	अंतरिम प्रमाणपत्र के लिए कार्यों का मूल्य	₹20 लाख
7.	प्रमाण पत्र सम्मान की अवधि	अंतरिम बिल के लिए एक माह तथा अंतिम बिल के लिए 3 माह।
8.	विलंबित भुगतान पर ब्याज	3% प्रति वर्ष

ठेकेदार की मुहर और हस्ताक्षर

## खंड VI

(परिशिष्ट I) जाँच सूची

### बैंक के कार्यालय भवन के लिए विजयवाड़ा में एक्स-रे बैगोज स्कैनर सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग

वाणिज्यिक शर्तें

क्रमांक	विवरण	बैंक की शर्तें	बैंक की शर्तों की स्वीकृति (हां नहीं)
1	वैधता	निविदा भाग-I खुलने से 90 दिन	
2	ईएमडी	₹72,000/-	
3	भुगतान की शर्तें	<b>खंड संख्या 3.18 के अनुसार</b>	
4	तकनीकी विनिर्देश	निविदा के भाग I में निर्दिष्टीकरण के अनुसार	
5	गारंटी अवधि	सौंपने की तारीख से 12 महीने	
6	बिक्री के बाद सेवा	गारंटी अवधि के दौरान निःशुल्क, जिसमें आवश्यक होने पर किसी भी सामग्री/असेंबली/उपकरण/स्पेयर्स/श्रम का प्रतिस्थापन भी शामिल है।	
7	समापन अवधि	कार्य अवाई पत्र की तिथि से 30 दिन।	
8	परिसमापन हर्जाना	विलंब के प्रति सप्ताह संविदा राशि का 0.25%, जो संविदा मूल्य के अधिकतम 10% के अधीन होगा।	
9	सेवा प्रदान करने में देरी के लिए जुर्माना	निविदा के भाग I में लागू खंड 3.15 के अनुसार	
10	स्पेयर पार्ट्स/उपकरण निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे	निविदा के भाग I के खंड 3.15 के अनुसार	
11	बीमा	निविदा के भाग I के खंड 3.19 के अनुसार	
12	पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी		
13	भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के संबंध में बोलीदाता द्वारा दिया गया वचन (अनुलग्नक III)		
14	अनुलग्नक II (साइट विजिट के संबंध में) और अनुलग्नक IV (रखरखाव पुष्टि के संबंध में) के अनुसार वचनबद्धता		
15	विभिन्न घटकों का तकनीकी साहित्य और प्रणाली का लेखन		

16	निविदा के सभी वाणिज्यिक नियमों और शर्तों का अनुपालन	
17	निविदा की सभी तकनीकी विशिष्टताओं और शर्तों का अनुपालन	
18	ईआरबी प्रमाणित	
19	सीई प्रमाणित	
20	खाद्य एवं स्वास्थ्य सुरक्षा प्रमाणित	

भाग II में कोई नियम और शर्त नहीं होनी चाहिए, बल्कि केवल मात्रा का मूल्य निर्धारण बिल होना चाहिए। भाग II में शामिल किए गए नियम और शर्तें, यदि कोई हों, तो मान्य नहीं होंगी या उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

स्थान  
तारीख

ठेकेदार के हस्ताक्षर  
नाम पदनाम  
फर्म की मुहर







**Section (VIII) Technical Specifications: -**

Minimum Technical Specification of X-Ray Baggage Scanner System

Offered Make:

Offered Model:

S.No.	Feature	Specification	Compliance (Yes /No)
1	Tunnel Size	Minimum 600 mm W (Width) x minimum 400 mm H (Height)	
2	Conveyor belt speed	Between 0.18 and 0.3 meter per second. Conveyor movement bi-directional. Auto stop in absence of baggage after 5 minutes.	
3	Power Requirement	Operating Voltage(v): 230 VAC +/-10%, 50Hz Single Phase, and should be able to withstand voltage fluctuations in the range as mentioned above.	
4	Conveyor Capacity	150 kg or more	
5	Sensors	Sensors > 1000 diodes, L-shaped detector (Folded array type), In case of defective diode arrays, scanning should be disabled, and error message should be displayed on the screen.	
6	X-Ray Voltage	140 KV or more	
7	X-Ray Source/Generator	should be capable to operate smoothly for a period of at least ten years	
8	Duty Cycle	100%	
9	Cooling	Sealed oil bath	
10	X-ray beam divergence	The X-ray beam divergence should be such that the complete image at maximum size of bag is displayed without corner cuts.	
11	Radiation level	The radiation level should not exceed accepted health standard (0.1m R/Hr at a distance of 5 cm from external housing). Relevant certificate from AERB should be attached.	
12	Operating temperature	0 deg C to 50 deg C.	
13	Storage temperature	0 deg C to 50 deg C.	
14	Humidity	90% non-condensing	

S.No.	Feature	Specification	Compliance (Yes /No)
15	Resolution	The machine should be able to display single un-insulated tinned copper wire of 42-SWG or 38 AWG. All penetration and resolution condition should be met without pressing any functional key and should be online.	
16	Penetration	Penetration should be 35 mm thickness of steel or more.	
17	Continuous Electronic Zoom facility	should be available to magnify the chosen area of an image eight times (8X) or more. Image features shall be keyboard controllable.	
18	Video display	21" or better effective viewing area LCD/LED flat Monitor with 0.25 mm. dot pitch SVGA High resolution, low radiation, flicker free, wide diagonally, resolution at least 1280 x 1024, 24/32bit colour real time processing. All image enhancement controls must be touchscreen activated or mouse-based by the system operator so that the details of all images are clearly visible.	
19	Multi-energy X- ray imaging facility	The machine should have features of Multi-energy X-ray imaging facility where materials of different atomic number will be displayed in different colours to distinguish between organic and inorganic materials. The machine should give audio and video alarm upon detection of high-density organic materials including explosives and narcotics, should have variable colour or materials stripping to facilitate the operator to monitor images for closer scrutiny. All suspicious items (Explosives, High density materials, narcotics, etc.) should be displayed in one mode and that should be online	
20	Radiation Safety	The machine must comply with requirements of health and safety regulations with regard to mechanical, electrical and radiation hazards. Before installation of the machine, the supplier/manufacturer should furnish relevant certificate from Atomic Energy Regulatory Board (AERB) of India regarding radiation Safety and complied with all international standards: USFDA, Homeland Security USA and certificate of health & safety at work. The company manufacturing the equipment should have ISO certification for manufacturing and servicing of X-ray Screening machines.	

S.No.	Feature	Specification	Compliance (Yes /No)
21	Food and Film Safety	Guaranteed safety for food. Guaranteed safety for and high-speed films up to ISO1600. The machines should be film safe. In other words, photographic films must not be damaged due to x-ray examination.	
22	Machine safety	Machine should be properly sealed from all the sides for pest proof. Dust proof cover is to be provided for covering the system when not in use.	
23	variable contrast Facility	Facility for variable contrast must be incorporated to allow enhancement lighter and darker portion of the image.	
24	software enhancement	The machine should be so designed that software enhancement can be easily implemented to take care of technique in image processing and pattern recognition.	
25	Full diagnostic built in test facility	The machine should have software-controlled diagnosis report facility and system should give printout if printer is connected.	
26	Password protection	All software features of machine should be online and password protected.	
27	Recalling previous images	Machine should be capable for recalling 15 or more previous images,	
28	Image archiving	It should have the capability of archiving 3000 or more images with date & time stamp.	
29	Secure Housing	Control desk with security housing and locking provision should be available. The operator personal identification number can be entered the keyboard along with generation of log.	
30	Image enhancement	Facility of image enhancement should be available	
31	Image recording facility	The machine should have online recording facility and images can be recorded in CD R/W or/and USB and should be able to view images so recorded on stand-alone PC.	
32	Lead impregnated safety screens	Lead impregnated safety screens should be available at either ends of the tunnel. This should be covered by relevant AERB certificate. Idle rollers to be provided at either ends of the tunnel (input and output) to facilitate placing of baggage.	

S. No.	Feature	Specification	Compliance (Yes /No)
33	Software control feature	All software features should be controlled from keyboard of machine only. Keyboard function should be user friendly. To enable/disable the software features, system should not be rebooted.	
34	Penetration failure Alarm	If the machine fails to penetrate a particular item, then an alarm video and audio (both) should be generated to notify the operator.	
35	Threat image projection (TIP)	The threat image projection (TIP) system software to be incorporated in the X-Ray BIS operation.	
36	Copy of software	Copy of all software including X-Ray Software with recovery CD must be provided.	
37	Operational Training	Operating staff has to be provided training	
38	Operating & service manual	Operating & service manual shall be provided with each machine.	
39	Other Features	a) Edge & variable edge enhancement.	
		b) Inverse Video & automatic image arching	
		c) Set up time not more than 10 minutes.	
		d) Pseudo colour	
		e) Date & Time display	
40	Minimum Computer configuration	CPU: Latest configuration and should be able to deliver the output to meet the specifications mentioned as above with latest reputed brand window and Linux.	
		II. Processor: Core-i5 or better	
		III. Hard Disk: 500GB or better	
		IV. USB Port-8	
		V. RAM 4 GB or better	
		VI. UPS: Sufficient capacity to take the load	
		Printer: System compatible	
		Computer details: make and model No	
		Mouse: Optical	
		Ports: 6 USB Ports (with at least 2 in Front), 1 Serial Port, 1 Parallel port, 1 PS/2 Keyboard and 1 PS2 Mouse Port, audio ports for microphone and headphone in front.	
		CD-R/RW Drive: DVD Writer. Not less than 52 X	
		Networking facility: 10/100/1000 Base T on board integrated Network Port with remote booting facility, remote system installation, remote wake up, out of band management using any standard management software.	

<b>TIPS Features</b>		
	<b>Threat Image Projection</b>	
	TIP Software facility shall be incorporated in the offered X-ray machines to assist supervisors in testing the operator alertness and training X-ray screeners to improve their ability in identifying specific threat object. The system will create a threat object and the same will be superimposed on monitor screen while a bag is being screened. To acknowledge that the operator has seen the false object, operator must press the control Panel key that will cause the computer generated threat object to disappear from x-rayed bag image on the VDU screen. Each operator's action shall be recorded in the hard disc of the computer for the auditing purpose by the supervisor or other authorised person	
	<b>Design of the system</b>	
	TIP software should be compatible with other X-Ray technologies such as automatic reject unit, X-ray screen technologies, automatic threat recognition system, etc. All x-ray image functions must be available at the same time along with the TIP	
	<b>Image Library</b>	
	The TIP facility should have an image library containing at least 100 explosive devices, 100 knives and 100 firearms in various sizes, shapes, locations & orientations. However, the system shall have facility to expand the library to incorporate additional images by user without assistance of the manufacturer	
	The image library should contain images of threats at different orientations - both plane and end-on orientation should be used. Although these will be assigned different file names and references, it must be possible to cross-reference these as the same threat. All threat Image Projection images must be realistic, representative and non-distinguishable from real threat items.	
	<b>Time Interval</b>	
	Programming facility shall be available to project threat images in different intervals. The time period for threat image as well as image mix in % age shall be user programmable e.g., software shall select 40% images of explosive devices, 35% of firearms & 25% of knives or Random, etc	
	Once the screener has responded to identify the computer generated threat image, it should remain on the screen for a pre-defined user programmable time for analyses. The image should be highlighted, upon identification, and feedback message shall be visible to the screener.	
	<b>System Administration</b>	
	The threat image projection facility shall have details of user data- base such as name of the office, Screener name, designation, user ID number, level of access such as Screener, Administrator, Maintenance & Password, etc.	

	Access to start-up Menu should be restricted only to the authorised individuals. A log-in procedure by means of 'Password' or 'Security key' could achieve restricted access to each of the comment. The log-in procedure should not take longer than 20 seconds. The system should have facility to bypass the TIP facility, if programmed so by the System Administrator. It is to be ensured that the TIP software shall not be hindrance to normal functioning of X-ray Machines.	
	When the operator logs-in or logs-out, message should be displayed on XBIS VDU Screen to confirm that he / she has been correctly logged-in or logged out.	
	<b>Feedback / Report</b>	
	Different colour coding shall be used for feedback to the Screener. It is recommended that Colour Code "Red for MISS", Green for "HIT" and Yellow for "False Alarm or Interrupt" be used.	
	The system shall automatically prepare the daily log of events for each shift and for each Screener performance. TIP log shall include particulars of location, XBIS, Name of Screener, Time & date of threat image, whether threat image was successfully identified or missed, etc	
	The report on Threat Image Projection system may have date and time (From-To) as per requirement, Screener particulars, and decision / outcome i.e., MISS, HIT or False alarm in %age as well in absolute numbers, number of bags screened, categories such as explosive devices knife or weapon, etc.	
	As a standard practice, daily / weekly / monthly report shall be retrieved. Report shall be for any given time and period, as per command.	
	All data should be stored on the system for a minimum of two months after it has been downloaded. No individual, regardless of access rights to the Threat Image Projection components would delete or amend any of Threat Image Projection data or time i.e. Threat Image Projection data on the actual X-ray machine will be read only file.	

Note:- The specifications indicated above are the minimum acceptable to the Bank. Tenderers are free to quote for equipment's with higher and advanced specifications, if any of the technical specifications is out of the range of equipment's manufactured by them.

## **TESTS TO BE CARRIED OUT IN FACTORY**

### **I. SINGLE WIRE RESOLUTION (TEST NO.1)**

A set of uninsulated tinned copper wire of size 25 SWG, 30, 35, 38, 40 and 42 SWG are placed on Perspex sheet. The wires are laid out in "S" shaped curves. The wires are placed behind varying thickness of aluminum. The requirement is to display 42 SWG wire is not covered by step wedge. A tick will indicate the visibility of appropriate wire. Metallic marker should be provided using high density material, so that SWG numbers in the VDU are clearly visible.

### **II. USEFUL PENETRATION (TEST NO.2)**

Definite what level of details can be seen behind a thickness of known material. The requirement of this test is that the 24 SWG wire is seen under second step wedge (5/16"). (Note: This is equivalent to FAA, USA and DOT UK requirement). Tick on log sheet will indicate what wires are visible.

### **III. MULTI ENERGY X-RAY (TEST No.3)**

With multi-energy X-Ray it should be possible to distinguish between materials of different average atomic number. The use of sugar and salt samples encapsulated on the test piece and various materials used in the construction of CTP will check the material discrimination facility. A tick will indicate that the sugar/salt samples are shown in different colour.

### **IV. SIMPLE PENETRATION (TEST No.4)**

This test defines what thickness of steel the machine should be able to penetrate. The steel step wedge on the CTP has steps of 2 mm. from 16 mm. to 30 mm. with a lead strip to check that the machine is above or below the requirement. The requirement is that the lead is visible beneath 35 mm. steel. A tick in log sheet will indicate where a difference between the lead strip and the step wedge is visible.

### **V. SPATIAL RESOLUTION (TEST NO.5)**

This test defines the ability of the system to distinguish and display objects which are close together. The CTP has 16 copper gratings at right angle to each other. The requirement is that a vertical and horizontal grating can be seen. A tick in the log sheet will indicate that gaps in the gratings are visible.

Signature of the contractor \_\_\_\_\_

Name of the firm \_\_\_\_\_

Seal of the firm \_\_\_\_\_

## स्थल पर रखे जाने वाले दस्तावेजों की सूची

क्र. सं.	दस्तावेज का विवरण	टिप्पणी
1	ठेका करार	संविदाओं की प्रमाणित सत्य प्रतियां
2	ड्राइंग	कार्य के लिए तैयार सभी प्रासंगिक ड्राइंग का सेट
3	कार्य कार्यक्रम चार्ट	नवीनतम स्वीकृत मदवार प्रगति योजना दर्शाते हुए
4	कार्य निर्देश / साइट ऑर्डर बुक	दिन-प्रतिदिन के पर्यवेक्षण के दौरान साइट पर प्रभारी इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि द्वारा निर्देश जारी करने के लिए। यह पुस्तक मशीन क्रमांकित पृष्ठों वाली त्रि-प्रतिलिपि पुस्तक के रूप में होगी। निर्देशों को दर्ज करने के बाद, एक प्रति प्रभारी इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि द्वारा ली जाएगी, दूसरी प्रति ठेकेदार द्वारा ली जाएगी और तीसरी प्रति पुस्तक में रहेगी जिस पर आवश्यक कार्रवाई करने के बाद ठेकेदार द्वारा अनुपालन दर्ज किया जाएगा।
5	साइट पर सामग्री रजिस्टर करें	ठेकेदार द्वारा दैनिक आधार पर जारी की गई सामग्री की रसीद के साथ डिलीवरी चालान का रिकॉर्ड रखना।
6	श्रम रिपोर्ट और दैनिक प्रगति रिपोर्ट	ठेकेदार द्वारा श्रम और डीपीआर रिकॉर्ड करना
7	सामग्री/उपकरणों के लिए परीक्षण रिपोर्ट/प्रमाणपत्र	निर्माताओं से प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट/प्रमाणपत्रों का रिकार्ड रखना
8	प्रगति समीक्षा रिपोर्ट	प्रगति का रिकार्ड बनाए रखना
9	अतिरिक्त/भिन्नता आदेश के लिए फाइल और रजिस्टर	अतिरिक्त/भिन्न वस्तुओं का रिकार्ड रखना
10	हिंडरेंस रजिस्टर	साइट इंजीनियर/इंजीनियर-प्रभारी प्रतिनिधि और ठेकेदार के प्रतिनिधि द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित बाधाओं, कारणों और समय अवधि के साथ उनकी मंजूरी का विवरण दर्ज करने के लिए
11	दोषों की लॉगबुक	निरीक्षण के दौरान पाए गए दोषों को रिकॉर्ड करना

कार्य पूरा होने के बाद, ठेकेदार को उपरोक्त सभी रिकॉर्ड/दस्तावेज बैंक के प्रभारी इंजीनियर को प्रस्तुत करने होंगे।

ठेकेदार के हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

फर्म का नाम \_\_\_\_\_

फर्म की मुहर \_\_\_\_\_



**अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी का प्रारूप**  
(उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

प्रति,  
क्षेत्रीय निदेशक  
भारतीय रिज़र्व बैंक  
आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय  
प्रथम तल, मुख्य कार्यालय भवन  
सैफाबाद, हैदराबाद

महोदय,

**कार्य का नाम :** विजयवाड़ा में बैंक के कार्यालय भवन के लिए एक्स-रे बैगेज निरीक्षण प्रणाली (एक्सबीआईएस) की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग

हम .....(बोलीदाता का नाम और उनके पंजीकृत कार्यालय का पता)  
श्री / सुश्री को नियुक्त और अधिकृत करते हैं।

.....(पावर ऑफ अटॉर्नी धारक का नाम और  
आवासीय पता) जो वर्तमान में हमारे साथ कार्यरत है और हमारे अटॉर्नी के रूप में  
..... का पद धारण कर रहा है, हमारे नाम पर और हमारी  
ओर से, उक्त परियोजना के लिए हमारी बोली के संबंध में या उससे संबंधित सभी ऐसे कार्य, कर्म और चीजें  
करने के लिए, जिसमें सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना और उन्हें प्रस्तुत करना और भारतीय रिज़र्व बैंक  
(आरबीआई) को सूचना/प्रतिक्रिया प्रदान करना, आरबीआई के समक्ष सभी मामलों में हमारा प्रतिनिधित्व करना  
और आम तौर पर उक्त परियोजना के लिए हमारे प्रस्ताव के संबंध में सभी मामलों में आरबीआई के साथ  
व्यवहार करना शामिल है।

हम इस पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत हमारे उक्त अटॉर्नी द्वारा विधिपूर्वक किए गए सभी कार्यों, कर्मों और चीजों  
की पुष्टि करने के लिए सहमत हैं और हमारे पूर्वोक्त अटॉर्नी द्वारा किए गए सभी कार्य, कर्म और चीजें हमेशा  
हमारे द्वारा किए गए माने जाएंगे।

श्री/सुश्री ..... के हस्ताक्षर नीचे प्रमाणित हैं:

बोलीदाता के हस्ताक्षर  
नाम  
बोलीदाता की मुहर/सील

**टिप्पणी:**

पावर ऑफ अटॉर्नी पर उचित स्टाम्प लगा होना चाहिए, तथा ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत नोटरीकृत पावर ऑफ  
अटॉर्नी अपरिवर्तनीय होगी।

वचनपत्र  
(कार्य को समझने के लिए निविदाकर्ता द्वारा साइट विजिट के संबंध में)

प्रति,  
क्षेत्रीय निदेशक  
भारतीय रिज़र्व बैंक  
आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय  
प्रथम तल, मुख्य कार्यालय भवन  
सैफाबाद, हैदराबाद

महोदय,

**कार्य का नाम: विजयवाड़ा में बैंक के कार्यालय भवन के लिए एक्स-रे बैगेज स्कैनर सिस्टम (एक्सबीआईएस) की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग**

हम, \_\_\_\_\_, उपरोक्त कार्य के लिए निविदाकर्ता पुष्टि करते हैं कि हमने साइट का दौरा किया है और मौजूदा सिस्टम, वर्तमान में काम कर रहे सिस्टम और प्रस्तावित सिस्टम के कार्य के दायरे के उचित विवरण को समझा है। हमने दोष दायित्व अवधि के दायरे को समझ लिया है और आगे व्यापक वार्षिक रखरखाव संविदा के दायरे के तहत।

भवदीय,

( )  
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता  
(कंपनी का नाम और पता कंपनी की मुहर के साथ)

तारीख:

**बोलीदाता द्वारा भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के संबंध में वचनबद्धता / घोषणा / प्रमाण पत्र के लिए प्रोफॉर्म**

प्रति,  
क्षेत्रीय निदेशक  
भारतीय रिज़र्व बैंक  
आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय  
प्रथम तल, मुख्य कार्यालय भवन  
सैफाबाद, हैदराबाद

महोदय,

विषय: विजयवाड़ा में बैंक के कार्यालय भवन के लिए एक्स-रे बैगोज स्कैनर सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए बोली में भाग लेने के लिए मेसर्स \_\_\_\_\_ का वचन पत्र

मैं/हमने ..... (बोलीदाता का नाम) दिनांक 23 जुलाई 2020 के कार्यालय ज्ञापन (ओएम) एफ. संख्या 6/18/2019-पीपीडी और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के सार्वजनिक खरीद प्रभाग द्वारा जारी उसके बाद के आदेशों/संशोधन की सामग्री को पढ़ और समझ लिया है, जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले किसी देश के बोलीदाता से खरीद पर प्रतिबंधों के संबंध में है।

2. बोलीदाता के संबंध में उपर्युक्त आदेश में उल्लिखित परिभाषाओं और उसके बाद के संशोधनों के आधार पर, मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि ..... (बोलीदाता का नाम)

- i. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से नहीं है, या
- ii. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से है और के साथ पंजीकृत है सक्षम प्राधिकारी, जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है, या
- iii. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले किसी देश से है, जहां भारत सरकार ने ऋण की व्यवस्था की है, या
- iv. वह देश जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है, जहां भारत सरकार विकास परियोजनाओं में लगी हुई है।

(उपर्युक्त में से जो लागू न हो उसे काट दें)

3. मैं/हम एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि ..... (बोलीदाता का नाम) इस संबंध में सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है और उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन और उसके बाद के आदेशों/संशोधन के प्रावधानों के तहत विचार किए जाने के योग्य है। मैं/हम यह भी वचन देते हैं कि मैं/हम ..... (बोलीदाता का नाम) ऐसे देश के किसी ठेकेदार को तब तक कोई काम उप-अनुबंधित नहीं करूंगा जब तक कि ऐसा ठेकेदार उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन/आदेश के तहत सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता।

4. मैं यह समझ गया हूँ कि यदि हमारे द्वारा प्रस्तुत यह वचन/घोषणा/प्रमाणपत्र गलत पाया जाता है, तो बैंक हमारी निविदा/कार्य आदेश को समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा। बैंक कानून के अनुसार कोई भी कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी स्वतंत्र होगा, जिसमें बयाना राशि जमा/प्रदर्शन बैंक गारंटी/सुरक्षा जमा जब्त करना और/या हमें भविष्य में बैंक द्वारा आमंत्रित निविदाओं में भाग लेने से रोकना शामिल है।

फर्म के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और हस्ताक्षर रबर स्टाम्प के साथ

तारीख:  
स्थान:

अनुलग्नक- IV

**बोलीदाता द्वारा रखरखाव की पुष्टि के लिए वचनबद्धता का प्रारूप**

प्रति,  
क्षेत्रीय निदेशक  
भारतीय रिज़र्व बैंक  
आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय  
प्रथम तल - मुख्य कार्यालय भवन  
सैफाबाद, हैदराबाद

महोदय,

**विजयवाड़ा में बैंक के कार्यालय भवन के लिए एक्स-रे बैगेज स्कैनर सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग**

हम आपके परिसर में हमारे द्वारा स्थापित किए जाने वाले (उपकरण का नाम) \_\_\_\_\_ को, एक वर्ष की दोष देयता/वारंटी अवधि की समाप्ति के बाद, कम से कम सात वर्ष की अवधि के लिए, निविदा में उद्धृत दरों और संविदा की शर्तों के अनुसार नियमों और शर्तों के साथ, निविदा दस्तावेज में दिए गए प्रासंगिक आरबीआई सूचकांक आधारित फॉर्मूले के आधार पर वार्षिक मूल्य संशोधन के प्रावधान के साथ, संतोषजनक ढंग से बनाए रखने का वचन देते हैं।

हम तकनीकी अप्रचलन या किसी अन्य कारण से आवश्यक स्पेयर्स की व्यवस्था स्वयं करके, ऊपर स्वीकृत अवधि के लिए सर्व-समावेशी रखरखाव संविदा के लिए हमारे द्वारा उद्धृत दर के भीतर, आपकी संतुष्टि के लिए सर्व-समावेशी सेवा प्रदान करना जारी रखेंगे।

भवदीय,

( )

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता  
(कंपनी का नाम और पता कंपनी की मुहर के साथ)

तारीख:

**बयाना जमाराशि के बदले बैंक गारंटी के लिए प्रोफार्मा**

(जारीकर्ता बैंक के नाम से खरीदे गए उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना है)

यह गारंटी विलेख आज \_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_ दो हजार \_\_\_\_ को \_\_\_\_ (बैंक का नाम) जिसका पंजीकृत कार्यालय \_\_\_\_ (स्थान) में है और इसका एक स्थानीय कार्यालय (जिसे आगे जमानतदार कहा जाएगा) और भारतीय रिज़र्व बैंक, जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 द्वारा गठित एक निगम है, जिसका मुख्य कार्यालय मुख्य कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई -400001 भारत में है (जिसे आगे बैंक कहा जाएगा) के बीच किया गया।

जबकि \_\_\_\_ (निविदाकर्ता का नाम इसके बाद 'निविदाकर्ता' के रूप में संदर्भित) \_\_\_\_ के तहत पंजीकृत एक कंपनी है और इसका पंजीकृत कार्यालय \_\_\_\_ में है, बयाना राशि के रूप में बैंक के पास रु. \_\_\_\_ (\_\_\_\_ रुपये मात्र) जमा करने के लिए बाध्य है जो विजयवाड़ा स्थित बैंक के कार्यालय भवन के लिए एक्स-रे बैगज स्कैनर सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए निविदा तथा उसमें संलग्न विनिर्देशों और नियमों व शर्तों के संबंध में है।

जबकि निविदाकर्ता ने निविदाकर्ताओं के लिए अनुदेशों के खंड II के खंड संख्या \_\_\_\_ और विशेष शर्तों के अनुसार नकद बयाना राशि जमा करने के बजाय \_\_\_\_ तक वैध बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर सहमति व्यक्त की है।

**यह सहमति है :**

1. यह कि निविदाकर्ता द्वारा बैंक को दी गई उपरोक्त निविदा के प्रतिफल में जमानतदार बैंक को बिना किसी आपत्ति के मांग पर उक्त राशि रु. \_\_\_\_ (\_\_\_\_ रुपये मात्र) के भुगतान की गारंटी देता है। इस गारंटी विलेख के प्रस्तुतीकरण पर बैंक से मांग प्राप्त होने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर, जिसे निविदाकर्ता अपनी निविदा के संबंध में बयाना राशि के रूप में बैंक के पास जमा करने के लिए बाध्य है।
2. यह गारंटी, निविदाकर्ता की ओर से किसी भी प्रकार की त्रुटि या अनियमितता या बैंक, निविदाकर्ता या जमानतदार के विघटन या संविधान में किसी भी परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगी।
3. बैंक इस गारंटी के तहत कोई भी दावा करने के लिए पात्र होगा यदि निविदाकर्ता अपनी निविदा प्रस्तुत करने के बाद, अपने प्रस्ताव से पीछे हट जाता है या उसके नियमों और शर्तों को बैंक को स्वीकार्य नहीं तरीके से संशोधित करता है या बैंक द्वारा विजयवाड़ा में बैंक के कार्यालय भवन के लिए एक्सबीआईएस के लिए निविदाकर्ता के साथ ऑर्डर देने का निर्णय लेने के बाद ऑर्डर स्वीकार करने में अपनी अनिच्छा व्यक्त करता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
4. जमानतदार बैंक की लिखित पूर्व सहमति के बिना इस गारंटी को इसके प्रचलन के दौरान रद्द नहीं कर सकता है।
5. पूर्वोक्त में निहित किसी भी बात के बावजूद, गारंटी के तहत जमानतदार की देयता रु. \_\_\_\_ (\_\_\_\_ रुपये मात्र) तक सीमित है।
6. यह गारंटी तब तक लागू रहेगी और प्रभावी रहेगी \_\_\_\_ तथा बैंक द्वारा जमानतदार को इसकी सूचना दिए जाने पर यह समाप्त हो जाएगी और अप्रभावी हो जाएगी, ऐसी स्थिति में यह गारंटी समाप्त हो जाएगी।

7. जमानतदार बैंक द्वारा जारी किए गए मांग नोटिस के अनुसार भुगतान करेगा, भले ही निविदाकर्ता और बैंक या किसी अन्य व्यक्ति के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो।
8. उक्त निविदा की किसी भी शर्त को लागू करने में बैंक की ओर से कोई सहनशीलता, कार्य या चूक या निविदाकर्ता के प्रति बैंक द्वारा कोई रियायत दर्शाने से किसी भी तरह से जमानतदार को उन्मुक्त नहीं किया जाएगा और इस गारंटी के तहत जमानतदार के दायित्वों को केवल बैंक द्वारा जमानतदार को दी गई सूचना पर ही उन्मुक्त किया जाएगा।
9. इसमें ऊपर दी गई किसी बात के होते हुए भी, जब तक कि इस गारंटी के अंतर्गत कोई मांग या दावा लिखित रूप में जमानतदार पर नहीं किया जाता है, तब तक जमानतदार को उसके बाद गारंटी के अंतर्गत सभी दायित्वों से मुक्त कर दिया जाएगा।
10. जमानतदार को अपने ज्ञापन और एसोसिएशन के लेखों के तहत यह गारंटी जारी करने की शक्ति है और जो व्यक्ति इस विलेख को निष्पादित कर रहा है, उसके पास जमानतदार द्वारा उसे दी गई पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत ऐसा करने की आवश्यक शक्तियां हैं।

हस्ताक्षरित और सुपुर्द  
(के लिए और की ओर से)  
उपरोक्त बैंक की ओर से (बैंकर का नाम और मुहर)

शाखा प्रबंधक  
(बैंकर की मुहर)

**सुरक्षा जमा के लिए बैंक गारंटी का प्रोफार्मा**

(जारीकर्ता बैंक के नाम से खरीदे गए उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना है)

सं. \_\_\_\_\_ तारीख \_\_\_\_\_

प्रति,  
क्षेत्रीय निदेशक  
भारतीय रिज़र्व बैंक  
आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय  
प्रथम तल, मुख्य कार्यालय भवन  
सैफाबाद, हैदराबाद

महोदय,

आपके द्वारा रु. \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ रुपये मात्र) की सुरक्षा जमा स्वीकार करने पर सहमति देने के विचार में विजयवाड़ा में बैंक के कार्यालय भवन के लिए एक्स-रे बैगेज स्कैनर प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए आपके साथ उनके संविदा की शर्तों के अनुसार मेसर्स \_\_\_\_\_ (जिसे आगे "ठेकेदार" के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा आपको प्रदान की जाने वाली उनकी निविदा दिनांक और आपके संविदा की विशेष शर्तों और उससे संबंधित अन्य निविदा दस्तावेजों के अनुसार सेट पर परस्पर सहमत शर्तों और परिवर्तनों के अधीन या आपके संविदा दिनांक \_\_\_\_\_ में संदर्भित, हमारे द्वारा गारंटी के रूप में, जैसा कि आगे निहित है, हम \_\_\_\_\_ (बैंक का नाम) इसके द्वारा आपके साथ निम्नानुसार संविदा और सहमति करते हैं:

- हम आपको समय-समय पर रु. \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ रुपये मात्र) की सीमा तक क्षतिपूर्ति देने और क्षतिपूर्ति प्रदान करते रहने का वचन देते हैं उक्त संविदा में निहित किसी भी नियम व शर्तों के ठेकेदार की ओर से किसी भी उल्लंघन या उल्लंघनों के कारण आपको हुई या आपके द्वारा सहन की गई किसी भी हानि या क्षति के लिए और ठेकेदार द्वारा उक्त संविदा के तहत किसी भी कार्य को करने में या अन्यथा उसके वास्तविक इरादे और अर्थ के अनुसार उससे संबंधित किसी भी नियम व शर्तों के पालन और प्रदर्शन में कोई चूक या चूक होने की स्थिति में, हम मांगे जाने पर आपको उक्त राशि रु. \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ रुपये मात्र) से अधिक नहीं ऐसी राशि या राशियों का भुगतान करेंगे, जिसका दावा आप ठेकेदार की ओर से ऐसी चूक के कारण अपनी हानि और/या क्षति, लागत, शुल्क या खर्च के रूप में कर सकते हैं।
- इसके विपरीत किसी भी बात पर ध्यान दिए बिना, आपका यह निर्णय कि क्या ठेकेदार ने कोई चूक या चूक की है और उसके कारणों से आप जिस राशि या राशियों के हकदार हैं, वह हमारे लिए बाध्यकारी होगा और हम आपसे इस गारंटी के तहत आपके दावे या दावों को स्थापित करने के लिए कहने के हकदार नहीं होंगे, लेकिन बिना किसी विरोध या आपत्ति के आपकी मांग पर उसका भुगतान करेंगे।
- यह गारंटी तब तक जारी रहेगी और मान्य रहेगी जब तक कि आप ठेकेदार द्वारा आवेदन किए जाने पर उक्त संविदा की सापेक्ष गारंटी अवधि की समाप्ति के बाद इसे जारी नहीं कर देते हैं और ठेकेदार द्वारा उक्त संविदा के तहत अपने सभी दायित्वों का निर्वहन करने और उक्त संविदा के तहत कार्य के विधिवत पूरा होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और "नो डिमांड सर्टिफिकेट" प्रस्तुत करने के बाद इसे जारी नहीं कर देते हैं, बशर्ते कि यह गारंटी किसी भी स्थिति में संविदा की समाप्ति के दिन के बाद लागू नहीं रहेगी। आपके दावे या दावों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो उक्त तिथि से छह महीने की समाप्ति से पहले उत्पन्न हुए हैं या मांगे गए हैं या

अन्यथा हमें लिखित रूप में अधिसूचित किए गए हैं, जो हमारे विरुद्ध लागू होंगे, भले ही वे उक्त तिथि के बाद लागू किए गए हों।

4. यदि किसी भी कारण से इस गारंटी को बढ़ाना आवश्यक हो, तो हम आपके अनुरोध पर इस गारंटी की अवधि को आपके द्वारा अपेक्षित समय तक बढ़ाने का वचन देते हैं। इस संबंध में आपका निर्णय अंतिम और हमारे लिए बाध्यकारी होगा।

5. आपको इस गारंटी को प्रभावी किए बिना समय-समय पर उक्त संविदा की किसी भी शर्त या नियम को बदलने या ठेकेदार के निष्पादन के समय को बढ़ाने या ठेकेदार के खिलाफ अपने किसी भी अधिकार या शक्ति को किसी भी समय या समय-समय पर स्थगित करने और उक्त संविदा की किसी भी शर्त या नियम को लागू करने या लागू करने से मना करने की पूरी स्वतंत्रता होगी और हम इस गारंटी के तहत उपरोक्त मामलों के संदर्भ में आपकी स्वतंत्रता के प्रयोग से या ठेकेदार को दिए गए किसी भी समय या आपके द्वारा किसी अन्य सहनशीलता, कार्य या चूक या आपके द्वारा ठेकेदार को किसी भी तरह की रियायत या उक्त संविदा या किसी भी अन्य कार्य, मामले या चीजों में किसी भी बदलाव या संशोधन के द्वारा हमारे दायित्व से मुक्त नहीं होंगे, जो कि जमानत से संबंधित कानून के तहत लेकिन इसके प्रावधानों के लिए हमें हमारे दायित्व से मुक्त करने का प्रभाव डालते हैं बशर्ते कि इसमें निहित कुछ भी हमारे दायित्व को INR \_\_\_\_\_ (INR) की सीमा से आगे नहीं बढ़ाएगा। \_\_\_\_\_ केवल) जैसा कि पूर्वोक्त है।

6. यह गारंटी किसी भी तरह से आपके द्वारा ठेकेदार या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति, फर्म या कंपनी से कोई प्रतिभूति लेने, उसमें परिवर्तन करने या उसे त्यागने या ठेकेदार के समापन, विघटन, दिवालियापन या मृत्यु, जैसी भी स्थिति हो, से प्रभावित नहीं होगी।

7. इसमें निहित गारंटी को पूर्ण प्रभाव देने के लिए आप इस प्रकार कार्य करने के हकदार होंगे जैसे कि हम पूर्वोक्त रूप से हमारे द्वारा गारंटीकृत ठेकेदार के विरुद्ध आपके सभी दावों के संबंध में आपके प्रमुख देनदार हों और हम इसके द्वारा स्पष्ट रूप से जमानत के अपने सभी अधिकारों और अन्य अधिकारों को, यदि कोई हो, छोड़ देते हैं, जो किसी भी तरह से इस गारंटी के किसी भी प्रावधान के साथ असंगत हैं।

8. उपर्युक्त हमारी देयता की अधिकतम सीमा के अधीन, यह गारंटी समय-समय पर ठेकेदार के विरुद्ध आपके सभी दावों को कवर करेगी, जो उक्त संविदा से संबंधित या उससे उत्पन्न होते हैं और जिनके संबंध में आपका लिखित दावा इस गारंटी की समाप्ति की तारीख से छह महीने की समाप्ति से पहले हमारे पास दर्ज किया गया है।

9. मांग के रूप में या अन्यथा कोई भी नोटिस विशेष कूरियर, टेलेक्स, फैक्स या पंजीकृत डाक द्वारा हमारे पूर्वोक्त स्थानीय पते पर भेजा जा सकता है और यदि डाक द्वारा भेजा जाता है, तो इसे पोस्ट किए जाने पर दिया गया माना जाएगा।

10. यह गारंटी तथा इसमें निहित शक्तियां और प्रावधान, हमारे द्वारा आपको अब तक दी गई किसी अन्य गारंटी या गारंटियों (चाहे अन्य के साथ संयुक्त रूप से या अकेले) के अतिरिक्त हैं, न कि उनकी सीमा निर्धारित करने या उनका प्रतिस्थापन करने के लिए, तथा अब निरस्त न किए गए हैं और यह गारंटी ऐसी गारंटी या गारंटियों को निरस्त करने या सीमित करने के लिए अभिप्रेत नहीं है और न ही ऐसा करेगी।

11. यह गारंटी ठेकेदार या हमारे संविधान में किसी भी परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगी और न ही यह आपके संविधान में किसी भी परिवर्तन या उसके किसी समामेलन या अवशोषण से प्रभावित होगी, बल्कि अवशोषित या समामेलित कंपनी या प्रतिष्ठान के लाभ के लिए सुनिश्चित होगी और उसके लिए उपलब्ध और लागू करने योग्य होगी।



12. उक्त निविदा की किसी भी शर्त को लागू करने में बैंक की ओर से कोई सहनशीलता, कार्य या चूक या निविदाकर्ता के प्रति बैंक द्वारा कोई रियायत दर्शाने से किसी भी तरह से जमानतदार को उन्मुक्त नहीं किया जाएगा और इस गारंटी के तहत जमानतदार के दायित्वों को केवल बैंक द्वारा जमानतदार को दी गई सूचना पर ही उन्मुक्त किया जाएगा।

13. यह गारंटी अपनी वैधता अवधि के दौरान अपरिवर्तनीय है और आपकी पूर्व लिखित सहमति के बिना इसे रद्द नहीं किया जाएगा।

14. हम आगे इस बात पर सहमत हैं और वचनबद्ध हैं कि आपके द्वारा लिखित रूप में मांगी गई राशि का भुगतान बिना किसी आपत्ति के करेंगे, भले ही आपके और ठेकेदार या किसी अन्य व्यक्ति के बीच कोई मतभेद या विवाद या मतभेद उत्पन्न हो।

15. ऊपर दी गई किसी भी बात के बावजूद इस गारंटी के तहत हमारी देयता रु. \_\_\_\_\_ (रुपये मात्र) तक सीमित है। जब तक कि इस गारंटी की समाप्ति की तारीख से छह महीने के भीतर इस गारंटी के तहत भुगतान के लिए हमारे खिलाफ लिखित दावा दर्ज नहीं किया जाता है, जिसमें विस्तार भी शामिल है, यदि कोई हो, तो गारंटी के तहत आपके सभी अधिकार जब्त कर लिए जाएंगे और हमें इसके तहत सभी देनदारियों से मुक्त और मुक्त माना जाएगा, भले ही मूल गारंटी हमें वापस की जाए या नहीं।

16. हमारे पास हमारे बैंक के मेमोरेण्डम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के तहत आपके पक्ष में यह गारंटी जारी करने की शक्ति है और नीचे हस्ताक्षरकर्ता के पास बैंक द्वारा उसे दी गई पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत इस गारंटी को निष्पादित करने की पूरी शक्ति है।

हस्ताक्षरित और सुपुर्द

(उपर्युक्त बैंक के लिए एवं उसकी ओर से)

के लिए एवं की ओर से (बैंकर का नाम एवं मुहर)

शाखा प्रबंधक

(बैंकर की मुहर)

पता \_\_\_\_\_

**पेटेंट अधिकारों के विरुद्ध नियोक्ता को क्षतिपूर्ति देने के लिए प्रोफार्मा**  
(उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

प्रति,  
क्षेत्रीय निदेशक  
भारतीय रिज़र्व बैंक  
आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय  
प्रथम तल, मुख्य कार्यालय भवन  
सैफाबाद, हैदराबाद

महोदय,

**विजयवाड़ा में बैंक के कार्यालय भवन के लिए एक्स-रे बैगेज स्कैनर सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग**

हम, मेसर्स \_\_\_\_\_ (ठेकेदार का नाम) किसी भी पेटेंट या डिजाइन या किसी भी कथित पेटेंट या डिजाइन अधिकारों के उल्लंघन या उपयोग से संबंधित किसी भी कार्रवाई, दावे या कार्यवाही के खिलाफ नियोक्ता यानी भारतीय रिज़र्व बैंक को पूरी तरह से क्षतिपूर्ति करने और क्षतिपूर्ति जारी रखने का वचन देते हैं और संविदा में शामिल किसी भी वस्तु या उसके हिस्से के संबंध में देय किसी भी रॉयल्टी, लाइसेंस शुल्क आदि या उसके संबंध में कानूनी रूप से होने वाले सभी प्रकार के नुकसान, लागत और शुल्क का भुगतान स्वयं करेंगे।

उपर्युक्त किसी भी मामले के संबंध में नियोक्ता के विरुद्ध किए गए किसी दावे या लाई गई कार्रवाई की स्थिति में, हमें इसकी सूचना मिलने पर, अपने स्वयं के व्यय पर, किसी भी विवाद का निपटारा करेंगे या उससे उत्पन्न होने वाले किसी मुकदमे का संचालन करेंगे, बशर्ते कि हम नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे यदि पेटेंट या डिजाइन या किसी कथित पेटेंट या डिजाइन अधिकार का उल्लंघन इस संबंध में प्रभारी अभियंता द्वारा पारित आदेश का प्रत्यक्ष परिणाम है।

भवदीय

\_\_\_\_\_ के लिए

**अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता**

**ठेकेदार का नाम और पता: ठेकेदार का हस्ताक्षर और मुहर:**

**तारीख:**

**स्थान:**

**परियोजना के लिए प्रस्तावित प्रमुख कर्मचारियों का बायोडाटा  
(बोलीदाता द्वारा भरा जाना है तथा भाग-I के साथ प्रस्तुत किया जाना है)**

**कार्य का नाम:** विजयवाड़ा में बैंक के कार्यालय भवन के लिए एक्स-रे बैगेज स्कैनर/निरीक्षण (एक्सबीआईएस) सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग

स्टाफ का नाम		
पदनाम		
वर्तमान में कार्यरत फर्म का नाम		
फर्म के साथ वर्षों का अनुभव		
प्रस्तावित पद (जिम्मेदारी का स्तर भी बताएं)		
सौंपे गए कार्य का विवरण		
कार्य हेतु निर्धारित श्रम-माह		
मुख्य योग्यताएं (तकनीकी और सामान्य)		
शिक्षा		
व्यावसायिक निकायों में सदस्यता		
अनुभव एवं प्रशिक्षण (सौंपे गए कार्य के संदर्भ में प्रासंगिक)		
रोजगार रिकॉर्ड		
फर्म का नाम	ग्रहित पद	रोजगार के वर्ष

**पिछले 5 वर्षों के दौरान निष्पादित समान कार्यों (एक्सबीआईएस सिस्टम) का विवरण**  
**(प्रत्येक कार्य की लागत अलग-अलग 36.00 लाख रुपये से अधिक)**

क्रम	फर्म (ग्राहक) का नाम, पूरा पता और संपर्क नंबर/फैक्स आदि	कार्य का नाम	कार्य का मूल्य	पूरा करने की तिथि	कार्य अवार्ड दिनांक	टिप्पणियाँ (एक्सबीआईएस सिस्टम के लिए ओईएम का निर्माण)

ठेकेदार का नाम और पता:

ठेकेदार का हस्ताक्षर और मुहर:

तारीख:

**बोलीदाता के प्रदर्शन के संबंध में ग्राहक के प्रमाण पत्र का प्रारूप**

ग्राहक का नाम और पता

मेसर्स द्वारा निष्पादित कार्यों का विवरण

1. कार्य का नाम तथा संक्षिप्त विवरण
2. संविदा संख्या और दिनांक
3. संविदा राशि
4. कार्य शुरू करने की तारीख
5. पूर्ण होने की निर्धारित तिथि
6. वास्तविक समापन तिथि
7. विलंब के लिए लगाए गए मुआवजे का विवरण (राशि बताएं) यदि कोई हो
8. पूर्ण किये गये कार्य और भुगतान की गई कुल राशि
9. उस प्राधिकारी का नाम और पता जिसके अधीन कार्य निष्पादित किया गया क्या ठेकेदार ने कार्य के निष्पादन के दौरान योग्य इंजीनियर/ओवरसियर को नियुक्त किया था?
10. i) कार्य की गुणवत्ता (ग्रेडिंग दर्शाएं) उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब  
ii) कम दर पर भुगतान किये गये कार्य की राशि, यदि कोई हो।
11. i) क्या ठेकेदार ने मध्यस्थता का सहारा लिया?  
ii) यदि हां, तो दावे की कुल राशि  
iii) कुल अवार्ड राशि
12. ठेकेदार की क्षमताओं पर टिप्पणियाँ

तकनीकी दक्षता उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब

- a) वित्तीय सुदृढ़ता उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब
- b) पर्याप्त टी एंड पी का जुटाव उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब
- c) जनशक्ति का जुटाव उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब
- d) सामान्य व्यवहार उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब

नोट: सभी कॉलम ठीक से भरे जाने चाहिए

कार्यालय मुहर के साथ रिपोर्टिंग अधिकारी\*

\*प्रतिहस्ताक्षरित

\*कार्यकारी अभियंता या समकक्ष रैंक का अधिकारी

**बैंकर प्रमाण पत्र का प्रारूप**

1. फर्म की संरचना (साझेदारी/प्राइवेट लिमिटेड/प्रोपराइटरशिप/पब्लिक लिमिटेड)
2. फर्म के मालिक/भागीदारों/निदेशकों का नाम।
3. पिछले 3 वित्तीय वर्षों के लिए फर्म का टर्नओवर (वर्षवार)।

2022-2023

2023-2024

2024-2025

4. फर्म द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा / ओवरड्राफ्ट सुविधा
5. लेन-देन
6. वह अवधि जब से फर्म आपके बैंक के साथ बैंकिंग कर रही है।
7. कोई अन्य टिप्पणी?

कृपया अपनी राय भी भेजें कि क्या उपरोक्त फर्म को 36.00 लाख रुपये की अनुमानित लागत वाले कार्य का संविदा सौंपने के लिए वित्तीय रूप से सक्षम माना जाता है।

मुहर और हस्ताक्षर

बैंक नोट के लिए:

बैंकर्स प्रमाण पत्र बैंक के लेटर हेड पर होना चाहिए तथा लिफाफे में बंद करके निम्नलिखित पते पर भेजा जाना चाहिए।

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय, प्रथम तल, मुख्य कार्यालय भवन, सैफाबाद, हैदराबाद-500004

साझेदारी फर्म के मामले में, प्रमाण पत्र में बैंक में दर्ज सभी भागीदारों के नाम शामिल होने चाहिए।

## खंड-X

### बिना मूल्य वाली मात्रा का बिल

विजयवाड़ा में बैंक के कार्यालय भवन के लिए एक्स-रे बैगेज स्कैनर सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग

क्रमांक	वस्तुओं का विवरण	मात्रा	इकाई
1	निविदा भाग-I में निर्दिष्टीकरण के अनुसार इनपुट आउटपुट रोलर, स्टेबलाइजर/यूपीएस, संयुक्त परीक्षण पीस (सीटीपी)/परीक्षण बैग आदि जैसे सहायक उपकरणों के साथ एक्स-रे बैगेज निरीक्षण प्रणाली (एक्सबीआईएस) की आपूर्ति।	03	सेट
2	क्रम संख्या 1 में निर्दिष्ट एक्स-रे बैगेज स्कैनर की स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग	03	सेट
3	निविदा भाग-I के खंड 3.15 में उल्लिखित सभी करों सहित दोष दायित्व अवधि पूरी होने के बाद प्रति वर्ष रुपए में व्यापक एएमसी शुल्क	03	सेट

तारीख:

स्थान:

हस्ताक्षर  
ठेकेदार का नाम  
मुहर





**भारतीय रिज़र्व बैंक/ Reserve Bank of India**  
**आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय/ Andhra Pradesh Regional Office**  
**हैदराबाद / Hyderabad**

**विजयवाड़ा में बैंक के कार्यालय भवन के लिए एक्स-रे बैगेज स्कैनर सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग**

**ई-निविदा संख्या: आरबीआई/आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय/अन्य/2/25-26/ईटी/36**

**भाग - II**

**निविदाकर्ता का नाम: \_\_\_\_\_**

**पता: \_\_\_\_\_**

निविदा आमंत्रण हेतु सूचना की तिथि	: 16 अप्रैल 2025 प्रातः 10:00 बजे से
निविदा प्रस्तुत करने की आरंभिक तिथि	: 16 अप्रैल 2025 प्रातः 10:00 बजे से
बोली-पूर्व बैठक की तिथि	: 23 अप्रैल 2025 सुबह 11:00 बजे
निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	: 30 अप्रैल 2025 को 14:00 बजे तक
निविदा के भाग I को खोलने की तिथि और समय	: 30 अप्रैल 2025 को 16:00 बजे
निविदा के भाग II को खोलने की तिथि एवं समय	: भाग I की जांच के आधार पर तय किया जाएगा



**भारतीय रिज़र्व बैंक/ Reserve Bank of India**  
**आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय/ Andhra Pradesh Regional Office**  
**हैदराबाद / Hyderabad**

**विजयवाड़ा में बैंक के कार्यालय भवन के लिए एक्स-रे बैगेज स्कैनर सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग**

क्रमांक	मद का विवरण	मात्रा	इकाई	दर (₹)	राशि (₹)
1	निविदा भाग-I में निर्दिष्टीकरण के अनुसार इनपुट आउटपुट रोलर, स्टेबलाइजर/यूपीएस, संयुक्त परीक्षण पीस (सीटीपी)/परीक्षण बैग आदि जैसे सहायक उपकरणों के साथ एक्स-रे बैगेज निरीक्षण प्रणाली (एक्सबीआईएस) की आपूर्ति।	03	सेट		
2	क्रम संख्या 1 में निर्दिष्ट एक्स-रे बैगेज स्कैनर की स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग	03	सेट		
3	निविदा भाग-I के खंड 3.15 में उल्लिखित सभी करें सहित दोष दायित्व अवधि पूरी होने के बाद प्रति वर्ष रुपए में व्यापक एएमसी शुल्क	03	सेट		

**स्वामित्व की कुल लागत = पूंजीगत लागत + 5.6321 \* एएमसी दर**

**निविदा भाग-I के खंड 3.16 के अनुसार निविदा का मूल्यांकन**

स्थान:

तारीख:

**ठेकेदार का नाम**

**हस्ताक्षर और मुहर**